खण्ड–493, अंक–8
बुधवार, 04 चैत्र, शक संवत् 1937
(25 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 9 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
कैग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश का बजट खर्च न हो पाने सम्बन्धी प्रकरण एवं हापुड़ तथा मेरठ में लाठी चार्ज की घटना उठाने का प्रयास	7
प्रश्नोत्तर	7–105
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बाबू लाल वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	105
ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलें नष्ट हो जाने से कृषकों द्वारा आत्महत्या करने पर परिवार को मुआवजा दिये जाने का अनुरोध ...	105–106
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	106–107
आज की कार्य–सूची की मद संख्या–17 (4) के अन्तर्गत भाषा विभाग के बजट में बजट न होने का प्रकरण	107
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	107–109
महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका के पदों में से एक पद मुख्य बाल सेविका के पद को उच्चीकृत किये जाने एवं कार्य के आधार पर समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद बदायूं में कैंसर पीड़ित मरीज श्री सत्यदेव की आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
जनपद गोरखपुर में सूरजकुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद आगरा की राधा विहार कालोनी अन्तर्गत कमला नगर की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के पार्क में लगी खराब लाइटों को सुधारे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	111–112
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लाक बहरिया के लोहिया ग्राम हरिराम पट्टी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	112

विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 112

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटेहवा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 112–113

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत देवकली से बेलांव सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के अन्तर्गत ग्राम रेहरा माफी में कृषि उत्पादन मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113–114
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक खुटहन के ग्राम अशरफपुर की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद अमेठी के ग्राम सभा निहालगढ़ एवं पालपुर को मिलाकर नई नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	114–115
जनपद हापुड़ में मेरठ–खुर्जा मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद मथुरा की तहसील, मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से आय के रूप में प्राप्त होने वाले 2: विकास शुल्क से विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115–116
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	116–117
जनपद अलीगढ़ में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	117–118
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में चकबन्दी में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118–119
जनपद लखीमपुर के निर्धन किसान से पुलिस द्वारा जबरन उसका ट्रैक्टर खींच लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	119

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी) 119

सत्रावसान के पश्चात् अनुत्तरित प्रश्नों को पुनर्जीवित किये जाने एवं उनके उत्तर न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... 119—120

विषय	पृष्ठ–संख्या
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	120
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन दिसम्बर, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया)...	121
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–2014) का सप्तम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	121
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–2014) का अष्टम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	121–122
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की याचिका समिति वर्ष (2013–2014) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	122
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	122–123
कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्य सूची की मद संख्या–12, 13, 14 एवं 15 के आज न लिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	123–125
उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	125–126
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	126
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	126–129
वित्तीय वर्ष 2015–2016 में आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	129
वित्तीय वर्ष 2015–2016 में आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	129–130
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–74 गृह विभाग (होमगार्ड्स) (स्वीकृत)...	130
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग (स्वीकृत)... ...	130
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	131
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार (स्वीकृत) ...	131
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ...	131–132
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्वीकृत) ...	132
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर	132

मतदान–अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत)	133
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत)	133
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	133–134
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	134
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत) ...	134–135
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)...	135
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	135–136
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	136
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	136
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	137
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	137

वित्तीय वर्ष 2015—2016 के आय—व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या—85 सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ... ... 137—138

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	138
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ...	138
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ...	139
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–37 नगर विकास (स्वीकृत) ...	139
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	139–140
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	140
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग (स्वीकृत) ...	140
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)...	140–141
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	141
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)	141
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) ...	142
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)... ...	142
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	142–143
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर	143

मतदान, अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) (स्वीकृत) ... ...

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) 143

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि) (स्वीकृत)	143–144
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	144
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग (स्वीकृत) ...	144
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	144–145
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (स्वीकृत) ...	145
उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित)	145–147
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	147–149
जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (पारित) ...	149–168
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	168–170
नगर पालिका एवं नगर निगम सम्बन्धी आज पुरःस्थापित किये गये विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	170
उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) ...	170–171
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित)... ...	171–221
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	221
जनपद देवरिया के खुखुन्द को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	221–222
जनपद आगरा रसूलपुर, सराय ख्वाजा, वी0आई0पी0 रोड, थाना शाहगंज निवासी प्रीतम सिंह कुशवाहा की दिनांक 27 जनवरी, 2015 को हुई रहस्यमय ढंग से हुई मौत की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में	222–223

श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ...

जनपद अलीगढ़ से होकर निकली काली नदी में मै0 वेब डिस्टलरी शराब फैक्ट्री से बिना शोधित किये गन्दा पानी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ... 223–224

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा अन्तर्गत शोर की जमीन के असंक्रमणीय भूमिधर पट्टा धारकों के संक्रमणीय भूमि धर घोषित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती विमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	224–225
जनपद बांदा के कतिपय क्षेत्रों में सड़कों, सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ...	226–227
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत परसेन्डी, लहरपुर तथा बेहटा के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014–2015 में चयनित इन्दिरा व लोहिया आवास की सूची उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामेहत भारती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	227–228
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में 100 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	228
उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	228–231
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को गणेश पूजन के समय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	232
जनपद इलाहाबाद के कोरांव क्षेत्रान्तर्गत मछली बाजार में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	233
जनपद गाजियाबाद के राहुल विहार वार्ड–6 में किशन लाल के मकान से जवाहर लाल वर्मा के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	233–234

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 234–235

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईशानगर के ग्राम समैसा के अन्धपुर तक की कच्ची सड़क को खड़न्जा/पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	235–236
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज के अन्तर्गत न्योतिनी में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय को यथाशीघ्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेलाल रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	236
वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु बनाये गये हास्टल के बिना भेदभाव के सभी जातियों की महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विमला बाथम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	236–237
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत डाली गयी पेयजल लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	237–239

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–322

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय, श्री वाराणसी
5. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री बरेली
11. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
16. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
26. अरुण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
28. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
29. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
30. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
32. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
33. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री आजमगढ़
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
38. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
39. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
40. आशीष यादव, श्री बदायूं
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
42. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
44. इकबाल, श्री बिजनौर
45. इकबाल महमूद, श्री संभल
46. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
47. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
48. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
49. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
50. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
51. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया

56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
58. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
62. काली चरन सुमन, श्री आगरा
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. कैलाश, श्री गाजीपुर
68. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
70. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
71. गजराज सिंह, श्री हापुड़
72. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
73. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
74. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
75. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
76. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
77. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
78. गोरख पासवान, श्री बलिया
79. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
80. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
81. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
82. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
83. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
84. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
85. जगपाल, श्री सहारनपुर
86. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
87. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
88. जफर आलम, श्री अलीगढ़
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
90. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
93. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
94. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
95. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
96. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
97. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
98. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
99. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
100. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
101. दलजीत सिंह, श्री बांदा
102. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
103. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
104. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
108. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
109. धर्मराज, श्री बाराबंकी
110. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
111. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
112. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
113. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
114. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
115. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
116. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
117. नारद राय, श्री बलिया
118. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
119. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
120. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव

121. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
122. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
123. पीतमराम, श्री पीलीभीत
124. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
125. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
126. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
127. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
128. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
129. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
130. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
131. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
132. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
133. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
134. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
135. फेरन लाल, श्री ललितपुर
136. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
137. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
138. बदलू खां, श्री उन्नाव
139. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
140. बाबू खां, श्री हरदोई
141. बाबूलाल, श्री गोण्डा
142. बावन सिंह, श्री गोण्डा
143. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
144. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
145. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
146. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
147. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
148. बैजनाथ, श्री मऊ
149. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
150. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
151. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
152. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
153. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
154. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
155. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
156. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
157. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
158. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
159. मनबोध, श्री देवरिया
160. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
161. मनीष रावत, श्री सीतापुर
162. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
163. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
164. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
165. महबूब अली, श्री अमरोहा
166. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
167. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
168. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
169. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
170. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
171. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
172. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
173. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
174. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
175. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
176. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
177. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
178. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
179. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
180. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
181. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
182. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
183. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
184. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
185. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
186. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
187. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद

188. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
189. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
190. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
191. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
192. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
193. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
194. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
195. रणजीत सुमन, श्री एटा
196. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
197. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
198. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
199. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
200. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
201. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
202. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
203. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
204. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
205. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
206. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
207. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
208. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
209. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
210. 'राजिव, श्री सहारनपुर
211. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
212. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
213. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
214. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
215. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
216. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
217. राधे श्याम, श्री अमेठी
218. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
219. राम करन आर्य, श्री बस्ती
220. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
221. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
222. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
223. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
224. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
225. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
226. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
227. राम मगन, श्री बाराबंकी
228. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
229. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
230. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
231. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
232. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
233. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
234. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
235. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
236. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
237. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
238. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
239. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
240. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
241. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
242. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
243. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
244. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
245. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
246. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
247. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
248. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
249. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
250. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
251. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
252. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
253. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर

254. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
255. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
256. विजय सिंह, श्री रामपुर
257. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
258. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
259. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
260. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
261. वीरपाल राठी, श्री बागपत
262. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
263. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
264. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
265. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
266. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
267. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
268. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
269. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
270. शाकिर अली, श्री देवरिया
271. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
272. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
273. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
274. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
275. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
276. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
277. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
278. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
279. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
280. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
281. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
282. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
283. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
284. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
285. संजय कपूर, श्री रामपुर
286. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
287. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
288. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
289. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
290. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
291. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
292. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
293. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
294. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
295. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
296. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
297. सियाराम सागर, डा0 बरेली
298. सीमा, श्रीमती जौनपुर
299. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
300. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
301. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
302. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
303. सुधाकर, श्री मऊ
304. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
305. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
306. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
307. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
308. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
309. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
310. सुरेश राणा, श्री शामली
311. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
312. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
313. सुल्तान बेग, श्री बरेली
314. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
315. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
316. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
317. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
318. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर

319. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
320. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
321. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
322. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :– पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

कैग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश का बजट खर्च न हो पाने सम्बन्धी प्रकरण एवं हापुड़ तथा मेरठ में लाठी चार्ज की घटना उठाने का प्रयास

(श्री प्रदीप माथुर, श्री दलवीर सिंह एवं कतिपय अन्य सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से सदन में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अध्यक्ष जी, कैग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का बजट और अनुपूरक बजट खर्च नहीं हो पा रहा है तो कैग की रिपोर्ट का खुलासा किया जाये कि कितना परसेण्ट बजट खर्च नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ है ? मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और मेरठ में लाठी चार्ज हो रहा है।

(राष्ट्रीय लोकदल के श्री दलवीर सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा वेल में आने और समाचार–पत्र प्रदर्शित किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप इसमें कहां आ रहे हैं ? ये आप क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं ? जब कार्य सूची में मद संख्या लिखी है तो जो आपका विषय है आप उस विषय पर बोलियेगा।

(सदन के वेल से)

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, हमने एक नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष–

अरे, नोटिस दिया है, कल भी इसी नोटिस पर इतनी बहस हुई है। अब आप अपने स्थान पर चलिये। यह आपको शोभा नहीं देता है, आप सीनियर मेम्बर हैं और सदन आपका इतना सम्मान करता है उसके बाद भी आप हर बार वेल में आ जाते हैं। अब आप लोग अपनी सीटों पर चलिये।

(तत्पश्चात सदस्य श्री दलवीर सिंह एवं अन्य मा0 सदस्य अपने–अपने आसनों पर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य पदार्थों से मिलावट रोकने के उपाय

''01–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में हो रही भारी मिलावट को रोकने के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षण, छापों एवं विशेष अभियान के माध्यम से प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

मा0 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आज वह हैं नहीं क्योंकि परिषद् में लग गया है।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे याद है कि पिछले सत्र में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने ही एक उदाहरण सुनाया था और कहा था कि जब इस बात की बहस हुई कि दूध में मिलावट है कि नहीं तो उन्होंने ही बताया था कि उसमें पूरा का पूरा दूध था ही नहीं तो कहा कि सजा कैसे बनती है जब दूध है ही नहीं। मंत्री जी ने सुनाया था तो क्या सरकार को जानकारी है कि तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ चाहे तेल हो। मा0 अध्यक्ष जी, तेल में जो भूसी है चावल की तो उसमें केमिकल इस प्रकार के आ रहे हैं कि केमिकल मिलाओ और ऐसा लगता है कि जैसे सरसों का तेल है और उससे बहुत ही खतरनाक बीमारी कैंसर जन्म लेती है। तमाम रिफाइण्ड, हल्दी, दूध और मावा तो प्रचलन में है ही जिसकी एक सिंथेटिक मण्डी लगी हुई है। मेरा प्रश्न था कि क्या कोई ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे, जवाब में आया कि वर्ष 2011 का जो प्राविधान हैं उनके अन्तर्गत ही लगातार छापे और ये तमाम विशेष अभियान चल रहा है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं चूंकि मैंने ठोस कार्य योजना की बात कही है और यह सच है कि 2011 के बाद छापे और निरीक्षण के बाद भी पूरा प्रदेश जानता है कि किस प्रकार खाद्य पदार्थों में भारी मिलावट चल रही है तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितने लोगों के खिलाफ इस प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही हुई है नम्बर एक। नम्बर दो, इस प्राविधान में मिलावट पकड़े जाने पर क्या सजा का प्राविधान है और नम्बर तीन इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुये क्या सरकार, चूंकि छोटा–मोटा तो बता ही देंगे तो क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाकर सजा बढ़ाने का प्राविधान करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह व्यापार और व्यापारियों से जुड़ा मामला है और बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग इससे सम्बन्धित है, उनका कारोबार, उनका रोजगार और उनकी सियासी ताकत भी, जिससे हमसे ज्यादा आप अच्छी तरह परिचित हैं। फिर भी प्रदेश

सरकार ने आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिनांक 28–02–2015 तक 70347 निरीक्षण, 9677 छापों के माध्यम से कुल 12654 नमूने संग्रहित किये गए। उपरोक्त अवधि में प्राप्त 8398 जांच रिपोर्ट में 2700 नमूने अधोमानक, 141 नमूने मिथ्याछाप, 298 नमूने असुरक्षित एवं 422 नमूनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। उपरोक्त अवधि में न्यायालय, न्याय, निर्णयन अधिकारी ने निर्णीत 1532 वादों में कुल 5 करोड़ 19 लाख 85 हजार 654 रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया तथा न्यायिक न्यायालय में निर्णीत 167 वादों में 139 को सजा व रुपये 18 लाख 1 हजार 750 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मान्यवर, सरकार का काम इन लोगों को पकड़कर अदालत के दरवाजे तक पहुंचा देना है उसके बाद माननीय न्यायालय का फिर अपना मामला रहा हो, वह किस तरह से उसको देखते हैं।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, एक तो मैंने यह पूछा था कि इसमें सजा का क्या प्राविधान है और दूसरा मेरा निवेदन यह था कि सरकार क्या इस विषय की गंभीरता को देखते हुए, कोई सजा बढ़ाने का प्रस्ताव लाएगी, कोई इस प्रकार की नीति तैयार करेगी, कोई इस प्रकार का कानून लाएगी कि जिससे मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसकी सजा बढ़ जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वो असल में हमारी और आपकी दोनों की जानकारी थोड़ी कम है। इसमें भी अच्छे ही दिनों से काम चलेगा, इसमें कानून भारत सरकार ही संशोधित कर सकती है। हम भी सदन के माध्यम से गुजारिश करते हैं, आप भी कर लीजिए। हम तो बहुत सख्त सजा के हक में हैं, लेकिन जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी, जब तक अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं होगी, अच्छा अच्छे दिन कैसे आएंगे, व्यापारी को पकड़ेंगे तो उसी अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, किसानों के मामले में गलत हाथ पड़ गया, तो हम, आप दोनों मिलकर भारत सरकार से आग्रह कर लें।

श्री नीरज(कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह खाद्य पदार्थ में मिलावट से सम्बन्धित विषय का यह प्रश्न है और खाद्य पदार्थ में मिलावट करना एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि यह हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मान्यवर, एक और छोटी सी कठिनाई, जो अक्सर हम लोग क्षेत्र में भी देखते हैं कि जैसे सरसों का तेल है, इसको खुला बेचने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, लेकिन जो तमाम ऐसे छोटे–छोटे मजदूर हैं और हमारे तमाम ऐसे गरीब लोग हैं, जो फुटकर में 10 रुपये का, 20 रुपये का लेने जाते हैं, तो ऐसे दुकानदारों के साथ जो खाद्य निरीक्षक हैं, वह जाकर उनको यह कहता है कि आप खुला तेल नहीं बेच सकते या उनको प्रतिबंधित कर रहा है। इसमें मैं चाहूंगा कि सरकार इसे संज्ञान लेकर, क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जो गरीब, कमजोर,

मजदूर हैं, उनको सही सामान भी मिले और बेवजह दुकानदार को परेशान भी नहीं किया जाए। इस पर मैं चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई योजना है आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कितना अच्छा सुझाव है, ''बागवां खुश रहे, राजी रहे सैय्याद भी'' चोर चोरी करता रहे और चौकीदार आवाज देता रहे, विचार कर लेंगे इस पर भी।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं आपने हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह सर्व विदित है कि मिलावटी पदार्थ खाने से मृत्यु भी हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को मिलावट का काम करने पर दोषी ठहराया गया और उन्हें दण्डित करने का भी प्राविधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि मिलावट करने वाले, दोषी पाये जाने वाले लोगों पर क्या सरकार रासुका लगाने की कार्यवाही करेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, रासुका तो छोटी चीज है, मिलावट करने वालों को तो फांसी होनी चाहिए मैं तो इसके पक्ष में हूं। यह कानून केन्द्र ही बना सकता है और हम लागू कर देंगे।

इसके अलावा माननीय सदस्य को सूचनार्थ कैबिनेट द्वारा रासुका में बन्द किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन आपको याद होगा मैंने यहीं जिक्र किया था कि चाइना में दो केस रिपोर्ट हुए, एक को उन्होनें उम्र कैद की और एक को उन्होंने जो उनका कौन सा स्क्वायर है, उस पर उन्होंने हैंग कर दिया। इसमें जब तक आप ऐसी सजा नहीं देंगे क्योंकि मिलावट से जिस तरह के नुकसानात् हो रहे हैं और जैसे इनडारेक्ट प्वाइजन दे रहे हैं। हमारे भाई ने जैसा कहा मैंने तो मिसाल दी थी आपको मैंने कोर्ट में एक फैसले की मिसाल दी थी कि वकील साहब ने कहा कि यह एडल्ट्रेशन का केस ही नहीं है आपने मिलावट की रपट की है यह जो लैबोरेटरी की रिपोर्ट आयी हैं इसमें एक बूंद भी दूध नहीं है, पानी है, वाटर कलर है और फेवीकाल है, अगर इसका कोई कानून हो तो इसकी सजा दीजिये। एडल्ट्रेशन की सजा आप हमें नहीं दे सकते। इसके लिए यकीनन मैं तो समझता हूं कि अगर मिलावट के लिए केन्द्र कोई ऐसा सख्त कानून लाये जैसा मैंने कहा तो अवश्य ही अच्छे दिनों की शुरूआत हो जायेगी।

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश के सम्पूर्ण नहरों की सफाई कराये जाने की मांग

'01–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि प्रदेश में रबी की फसल की बुवाई से पहले होने वाली नहरों की सफाई का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है जिसके कारण रबी की फसलों की सिंचाई के लिये भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की सम्पूर्ण नहरों की सफाई के लिये कोई त्वरित कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा परती भूमि विकास, राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी नहीं। रबी 1422 फसली वर्ष 2014–15 में नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य प्रगति में है। अब तक विभागीय मद से 22557 किमी0 नहरों एवं मनरेगा मद से 8543 किमी0 नहरों की सिल्ट सफाई कराई गई है। रबी की सफाई के लिये पानी उपलब्ध कराने में समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि प्रदेश में करीब चौहत्तर हजार किलोमीटर लम्बाई की नहरे हैं और जो सरकार का जवाब आया है कि 22557 और 8543 कुल करीब तीस हजार नहरों की सफाई हुई। माननीय अध्यक्ष जी, जिन नहरों की सफाई हुई भी है, वह भी मानक के अनुसार नहीं हुई। हमारे आगरा, कुछ अलीगढ़ का हिस्सा, कुछ एटा का हिस्सा और मथुरा जिले में तीन जो नहरे हैं, मुख्य आगरा कैनाल, लोअर माट और हाथरस ब्रान्च से पानी मिलता है। तीनों नहरों की पिछले तीन साल से एक भी किलोमीटर सफाई नहीं हुई और उनसे निकलने वाली नहरे जो हमारी विधान सभा में दोनों ब्लाक डार्क हैं धंगैटा, खंधौली और सेमरा और कुरसण्डा में न तो एक बूंद पानी आया और न ही एक किलोमीटर नहर की सफाई हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नहरों की सफाई की पारदर्शिता और मानक के अनुसार हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाये गये और जिन नहरों का मैंने जिक्र किया आगरा कैनाल, लोअर माट और हाथरस ब्रान्च जिनकी पिछले तीन साल से सफाई नहीं हुई हैं, उनकी सफाई कराते हुए क्या टेल तक पानी पहुंचाने का काम सरकार करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने बताया कि 74 हजार किलोमीटर नहरे हैं। यह सही है कि 74 हजार किलोमीटर नहरें हैं। जिसमें से मुख्य नहरें हैं 7317 किलोमीटर, शाखाएं हैं 24243 किलोमीटर और रजबहा हैं 33393 किलोमीटर अल्पिकायें हैं। अगर इनकी पूरी नहरों की सफाई कराई जाय तो मुझे पैसा

चाहिए कम से कम 22 हजार करोड़ रुपया और अभी तक गूलों की स्थिति भी बहुत खराब रही है अभी हमने भारत सरकार से पैसा मांगा था। अब भारत सरकार का सिंचाई का पिछले साल था 14 हजार करोड़ रुपया अबकी कर दिया गया एक हजार करोड़ रुपया तो यह तो अच्छे दिन है एक हजार करोड़ रुपया कर दिया गया और एक पैसा नहीं मिला है अभी तक। वैसे हमने बता ही दिया है कि हमने अभी तक 22557 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई करा दी है और अभी तक मुझे कोई शिकायत भी नहीं मिली है। माननीय सदस्य अगर कहेंगे, कहीं अगर है जरूरत तो हम उस पर विचार करके सफाई करा देंगे, विचार करेंगे पूरा सफाई कराने का। माननीय अध्यक्ष जी, और हमने दो बार सफाई का ध्यान रखा है पहले तो सफाई अक्टूबर के लास्ट महीने में होती है जब सिल्ट कहीं–कहीं जम जाती है तो सिल्ट निकालना पड़ती है उसके अलावा जहां पर नहरे रुकी पड़ी थी उसकी वजह से मैंने अप्रैल के बाद फसल कटने के बाद मई और जून के महीने में भी हमने वहां पर सिल्ट सफाई कराई है और इसके अलावा पानी पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचे किसानों के खेत तक इसके लिए जो टिहरी में हमारा बांध है अभी तक उसमें 820 मीटर ही पानी भरा जाता था हमने प्रयास किया है उत्तरांचल सरकार से कि 830 मीटर पानी उसमें भरे। पानी की तो कमीं है नहीं और यह भी हमारा प्रयास है किसानों को समय से पानी मिले समय से सिल्ट सफाई हो जाय पूरा मैंने प्रयास किया है।

डा0 धर्म पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नाम लेकर कुछ नहरों का जिक्र किया था आगरा कैनाल, लोअर माट और हाथरस ब्रान्च और उससे निकलने वाली धगेहटा, कुरसण्डा, सेंमरा और खन्दौली जिनमें माननीय अध्यक्ष जी एक बूंद न पानी आया और न उनकी सफाई हुई मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या इन नहरों की सफाई कराते हुए टेल तक पानी पहुंचायेंगे।

श्री शिव पाल यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा है एक बूंद पानी नहीं हमे अभी तक शिकायत नहीं मिली है और टेल तक पानी पहुंचा है। अगर कहीं पर कमीं है तो लिखकर दे दें चाहिये तो।

श्रीमती सीमा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हमारा जनपद जौनपुर है हमारा हेड प्रतापगढ़ है और हमारा हेड इलाहाबाद है तो जब इनकी मर्जी होती है पानी देते हैं जब इनकी मर्जी होती है पानी बन्द कर देते हैं। जब हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तब तो वह हेड से पानी बन्द कर देते हैं और जब उनकी सिंचाई हो जाती है तो पूरा पानी हमारे यहां छोड़ देते हैं। मान्यवर, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो हमारे यहां मड़ियाहूं ब्रान्च है जो हमारे यहां टेल का काम करती है क्या उस पर समय से पानी छोड़ने और समय से पानी देने के लिए दोनों को निर्देशित करेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी हमने आदेश यह दे दिया कि जो इनका खण्ड पड़ता था बनारस में और दूसरा खण्ड कहां पड़ता था बताया इलाहाबाद मिर्जापुर, मैंने आदेश कर दिये हैं अब खण्ड जौनपुर में ही इक्सियन बैठेगा और समय–समय पर इन्हें पानी भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो रुड़की से निकलती है देवबन्द पैरलल नहर और एक नहर है पूर्वी यमुना नहर, दोनों की कार्य योजना तैयार की गयी थी सिंचाई विभाग के द्वारा। मान्यवर, 4 जिले हैं श्यामली, सहारनपुर, बागपत आगे मेरठ तक जिस तरह से भू–गर्भ जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है 800 क्यूसेक पानी आता है पूर्वी यमुना नहर में और एक हजार क्यूसेक पानी आता है देवबन्द पैरलल नहर में और दोनों आकर के हमारे विघान सभा क्षेत्र में एक जगह है गंजेवड़ा जगह है वहां मिल जाती है, 1800 क्यूसेक पानी बहता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि चूंकि यह नहर बहुत लम्बी गई है दिल्ली के आखिर तक और उसमें सिल्ट जमी हुई है इसलिये उसमें 1800 क्यूसेक पानी नहीं आ रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि रजबहों की सफाई हुई है और यह जो बड़ी नहर है इससे रजबहों में पानी जाता है तो जब बड़ी नहर में ही पानी नहीं होगा तो रजबहों तक पानी कैसे जायेगा ? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि पैरलल देवबन्द नहर और पूर्वी यमुना नहर जिनमें 1800 क्यूसेक पानी की जगह मात्र 700–800 क्यूसेक पानी चल रहा है तो क्या उन दोनों नहरों की सिल्ट सफाई माननीय मंत्री जी कराकर 1800 क्यूसेक की पूरी क्षमता से पानी देंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि टिहरी बांध में पूर्व से 820 मीटर जो पानी भरा जाता है, उसकी जगह 830 मीटर पानी भरवाये जाने का प्रबन्ध हमने किया है और मैंने यह भी कहा कि सभी नहरों की सफाई के लिये हमें 20 हजार करोड़ रुपया चाहिये, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जैसे ही संसाधन आयेंगे, वैसे ही सफाई करवा देंगे।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सब जगह सफाई हुई है, खुदाई हुई है, तो माननीय मंत्री जी अगर आप आज ही चाहें तो निरीक्षण करा लें आपकी नहरों की जहां–जहां शुरूआत होती है, वहां पर सफाई हो गई है और आखिर में जहां पर नहर खत्म होती है वहां पर सफाई हो गई है, बीच में सफाई नहीं होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मथुरा जनपद की बात बताना चाहूंगा कि हमारे मथुरा जनपद में मांट ब्रांच है,

जो किसानों की सिंचाई का एकमात्र साधन है और इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिये अन्य कोई साधन नहीं है, यहां पर भू–गर्भ का जल खारा है। इस मांट ब्रान्च के बाह रजबहा और बलदेव रजबहा की स्थिति यह है कहीं पर भी इनसे किसान को पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह वहां पर पानी पहुंचवायेंगे ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

माननीय अध्यक्ष जी, अब एक–एक रजवाहा के बारे माननीय मंत्री जी कहां तक बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। श्री अजय कुमार लल्लू जी, अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के लिये माननीय मंत्री जी ने 275 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है और पिछले साल भी बजट में प्राविधान किया था, उसके टेण्डर हुये भी काफी दिन हो गये और यह पूरे चार जनपदों में सबसे बड़ी नहर परियोजना है, लेकिन इसमें अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है, जबकि पिछले साल का टेण्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो रजबहे हैं, स्केप हैं, उन तमाम छोटी–बड़ी नहरों में पानी देने के लिये क्या माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द उसका जीर्णोद्धार कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका काम कराने के लिये टेण्डर भी पड़ गया है और अप्रैल–मई तक यह हो जाना चाहिये।

(श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रोशनलाल वर्मा तथा विपक्ष के कई सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग इस पर कितने सवाल पूछेंगे। चलिये, अब हो गया। आप लोग अपने–अपने क्षेत्र का लिखकर दे दीजियेगा। अगला प्रश्न डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का है, जो यहां पर नहीं है, तो अब मैं अगला प्रश्न श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का ले लेता हूं।

प्रदेश में बाढ़ से बचाने हेतु नदियों को जोड़ने की मांग

'02–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से बचाने हेतु नदियों को जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी प्रस्तावित रूपरेखा क्या है तथा इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रदेश में नदियों को आपस में जोड़ने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उपाय

'01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की नीति क्या है ? क्या सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को एक समय–सीमा के अन्तर्गत नियंत्रित करने तथा प्रदेश में जनसंख्या स्थरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की तर्ज पर प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना है, जोकि वर्तमान में 3.4 (2011) है। जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नवत् गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :–

<u>अन्तराल विधियां–</u>

- सेवा केन्द्रों पर खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- सेवा केन्द्रों पर निरोध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

- सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क आई0यू0डी0 380 ए का निवेशन किया जा रहा है जो 10 वर्ष तक प्रभावी होती है।

<u>स्थायी विधियां–</u>

जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय व मेडिकल कालेजों में नियमित रूप से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियत दिवस पर निःशुल्क महिला एवं पुरुष नसबन्दी की सेवाएं प्रदान की जाती है।

<u>अन्य गतिविधियां–</u>

- प्रत्येक पुरुष नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 2000/– की धनराशि तथा प्रत्येक महिला नसबन्दी स्वीकारकर्ता को रु0 1400/–की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु जनपदों को अलग से धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
- नसबन्दी कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु जनपदों में एनएस0वी0 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
- सुदूर क्षेत्रों में नसबन्दी शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- प्रसव उपरान्त महिलाओं को नसबन्दी करवाने अथवा अन्य परिवार नियोजन विधियों के सम्बन्ध में सलाह प्रदान करने हेतु चयनित सेवा केन्द्रों पर संविदा पर फैमिली वेलफेयर काउन्सलर की तैनाती की गयी है।
- नसबन्दी (महिला एवं पुरुष) स्वीकारकर्ताओं हेतु नसबन्दी उपरान्त मृत्यु, असफल नसबन्दी व नसबन्दी उपरान्त जटिलताओं हेतु परिवार नियोजन इनडेमनिटी योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह मानना है कि जितनी भी प्रदेश में समस्यायें हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि निरन्तर हो रही है। जितनी माननीय मंत्री जी ने योजनायें बताई, हमने 2005 में भी यह योजनायें सुनी थीं, 2010 में भी सुनी और वही उत्तर उतार कर आज भी भेज दिया गया है। मान्यवर, हम कितनी ही सेवायें और संसाधन बढ़ायें लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण वह कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मान्यवर, सबसे मूल समस्या की जड़ यही है और इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार जनसंख्या स्थरीकरण करने की या कम करने के विचार से सहमत है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने 2016 का स्थरीकरण का लक्ष्य 2.1 बताया और उत्तर का पहला पैराग्राफ आप देख लें। वर्तमान में 2011 का जो सेंसेस आया है, उसमें जनंसख्या वृद्धि दर 3.4 है। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिये हमने जो भी कार्यक्रम

अपनाये, वह पूरी तरह से निष्प्रभावी हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण के विचार से सहमत है और यदि सहमत है तो कोई ऐसी व्यवहारिक और प्रभावी नई योजना, जिससे वास्तव में जनसंख्या को कम किया जा सके, रोका जा सके और 2016 का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जा सके, लाने पर सरकार विचार करेगी, यह दो सवाल मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने यह जो बातें रखी हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, यह सामाजिक सरोकार से जुड़ा विषय है और एक ऐसा विषय, जिस पर हमारी सरकार या कोई भी सरकार अगर आने वाले दिनों में इसकी भयावहता की तरफ ध्यान नहीं देगी तो हमारे सारे विकास कार्यो को वह पीछे ढकेलता चला जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, 3.4 प्रति कपल का जो रेशियो था 2011 का, उसको हमने 2011–12 में घटाने का काम किया और वह 3.3 पर लाये और 3.3, इस हिसाब से .1 प्रतिशत ही घटा है यह संख्या सुनने में बहुत कम लगती है लेकिन वास्तविकता यह है और इस बात को माननीय खन्ना जी भी जानते हैं कि .1 परसेंट ही हमने प्रजनन दर घटाया, उसका आशय है पूरे उत्तर प्रदेश में 18 लाख बच्चों की जन्मदर कम हो गई। यह ऐसा आंकड़ा है कि जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की प्रजनन दर की जो सांख्यकीय है उसको प्रभावित करता है। इसी तरह से अध्यक्ष जी हमने पिछले वित्तीय वर्ष में .1 प्रतिशत और घटाने का काम किया और प्रजनन दर 3.2 आया इससे 16 लाख से ज्यादा बच्चों की जन्मदर कम हुई। कुल तीन वित्तीय वर्षों में एथेन्टिक आंकड़ा तो मैं इस समय नहीं दे सकता हूं क्योंकि एथेन्टिक आंकड़े की बात आयेगी तो खन्ना साहब उसमें गला पकड़ेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इन तीन वित्तीय वर्षों में जो प्रजनन दर है वह अब तक 50 लाख जन्मदर कम हो चुकी है। सरकार इसके लिए गम्भीर है क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रजनन दर पहले थी 3.4 अगर यह प्रजनन दर नियन्त्रित नहीं हुई तो आने वाले 20 से 25 साल के अन्दर अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी जो आज 20–21 करोड़ है यह लगभग 45 करोड़ हो जायेगी। जब 20–21 करोड़ की आबादी के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर स्कूल, बेहतर सड़क तथा बेहतर अन्य जनसामान्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जब 20–25 साल के बाद जब उत्तर प्रदेश की आबादी 45 करोड़ हो जायेगी तो क्या हम सारे संसाधन उपलब्ध करा पायेंगे। इसलिए सरकार इसके प्रति गम्भीर है, सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है, जहां तक मा0 खन्ना जी ने जनसंख्या स्थिरीकरण से सहमत होने की बात कही है, हम साफ–साफ कहना चाहते हैं कि सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए केवल सहमत ही नहीं है बल्कि गम्भीर भी है।

दूसरी बात आपने कोई व्यावहारिक योजना पूछी है तो व्यावहारिक योजनाएं जो हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि जब तक हम इसके

कारकों में नहीं जायेंगे, इसके कारणों का पता नहीं लगायेंगे तब तक हम इस जनसंख्या वृद्धि को रोक पाने में असफल होंगे। इसके मूल कारण क्या हैं जहां से यह जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा फैलती है वह लोग कौन हैं, उनके अन्दर कौन सी ऐसी भावना है, उनका अविश्वास क्या है, कौन से कारण हैं जिससे वह इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, इन कारणों पर हमने गहनता से अध्ययन कराया है। हमने पता कराया है कि कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है, मान्यवर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर यदि कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश की गरीबों की बस्तियों में है, स्लम बस्तियों में है। वह स्लम बस्तियां किसी मजहब की मोहताज नहीं, स्लम बस्ती चाहे हिन्दू की हो, चाहे मुसलमान की हो, जहां भी स्लम बस्ती है, जहां भी अशिक्षा है, जहां भी गरीबी है वहां पर जन्मदर सबसे ज्यादा है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों को, यह पक्ष विपक्ष की बात नहीं है यह केवल सत्ता सरकार की बात नहीं है, हम सामने बैठे हुए सभी मा0 सदस्यों और आपसे भी चाहेंगे कि यह जनसंख्या वृद्धि जो प्रदेश के सारे विकास के लिए अवरोधक बनेगा इसको रोकने लिए हम सभी को मिल करके प्रयास करना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया इसमें एक लाइन यह भी कही कि यदि हम सही बात बतायेंगे तो आप हमारा गला पकड़ेंगे। यह मा0 मंत्री जी का उत्तर है आप कार्यवाही देख लें, मैं कोई गला पकड़ने नहीं जा रहा था।

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने यह नहीं कहा बल्कि मैंने यह कहा कि मेरे पास एथेन्टिक आंकड़ा इस समय नहीं है इसलिए मैंने एथेन्टिक आंकड़े की बात कही है हमने यह नहीं कहा है कि हम सही बात बतायें तो आप हमारा गला पकड़ेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने स्वयं इसकी भयावहता के ऊपर प्रकाश भी डाला और 25 साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी इसके बारे में भी बताया। मैंने सीधा–सीधा सवाल किया था कि क्या कोई नई योजना जो प्रभावी हो और व्यावहारिक हो क्या उसको मा0 मंत्री जी लागू करेंगे, इन्ट्रोड्यूश करेंगे। उसके बारे में एक लाइन भी नहीं कही है, सामाजिक व्यवस्था बता दी। हमको भी सामाजिक व्यवस्था मालूम है। 1975 के बाद किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में एक लाइन बोल सके। हम इस हाउस में 1989 में आये और एक भी सत्र ऐसा नहीं हुआ जिसमें हम यह सवाल न लाये हों क्योंकि सबसे बड़ा देशभक्ति का आधार यही है कि इस देश की जनसंख्या वृद्धि को किसी न किसी तरह से नियंत्रित किया जा सके।

श्री प्रदीप माथुर–

पूरी विधान सभा यह जान ले कि इन्होंने देश के प्रति सैक्रीफाइस किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो यह योजनायें हैं ये अगर प्रभावी होती तो जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम बढ़ते। हमारा 2016 का जो लक्ष्य है उसकी तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि यह प्रभावी नहीं है। तो क्या इन योजनाओं पर पुनर्विचार करेंगे और कोई ऐसी व्यावहारिक व प्रभावी योजना लायेंगे जिससे वास्तव में जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद मिले।

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, माननीय खन्ना जी को पदमश्री दिलवाया जाए।

(माननीय मंत्री श्री शंख लाल मांझी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हुए लेकिन मा0 नेता विरोधी दल के खड़े होने पर वह अपने आसन पर बैठ गये।)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित एवं स्थिरीकरण के संबंध में जो प्रख्यापित नियम हैं उसको और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी राजनीतिक विशेष के मा0 सांसद, साधू और साध्वी जो चार बच्चे, आठ बच्चे, बारह बच्चे पैदा करने की अपील करते रहते हैं और यहां तक कि 40 बच्चे पैदा करने की वकालत करते रहते हैं, क्या इसकी प्रति उन तक पहुचायेंगे और इसका अनुकरण न करने पर उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई करेंगे ?

(श्री सुरेश राणा द्वारा अनुपूरक पूछने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सवाल का जवाब आ गया, अब आगे चलने दीजिए और भी सवाल हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा पूछने के लिए नहीं बचा इसलिए बैठ जाईये। तारांकित प्रश्न संख्या–2 डा0 धर्मपाल सिंह।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कृपा करके मेरी बात तो सुन लें। इस सदन की परम्परा आपने ही बनायी है कि जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उसको अंतिम प्रश्न करने का एक मौका देते हैं। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया और नेता विरोधी दल को अवसर दे दिया। मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा देते।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए थे लेकिन नेता विरोधी दल खड़े हो गये इसलिए वह बैठ गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने एक बात उठायी, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिनके तीन बच्चों से ज्यादा हैं क्या उनको इलेक्शन लड़ने से रोकने पर विचार करेंगे जो लोकल बाडी के इलेक्शन हैं उसमें इसको लागू करेंगे।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, इसमें मेरा एक सुझाव और जोड़ दें कि जिनकी पत्नियां नहीं है वह भी पर्चा नहीं भर सकते। (हंसी)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जिनके तीन बच्चे से ज्यादा हैं क्या उनको लोकल बाडीज के इलेक्शन हैं उससे वंचित करेंगे ? जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई योजना, जब नई योजना नहीं बतायी तो मैं यह पूछ ले रहा हूं। नेता विरोधी दल का एक विचार आ गया। हमारा विचार यह है कि जिनके तीन बच्चों से ज्यादा हैं क्या उनको इलेक्शन लड़ने से रोकने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह नीतिगत प्रश्न है, अब बैठिये। तारांकित प्रश्न संख्या–2 डा0 धर्मपाल सिंह।

अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश में शराब पाबन्दी की मांग

'02–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कुछ राज्यों जैसे गुजरात, मिजोरम, नागालैण्ड व मणिपुर के कुछ हिस्सों में शराब पर पूर्ण पाबन्दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में अधिक शराब पीने से बर्बाद हो रहे परिवारों को बचाने के लिये शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबन्दी लगाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

गुजरात, मिजोरम, नागालैण्ड एवं मणिपुर राज्यों में शराब पर पाबन्दी के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

(1) **गुजरात :–**राज्य में प्रभावी नियमों के अनुसार अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण, संचय, विक्रय एवं उपभोग पर पाबन्दी है। विदेशी एवं अप्रवासी नागरिकों के लिये 30 दिनों का लिकर क्रय परमिट दिये जाने की व्यवस्था है।

(2) मिजोरम :–मिजोरम राज्य में वर्ष 1995 में अल्कोहल के विक्रय एवं उपभोग को प्रतिबन्धित किया गया था। वर्ष 2007 में अमरूद एवं अंगूर से निर्मित अल्कोहल की निर्धारित सीमा एवं मात्रा की वाइन के विक्रय एवं उपभोग को अनुमन्य कर दिया गया है। जनवरी, 2015 से मिजोरम राज्य में अल्कोहल के विक्रय एवं उपभोग पर लगे प्रतिबन्ध को हटा/समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार वहां अब शराब की बिक्री पर पाबन्दी नहीं है।

(3) नागालैण्ड :–नागालैण्ड राज्य में वर्ष 1989 से अल्कोहल का विक्रय एवं उपभोग प्रतिबन्धित है।

(4) मणिपुर :–मणिपुर राज्य में शराब पर अप्रैल, 1991 से पाबन्दी लगी थी। वर्ष 2002 में 5 जिलों से यह पाबन्दी हटा ली गई है। शेष 4 जिलों में पाबन्दी है।

राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति के अन्तर्गत नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से जन–सामान्य एवं व्यसनियों को जागरूक करने तथा सर्वसाधारण को नशे से विरत रखने के लिये मद्य निषेध से सम्बन्धित प्रचार–प्रसार का कार्य चलचित्र प्रदर्शन, होर्डिंग, वाल पेंटिंग, ट्रीगार्ड्स एवं बस पैनल आदि माध्यम से किया जाता है।

शराब की पाबन्दी के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद–246 की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या–2 की प्रविष्टि संख्या–8 के अन्तर्गत राज्य को मदिरा के उत्पादन, वितरण एवं विनियमन का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा मदिरा व्यापार के अनन्य विशेषाधिकार को अनुज्ञापी के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाता है। जिसके बदले में राज्य सरकार को प्रतिफल शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है। प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य की जनकल्याण एवं विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है।

शराब के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने से अवैध मद्यनिष्कर्षण एवं अवैध मदिरा के व्यापार को अपरोक्ष रूप से प्रश्रय मिलेगा तथा जन सामान्य अवैध स्रोतों से क्रय कर मदिरा का सेवन करने के लिये दुष्प्रेरित होगा, जो जनस्वास्थ्य के सर्वथा प्रतिकूल होगा तथा इससे व्यापक जनहानि की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रदेश में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना राजस्वहित/जनहित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठ जाएं हम आगे बढ़ गए हैं। हमने दूसरा प्रश्न ले लिया है। क्या उसी प्रश्न को घोंटते रहेंगे।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जिनके पत्नियां नहीं हैं। जिनकी पत्नी नहीं हैं यह तो वह कह सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि जिनकी पत्नियां नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी अभी केरल राज्य ने निर्णय लिया है कि आने वाले वर्ष में वह शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। अभी हाल ही में कई लोगों की प्रदेश में शराब सेवन से मृत्यु हो गई अभी कुछ दिन पहले ही यह आपके संज्ञान में भी होगा। अध्यक्ष जी इस प्रदेश में लाखों परिवार शराब के अधिक सेवन के कारण परिवार बरबाद हो गए।

अध्यक्ष जी सरकार के जवाब से यह भी स्पष्ट हो गया कि सरकार राजस्व के प्रति तो गम्भीर है लेकिन प्रदेश में रहने वाले गरीब परिवार जो शराब के सेवन से उजड़ रहे हैं उनके प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो यह, कि क्या सरकार ने प्रदेश में कोई सर्वे करवाया है कि प्रदेश में अभी तक शराब के सेवन से कितने परिवार बर्बाद हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह कहां से इतना विस्तार से प्रश्न पूछ रहे हैं आप।

डा0 धर्मपाल सिंह–

दूसरा प्रश्न मान्यवर, यह है कि क्या सरकार प्रदेश में शराब पर पूर्ण पाबन्दी लगाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी शराब पर पूर्ण पाबन्दी लगाने पर सरकार पुनर्विचार करेगी ? इसी का उत्तर दीजिये। वह दूसरा तो बहुत विस्तृत है।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अभी तो मेरी जानकारी में है नहीं अध्यक्ष जी और जो दूसरा प्रश्न किया इन्होंने तो मान्यवर, शराब की बिक्री को पूर्णतया बन्द कराना राजस्व और जनहित में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रदेश में ट्री शिफ्टिंग पद्धति को अपनाये जाने की मांग

'03–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधा अन्तर्गत सड़क, नहर आदि के निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से विदेश और देश के कई प्रदेशों में की जा रही ट्री शिफ्टिंग (पेड़ों को दूसरी जगह रोपित करना) कार्य पद्धति को अपनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में सड़क व नहर आदि के निर्माण के दौरान केवल बाधक वृक्षों का कटान कराया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह पर्यावरण के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था मेरा। इस पर मैं अनुपूरक पूछूंगा। पहली बात तो अध्यक्ष जी, मेरे इसी एजेन्डा

में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में प्रश्न संख्या– 163 में आपने स्वीकार किया है कि यमुना एक्सप्रेस–वे में 2558 पेड़ों का कटान हुआ और जो आपका लक्ष्य था उसके बदले पेड़ लगाने का वह 11786 पेड़ का था और इसके सापेक्ष आपने कुल 1736 पेड़ लगाये। ग्यारह बारह हजार पेड़ आपको लगाने थे, कुल 1700 पेड़ लगा पाये आप यमुना एक्सप्रेस–वे में। महोदय, मेरा इसमें मूल भाव यह है कि जितनी भी विकास की योजनाएं हैं चाहे वह सड़क है, चाहे वह नहर है, यह प्रदेश के लिये आवश्यक है। लेकिन उनके निर्माण के लिये बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होती है। प्रदेश सरकार क्लीन यू0पी0 ग्रीन यू0पी0 का नारा लेकर चल रही है। आपका जो आगरा लखनऊ का एक्सप्रेस–वे है वह ग्रीन फील्ड के नाम से आप लोग विकसित कर रहे हैं। तो इसमे जो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होगी तो 15, 20, 30 साल पुराने जो बड़े पेड़ हैं अगर वह कट जायेंगें तो दोबारा समझिये 20,30 साल पर्यावरण का कितना नुकसान होगा। तो इसके उत्तर में आपने यह कहा है कि आप आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेंगें, आपने स्वीकार किया है। तो पहला प्रश्न तो मान्यवर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो आधुनिक तकनीकी कार्य पद्धति को अपनायेंगे ट्री शिफटिंग को या ट्री रिप्लानटेशन को, तो इसमें आपने अभी तक क्या कार्यवाही की है।

वन, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)–

मान्यवर, यह आगरा ट्रिपेजियम के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही होती है चाहे वह पेड़ का कटान हो या दूसरी चीजें हैं इसके लिये मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनसे पहले जानकारी कर ली जाय। तो मान्यवर, वैसे भी उस ट्रिपेजियम के अन्तर्गत जो भी पेड़ कट रहे हैं मान्यवर, उनको हम ट्रांस लोकेशन की पद्धति से हम उसको वहां से उखाड़ते हैं। हमने इसके लिये मेसर्स रोहित नर्सरी पी–70 श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनक्लेव, 52 दादरी रोड, नई दिल्ली को कान्ट्रेक्ट दे दिया है। मान्यवर, वह एक प्रोसेस है, इसमें दो–तीन महीने में वह दरख्त के चारों तरफ गड्ढा खोदते हैं, दो या तीन महीने उसका इंतजार करते हैं कि अगर कोई जड़ें इन्जर्ड हो गई हैं तो वह अपने रिबूट कर लें और इसके बाद मान्यवर, मशीन से उसको उखाड़कर पहले से जो गड्ढा खुदा हुआ होता है उसमें लगा देते हैं। मान्यवर, यह प्रोसेस शुरू है। अभी तक कुल 950 पेड़ों का ट्रांस लोकेशन किया जाना है। इसके लिये हमने कान्ट्रेक्ट दे दिया है।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बिग जॉन कम्पनी की एक मशीन आती है जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपये के आसपास है और यह पूरे विश्व में और भारत के अनेक प्रदेशों में काम भी कर रही है। इसमें केवल एक कुशल आपरेटर, क्योंकि यह हाइड्रोलिक मशीन है, ट्रक पर माउन्ट होती है। एक दिन में दस से ऊपर करीब तीन फुट गहरे जो पेड़ हैं उनको रि–प्लान्ट कर देती है। मैं समझता हूं कि 75 लाख की मशीन जो भारत के अन्य प्रदेशों में भी काम कर रही है अगर आप ऐसी मशीनें लाकर पेड़ों की शिफ्टिंग करा दें तो आप यह समझ लें कि आपका बीस–तीस साल का पनपा हुआ पेड़ भी बचेगा और इस प्रकार की जो

रि–ट्रांसप्लान्ट में पेड़ पनपने की जो दर है वह 85 परसेन्ट के आसपास की दर है जो सफलता से पुनः रोपित हो जाते हैं तो यह बहुत बड़े पैमाने पर हरियाली को बचाने का भी काम होगा और बहुत बड़ी लागत भी इसमें नहीं आनी है इसकी सफलता दर भी बहुत अच्छी है और मशीन की कीमत भी ज्यादा नहीं है तो क्या विभाग ऐसी मशीनों को लाकर आधुनिक पद्धति से पेड़ों को रि–शिफ्ट करने का काम करने पर विचार करेगी।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मान्यवर, ऐसी जानकारी मुझे भी है और वन विभाग मान्यवर, इस पर सोच रहा है और यह उड़ीसा और गुजरात दो जगह पर है।

श्री मनीष आसीजा–

महाराष्ट्र में भी है।

श्री फरीद महफूज किदवई–

महाराष्ट्र में भी होगा उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मान्यवर, यह बहुत अच्छी पद्धति है यह उत्तर प्रदेश के लिए हम अधिकारियों को भेजेंगे, अगर यह पद्धति है तो यह पद्धति लागू की जाएगी।

'04–श्री सतीश महाना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के उपाय

'05–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ रोग के उन्मूलन के दावे के विपरीत प्रदेश में हजारों नये कुष्ठ रोगी पाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसके उन्मूलन हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं, कुष्ठ रोग के उन्मूलन का तात्पर्य कुष्ठ रोगियों की संख्या शून्य होना नहीं है। कुष्ठ रोग के उन्मूलन से तात्पर्य यह है कि प्रति 10,000 की जनसंख्या पर कुष्ठ रोगियों की संख्या (व्यापकता दर) एक से कम हो। प्रदेश स्तर पर कुष्ठ रोग के उन्मूलन का उक्त स्तर वर्ष 2005 में ही प्राप्त कर लिया गया है। प्रदेश के 75 जनपदों में से 62 जनपदों में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर एक से कम, 12 जनपदों में एक से दो के मध्य एवं मात्र एक जनपद बहराइच में व्यापकता दर दो से अधिक है।

कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर तक संचालित है। कुष्ठ रोग के उपचार हेतु मल्टी ड्रग थेरेपी की औषधियां जिला एवं ब्लाक स्तर पर निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। कुष्ठ रोगियों के उपचार के पश्चात् उनके पुनर्वास हेतु रि–कान्स्ट्रक्टिव एर्जरी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस हेतु प्रति रोगी रुपये 8,000/– की धनराशि तीन किश्तों में उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त एम0सी0आर0 (माइक्रो सेलूलर रबर) फुटवेयर सेल्फ केयर किट, स्पिलिन्ट, गिप्स, क्रचेज एवं गागल्स आदि भी बी0पी0एल0 अथवा नान बी0पी0एल0 सभी कुष्ठ

रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। कुष्ठ रोगियों की कालोनियों में रोगियों की ड्रेसिंग के लिये कालोनी स्तर पर ही ड्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है एवं कुष्ठ रोगियों को सेल्फ केयर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया कि किन शब्दों का क्या अर्थ है। आपके माध्यम से जो उन्होंने कहा है कि बहराइच में व्यापकता दर दो से अधिक है उन्होंने खाली एक दर को स्वीकार किया है मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां की दर को भी जो व्यापकता दर एक से कम हो उस स्तर तक लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कुष्ठ रोगियों के उपचार के पश्चात रि–कन्सट्रक्टिव सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जो बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है जो आप रि–कन्सट्रक्टिव की सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो किसके माध्यम से आप कराते हैं और आगे आपने यह भी कहा है कि इस हेतु प्रति रोगी रुपये 8000 की धनराशि तीन किश्तों में देते हैं तो क्या यह धनराशि जो रोगी हैं आप उनको उपलब्ध कराते हैं या जो संस्था या सरकारी हास्पिटल इस काम में लगे हुये हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, आप उनको उपलब्ध कराते हैं ? कृपया इसको स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 विद्वान सदस्य जी ने बहराइच की व्यापकता दर को कम करने के प्रयास करने के बारे में पूछा है। हम मा0 सदस्य को यह बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार का यह सुनिश्चित लक्ष्य है, मत है कि व्यापकता दर जो केवल उत्तर प्रदेश के एक जनपद बहराइच में ही केवल जो न्यूनतम सीमा है उससे अधिक है, हम वहॉ भी उसको नियंत्रित करने के लिये लगातार कैम्पों के माध्यम से, लगातार अनुश्रवण के माध्यम से और वहां पर रोगियों के उपचार की विधिवत व्यवस्था कराकर के वहां की व्यापकता दर को भी हम अण्डर लिमिट लाने के प्रयास में हैं और उसके लिये हम काम भी कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, कुष्ठ रोग का जो माइकोबैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु है, यह किसी के भी शरीर में बीस साल तक इसका प्रभाव हो जाता है। लगभग बीस साल तक यह सुषुप्तावस्था में रह लेता है और इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर का जब भी हुम्युनिटी लेवल कमजोर होगा तो यह जीवाणु ग्रो कर जाता है तो इसकी एक प्रॉब्लम यह है। इसकी दूसरी परिस्थिति यह है कि लैप्रोसी का अभी तक कोई टीका नहीं ईजाद हो पाया है। टीका ईजाद न हो पाने के कारण मुकम्मल तौर से इसका उन्मूलन करने में दिक्कते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर टीका नहीं है तो इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसके लिये जो हमारा एम0डी0टी0 यानी 'मल्टी ड्रग थैरेपी' है, इसकी खुराक दे देने से इसका जो प्रभाव है वह अपने आप खत्म होने लगता है और कम हो जाता है, प्रभावित नहीं कर पाता है तो हम इसके लिये प्रयासरत हैं और इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपने जो धनराशि दी जाती है, उसके बारे में पूछा

है। यह धनराशि तीन किश्तों में दी जाती है। मरीज को जब हास्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तब और उसके एक–एक महीने के अन्तराल पर, गैप पर हम पैसा तीन किश्तों में दे देते हैं और जहां तक एक सवाल आपने सर्जरी के बारे में किया था तो सर्जरी के बारे में विभाग की तरफ से, उन अंगों को कैसे सुधारा जाये, कैसे उनकी ग्रोथ ठीक की जाये, इसके बारे में किया जाता है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, कुष्ट रोग की बात आयी है तो वहां कुष्ट रोग का कारण क्या है, इसका अध्ययन कराकर के और उस कारण के भी निवारण के लिये भी क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, बहराइच का कारण पता लगाकर कोई निवारण करायेंगे ?

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि यह लैप्रोसी वैसे तो छुआछूत की बीमारी नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानकारी में अथवा अनजाने में लैप्रोसी के मरीज के टच में लगातार छह महीने रहता है तो वह व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाता है। यह कारण है बहराइच के बारे में हम अध्ययन करवा रहे हैं और उनके निवारण के लिए जो मैंने बताया कि जो हमारे उपाय हैं, वह उपाय भी किए जा रहे हैं और वहां भी हम व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मा0 अध्यक्ष जी, एक बात सरकार ने अच्छी कही है, लेकिन उसको मा0 मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर मैंने अभी बल दिया था, उन्होंने कहा कि कुष्टरोगियों के उपचार के पश्चात एक तो उन्होंने कहा कि उनको रखकर गोलियां देते हैं या जो भी करते हैं, ड्रेसिंग आदि, उसके बाद जब उनको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो उनके रिहैविलिटेशन के लिए यानी पुनर्वास के लिए उनको 3 किश्तों में 8 हजार रुपया प्रदान किया जाता है। यह जो पुनर्वास शब्द है तो इसको किस अर्थ में हम ले सकते हैं कि किसी कार्य को करने की क्षमता उनमें पैदा करना, कुछ रोजगार करने की उनके अन्दर क्षमता पैदा करना और सेल्फ डिपेंडेंट होने में उनकी मदद करना, किस अर्थ में इसको लिया जा सकता है ?

श्री शंखलाल मांझी–

मान्यवर, यह जो 08 हजार रूपया उनको दिया जाता है यह धनराशि उनको रोग से लड़ने की क्षमता के प्रोत्साहन हेतु दी जाती है। मा0 सदस्य, बहराइच ने अभी एक चीज और कहा था कि क्या उपाय करेंगे ? मान्यवर, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा स्पेशल एक्टीविटी प्लान है, उसके द्वारा आसपास के व्यक्तियों की पहचान की

जाती है और जिनमें यह लक्षण पाया है, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की जाती है। हम फ्री एम0डी0टी0 उनको उपलब्ध कराते हैं। मरीज को रेगुलर दवा खिलाने के लिए आशा बहुओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। बार–बार आशा बहुएं जा करके उनको बताती हैं कि वह समय से दवा लें और यदि समय पर दवा लेंगे तो यह इतना प्रभावी होगा। इसके लिए हम उन आशा बहुओं को भी प्रोत्साहन राशि देते हैं और मान्यवर, रिकास्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में जो हमारे विद्वान सदस्य ने पूछा है, उसकी निःशुल्क व्यवस्था हम देते हैं और वह प्रोत्साहन राशि है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि कालोनी स्तर पर ड्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो मेरी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह कहना है कि मेरे क्षेत्र में राजघाट क्षेत्र में एक छोटी सी कालोनी है, वहां कुष्ट रोगी रहते हैं और जब भी मुझे वहां जाने का अवसर मिलता है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वहां पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उनके ड्रेसिंग के लिए कोई डाक्टर या कोई कम्पाउण्डर वहां उपलब्ध रहता है, कोई उनको दवा दी जाती है तो क्या मा0 मंत्री जी इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो कुछ आपने कहा और सरकार की जो नीतियां हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं, यह देख लें और मान्यवर, इसके साथ ही एक प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जो कुछ कहा जा रहा है, अगर वह बिल्कुल सत्य है, उसका मिसयूज नहीं हो रहा है, मान्यवर, हमने अपनी काशी में तो देखा है कि वहां पर जो कुष्ट रोगी हैं, वह यहां पर पट्टी बांधे, पैर में पट्टी बांधे और भिक्षाटन करते नजर आते हैं तो क्या सरकार इस तरह के प्रदर्शन के द्वारा भिक्षाटन पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, कुष्ट रोगियों की कालोनी के बारे में जो मंशा है, आप और हम सभी भिज्ञ हैं कि कुष्ट रोगी अक्सर एक जगह जहां वह रुकते हैं, हमने अपने वहां बस्ती में स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन रोड पर और भी कई जगहों पर देखा है कि यह ग्रुप में रहते हैं। उसका मतलब यही है कि जहां पर यह ग्रुप में रहते हैं वहां पर हम इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए काम करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ऐसे रोगियों के प्रति भी संवेदनशील है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने 30 जनवरी 2015 को विश्व कुष्ठ दिवस पर विकलांग कुष्ठ रोगियों को 25 सौ रुपये प्रतिमाह मासिक पेंशन दिए जाने का निर्णय ले लिया है और यह 2015–16 में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा इसको क्रियान्वित भी किया जायेगा। कुष्ठ रोगियों के मामले में भी प्रदेश सरकार और मुख्य मंत्री जी विशेष रूप से संवेदनशील हैं और उनकी व्यवस्था भी देने की कोशिश की जा रही है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय बीमारियों की रोकथाम हेतु उपचार की व्यवस्था

'06–श्री सुरेश राणा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से बढ़ रही कैंसर, पीलिया, गुर्दा रोग, पक्षाघात आदि गम्भीर बीमारियों की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

कैंसर, पीलिया, गुर्दा रोग, पक्षाघात आदि गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही पूर्व से ही की जा रही है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना दिनांक 20–6–2013 द्वारा निर्गत ''उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली, 2013'' तदक्रम में निर्गत प्रथम संशोधन दिनांक 12–08–2014 की व्यवस्था अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/स्वायत्तशासी संस्थान में आये असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी) से ग्रस्त मरीजों के निःशुल्क उपचार हेतु सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 03–4–2008 तदक्रम में निर्गत कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 10–7–2012 द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड धारक या गरीब मरीज, जिनकी वार्षिक आय रु0 24,000/– तक है, को राज्य आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित चिकित्सा संस्थानों क्रमशः छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय) लखनऊ, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, सरसुन्दर लाल चिकित्सालय, बी0एच0यू0 वाराणसी, मेडिकल कालेज मेरठ तथा जे0एन0 मेडिकल कालेज अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न करने का आपने मुझे मौका दिया। यह ऐसे विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस समय प्रदेश में यह संवेदनशील प्रश्न है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गांवों में कैंसर जैसी बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है। हम भ्रमण के दौरान जब गांव में जाते हैं तो चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों सभी विधायक भ्रमण के दौरान जाते हैं तो एक–एक गांव में चार से छः व दस–दस मरीज कैंसर के हैं। मा0 अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न था और मैंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही कैंसर आदि तमाम जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रश्न के उत्तर में आया है कि इलाज की व्यवस्थाएं हैं 24 हजार से कम जिनकी आय है बी0पी0एल0 धारक हैं उनके इलाज की फलां–फलां जगह व्यवस्था है। मेरा प्रश्न मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना है कि बीमारी बढ़ने का कारण क्या है ? मैंने बीमारी की रोकथाम की बात कही है। आप विद्वान है और काफी

लम्बा जवाब भी देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे विभाग ऐसे हैं। जैसे मान लिया नालियों में पानी जमा है, पंचायतीराज है, जल जनित बीमारी हैं नलों का पानी खराब हो गया है, ग्राम्य विकास है, टीकाकरण है और समय–समय पर छिड़काव है, स्वास्थ्य विभाग है। तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या सरकार संयुक्त रूप से सभी जिम्मेदार विभागों को मिलाकर चाहे सफाई हो, चाहे नाली में पानी की रूकावट हो, छिड़काव हो चाहे टीकाकरण हो जलजनित बीमारी हैण्डपम्प में पानी दूषित होने का कारण हो इन सारी चीजों को मिलाकर इन तमाम समस्याओं के निवारण के लिए एक संयुक्त समिति बनायेगी ? दूसरी बात, जैसे कैंसर है लिखा है कि 24 हजार से कम आय हो। मैं कहता हूं कि जिनकी आय 24 हजार से ज्यादा भी है 24 हजार मासिक भी जिनकी आय है। आज कैंसर की बीमारी पर इतना खर्च होता है कि आम व्यक्ति, आम किसान कैंसर का उपचार नहीं करा सकता और देशी दवाओं, नीम हकीम के सहारे तड़प–तड़पकर दम तोड़ देता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार तमाम लोगों के लिए मण्डल स्तर पर कैंसर के इलाज के लिए चाहे कीमो हो चाहे रेडियोथैरेपी हो इन तमाम चीजों की सुविधायें सभी के लिए उपलब्ध करायेगी।

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 विद्वान सदस्य जी ने कैंसर से संबंधित और इस तरह की तमाम बीमारियों जैसे हृदय रोग, लीवर, फेफड़ा जैसी तमाम असाध्य बीमारियों के बारे में कहा है और उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए संयुक्त प्रयास किया जाएगा। मान्यवर, यह बीमारियां न्यूरोलॉजिक लक्षणों का एक समूह है और उन वीषाणुओं, जीवाणुओं, रसायनों आदि के प्रभाव से होती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मौसम और भौगोलिक स्थितियों के अनुसार इस तरह की बीमारियों का प्रादुर्भाव होता है। सरकार इस पर संवेदनशील है। मैं विभाग की तरफ से भी और अन्य विभागों से भी कोआर्डिनेशन करके इसको कैसे रोका जाये और उसके नियंत्रण के लिए सरकार के और भी विभाग है जो उसके कारणों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं। जैसे पर्यावरण विभाग है वह भी इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए काम कर रहा है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन रही है जो प्रदूषण की स्थिति बन रही है जो जलजनित बीमारियों का जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। उनकी वजह से इन असाध्य रोगों का प्रादुर्भाव होता है और उस पर सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि क्या सरकार कैंसर के लिए जो आवश्यकतायें हैं उनके लिए सभी के लिए मण्डल स्तर पर जहां कीमोथैरेपी हो सके उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था करेगी।

श्री शंख लाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी इन रोगों के निदान के लिए क्या स्पेसिफिक व्यवस्थायें होनी चाहिए। इसके लिए विषय विशेषज्ञ हमारे पास चिकित्सक से लेकर विशिष्ट उपकरण होने चाहिए और इस तरह की व्यवस्थायें हर मण्डल स्तर पर अभी फिलहाल संभव नहीं है। सरकार ने विश्व स्तरीय चक गंजरिया में पी0पी0पी0 मॉडल पर एक अस्पताल की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। सरकार प्रयत्नशील है।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने सदन में इस बात को स्वीकार किया है कि मण्डल स्तर पर वह कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी, जैसा मेरे साथी ने बताया कि यह बीमारी जिसको भी लग जाती है, वह अकेला व्यक्ति ही नहीं मरता है, उसका पूरा परिवार मर जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैंसर के रोगी को हाई आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है, उसको विशेष परिस्थिति के साफ सफाई के वार्ड की जरूरत पड़ती है, आपके पास प्रदेश में जितने मेडिकल कालेज हैं, उसमें क्या आप 50–50 बेड का हाई सेंस्टिव आइसोलेटेड वार्ड आधुनिक सुविधायुक्त स्थापित कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मण्डल स्तर पर आप नहीं कर सकते, ठीक है, पर क्या आप अपने हर मेडिकल कालेजों में यह सुविधा देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी क्या आप दे पायेंगे ?

श्री शंख लाल मांझी–

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बैठिये। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी नहीं हैं, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी भी नहीं हैं, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में कृषि लागत के दृष्टिगत डीजल की दर हेतु नीति निर्धारण की मांग

'07–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखे के दौरान सरकारी ट्यूबवेलों के न चलने, निजी ट्यूबवेलों की दर अत्यन्त मंहगी होने तथा डीजल की दर अत्यधिक होने के कारण कृषि लागत पर पड़ने वाले असर को देखते हुए क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रदेश में राजकीय नलकूप, लिफ्ट कैनाल तथा नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था है। प्रदेश में सूखे के दौरान सरकारी ट्यूबवेल तथा लिफ्ट कैनाल की यांत्रिक खराबी को मानक अवधि में ठीक कराया गया तथा विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को यू0पी0 पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक/सम्पर्क करके दोषमुक्त कराते

हुए सिंचाईरत रखा गया है। कृषकों की सुविधा हेतु राजकीय नलकूप, लिफ्ट कैनाल तथा नहरों द्वारा की जा रही सिंचाई निःशुल्क कर दी गयी है।

'08–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग

'09–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बरसात औसत से कम हुई है ? यदि हां, तो प्रदेश स्तर पर किसानों के लिये सिंचाई की व्यवस्था हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

कार्य योजना का विवरण निम्नलिखित है :–

1–सिंचाई के सभी संसाधनों को चालू स्थिति में रखना।

2–नहरों का रोस्टर के अनुसार संचालन।

3–नहरों के अवैध कटान पर प्रभावी निगरानी रखना।

4–तालाबों/पोखरों को नहरों एवं सरकारी नलकूपों से भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण हेतु कटाव निरोधक एवं ड्रेनों का निर्माण

'10–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से होने वाली भारी जन–धन की हानि के दृष्टिगत आगामी बरसात के मौसम से पहले ही बाढ़ से बचाव की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कौन–कौन से जिले अधिकांशतः बाढ़ से प्रभावित होते हैं तथा क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अति संवेदनशील बन्धों का चिन्हीकरण कर उन्हें सुरक्षित करने हेतु समय से पूर्व धन आवंटित कर बन्धों के बचाव के कोई ठोस उपाय सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

नदियों पर तटबन्धों के निर्माण का कार्य, तटबन्धों एवं महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य एवं जल निकास हेतु ड्रेनों के निर्माण एवं अनुरक्षण की योजना है।

प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले 23 जनपद अतिसंवेदनशील हैं :–पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज तथा 11 जनपद

संवेदनशील हैं :—गाजीपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, लखनऊ, बरेली, बिजनौर, बांदा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतमबुद्ध नगर।

जी हां।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ आने वाली है, 15 जून से 15 अक्टूबर तक बाढ़ का समय होता है, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में ए0पी0 तटबन्ध के चैनज किलोमीटर 7320 से लेकर 8500 तक अति संवेदनशील बिरवट कनवलिया व ए0पी0 तटबंध के किलोमीटर 148 जंगली पट्टी बिन्द टोली के पास नदी बंधे से सट कर बह रही है। क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन तटबंधों का निर्माण 15 जून से पहले धन आवण्टन कर कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह कि ए0पी0 तटबंध के नरवाजोत एक्सटेंशन पर स्थिति भंगी टोला से तौकल टोला तक की जमीन का कुछ हिस्सा ग्राम सभा व सिंचाई विभाग के बीच का पड़ता है। क्या मा0 मंत्री जी उस जमीन को सिंचाई विभाग में स्थानान्तरित करा कर चूंकि पिछले साल चार टोले नानू टोला, फल टोला, तौकत टोला, दहारी टोला जो पिपराघाट के टोले हैं, जो नदी में विलीन हो गये थे, क्या उन जगहों को सिंचाई विभाग में स्थानान्तरित करा कर इस पर अस्पर, अस्टर्ड व रिवेटमेण्ड का कार्य करा कर इन गांवों को सुरक्षित बचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिनको पिछले साल तथा इस वर्ष भी बजट सत्र में मैंने उठाया था, जिस पर आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई है।

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मा0 अध्यक्ष जी मा0 सदस्य ने जो बताया कि ए0पी0 तटबंध, तो जब से हमारी सरकार आई है, लगातार बंधे पर हर साल काम बाढ़ आने से पहले अनवरत चलता रहता है और लगातार तीन साल में उसमें कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है और जहां भी जरूरत होगी बंधे पर बरसात से पहले ही, अगर उसमें खतरा है तो उसको ठीक करा दिया जायेगा और जहां तक दूसरा सवाल है इस पर और तटबंध का वहां पर देख लिया जायेगा, अगर कहीं पर कोई कमी है, तो उसे पूरा करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब प्रश्नों का समय समाप्त।

अतारांकित प्रश्न

जनपद चित्रकूट विकास खण्ड रामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के अनियमितता पर कार्यवाही की मांग

01—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट स्थित विकास खण्ड रामनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कराये जा रहे भवन निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराने विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10–11–2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल,बांदा द्वारा निर्माण सामग्री की जांच बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी, झांसी से करायी गयी। बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी, झांसी द्वारा जांच में निर्माण सामग्री मानक के अनुरूप पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद चित्रकूट के अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा अनियमितता की जांच पर कार्यवाही

02–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–1 चित्रकूट द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27–06–2012, 24–7–12, 23–8–12, 21–09–12, 28–9–12 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 24–07–12, 28–08–12, 21–09–12 व 28–09–12 प्राप्त हुये हैं।

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 17–03–2015 के अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा मानिकपुर के ग्राम भखरवार के चैक डैम निर्माण की मांग

03–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम भखरवार क्षेत्र पंचायत रामनगर खजुरिया सम्पर्क मार्ग की

जयन्ती नदी पर लगभग चौड़ाई 20 मी0 ऊंचाई लगभग 4 मी0, तक रपटा/चैकडैम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ के कतिपय ग्रामों में चैक डैम निर्माण कराये जाने की मांग

04–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के सिंचाई हेतु विकास खण्ड मऊ के ग्राम–कोपा के सरसहा नाला पर रामकल्याण के डेरा के पास लगभग चौड़ाई 50 मी0 व ऊंचाई 3 मी0, ग्राम–कोपा सरसहा नाला पर कोपा के सामने लगभग चौड़ाई 50 मी0 व ऊंचाई 6 मी0 एवं ग्राम–ददरी के ददरी नाला पर श्री अस्थीलाल के खेत के आस–पास लगभग चौड़ाई 60 मी0/ऊंचाई 4 मी0 चैकडैम/रपटा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चैक डैम/रपटा निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा मानिकपुर के अनेकों ग्रामों में चैक डैम निर्माण की मांग

05–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम–बराहमाफी में मौदाहा नाला चैकडैम चौड़ाई 55 एम0 व 5 मी0, ग्राम–सेमरदहा के पपरौही पुरवा के पास चैकडैम 50 मी0 व 8 मी0, ग्राम–मऊगुरदही बरदहा नदी के स्थान पन्ना का झूला के पास रपटा चैकडैम दूरी 100 मी0 व 2 मी0 एवं ग्राम–सकरौहा बरदहा नदी के लगभग स्थान के आस–पास रपटा चैकडैम लगभग 85 मी0 व 2.25 मी0 का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चैक डैम/रपटा निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

जनपद बुन्देलखण्ड में जल की उपलब्धता हेतु निजी नलकूपों को विद्युत संयोजन की स्वीकृत कृषकों को प्रदान करने की मांग

06–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बुन्देलखण्ड में भूमिगत जल की कम उपलब्धता के कारण निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु 5 हार्स पावर की विद्युत मोटर संचालित किये जाने हेतु 5 के0वी0 का विद्युत संयोजन की स्वीकृति कृषकों को प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर अत्यधिक नीचे (अधिक गहराई पर) होने के कारण 5 हार्स पावर की मोटर जमीनी स्तर से पानी नहीं उठा पाती है। कृषकों को निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु सामान्यतः 7.5/10 हार्स पावर की विद्युत मोटर के प्राविधान के साथ संयोजन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम खैरा में सड़क निर्माण कराने की मांग

07–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खैरा में जूनियर हाई स्कूल से उमरवाय तक रोड अत्यन्त खराब है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम खैरा, इमलिया बदनपुर मार्ग के 4 किमी0 से जुड़ा हैं जूनियर हाई स्कूल से उमरवाय को जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के ग्राम खैलार में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

08–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम खैलार से मोंटा (मथुरापुरा) तक व ग्राम गोपालपुरा से मोंटा तक तथा खैलार नहर से गोपालपुरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम खैलार, मथुरापुरा एवं खैलार का मजरा मोटा (मोटारूद्ध) सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं एवं मथुरापुरा का मजरा गोपालपुरा की आबादी 215 होने के कारण इन्हें जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से अच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के कतिपय ग्रामों में सड़क निर्माण कराने की मांग

09–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में ग्राम सिमरावारी से गोपालपुरा तक तथा ललितपुर फोरलेन से सिमरावारी के मजरा डुबकी तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवापाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है।

ग्राम सिमरावारी से गोपालपुरा तक कुल आबादी 225 तथा ग्राम सिमरावारी का मजरा डुबकी की कुल आबादी 150 है। अतः ग्राम गोपालपुरा तथा डुबकी को जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के आवास विभाग द्वारा मध्यम आय वर्ग हेतु आवास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करने की मांग

10–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवास विभाग द्वारा 12 दिसम्बर, 2014 को मध्यम व कमजोर वर्ग को आवास व्यवस्था हेतु अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम तथा समाजवादी आवास योजना के क्रियान्वयन व संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश के किन–किन जिलों में ये योजनायें लागू होंगी तथा इसमें आवास निर्माण एवं आवंटन की कोई समय–सीमा एवं संख्या निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह सीमा व संख्या क्या है और इन योजनाओं के संचालन हेतु कौन–कौन से विभाग एवं एजेन्सियां निर्धारित की गई हैं ? क्या इसमें निजी क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

यह योजना विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद्, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों के बाहर भी क्रियान्वित की जा सकती हैं। योजनान्तर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजनाएं तैयार की जायेंगी और लक्ष्य निर्धारित करते हुए आवासों का निर्माण किया जायेगा। यह प्रयास किया जायेगा कि अगले 02 वर्षों में 03 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण हो जाय।

अफोर्डेबल हाउसिंग योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन विभिन्न शासकीय अभिकरणों द्वारा निजी विकास कर्ताओं के माध्यम से कराया जायेगा।

जी हां। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत निम्न–मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग की बढ़ती आवासीय इकाईयों की मांग की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में बाढ़ से बचाने हेतु ठोकर/रिंग बांध का निर्माण कराने की मांग

11–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत इब्राहिमाबाद, नौबरार के सटे हुए बी0एस0टी0 बांध व उससे लगे हुए गांव अटगांवा आदि गांव के लोगों व बन्धे को बाढ़ से एवं घाघरा नदी के भीषण कटान से बचाने हेतु ठोकर व रिंग बांध का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, केवल ठोकर बनाने का प्रस्ताव है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रदेश में एस0सी0/एस0टी0 व्यक्ति वगैर अनुमति जमीन विक्रय न कर सकने विषयक कानून बनाये जाने की मांग

12–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास मानक के अनुरूप जमीन होने पर जिलाधिकारी की अनुमति के बाद गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विक्रय कर सकते हैं परन्तु एस0सी0/एस0टी0 का विक्रय करने हेतु न तो कोई मानक है न ही किसी से अनुमति की आवश्यकता है ? यदि हां, तो एस0सी0/एस0टी0 का व्यक्ति किसी को भी बगैर अनुमति जमीन विक्रय न कर सके, ऐसा कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवापाल सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 में अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में धारा 157–क एवं 157–कक तथा अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध धारा 157–ख एवं 157–खख में व्यवस्था वर्णित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का भू–धारक किसी अन्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय की अनुमति की आवश्यकता अधिनियम में वर्णित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में क्षतिग्रस्त जलालावाद–लोहारी मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

13–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में जलालाबाद–लोहारी मार्ग जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवापाल सिंह यादव–

मार्ग आशिंक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के मोहल्ला विश्वकर्मा बस्ती में मानक के अनुरूप खम्भे लगाकर विद्युत सप्लाई कराये जाने की मांग

14–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के शहर मोदीनगर के मोहल्ला विश्वकर्मा बस्ती (सीकरी रोड) में बिजली के खम्भे अधिक दूरी पर होने के कारण वहां बिजली के तार काफी नीचे लटके हुए हैं जिनसे अनेकों बार हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर मानक के अनुरूप खम्भे लगवाकर ए0बी0सी0 वायरिंग कराकर क्षेत्रवासियों को उक्त समस्या से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विधान सभा क्षेत्र, मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद के शहर मोदीनगर के मोहल्ला विश्वकर्मा बस्ती (सीकरी रोड) मोदीनगर में खम्भों के बीच की दूरी विभागीय मानकों के अनुरूप है। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इस मोहल्ले में एल0टी0 लाइन से कोई कार्य विद्युत दुर्घटना घटित होने की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

15—श्री भीम प्रसाद सोनकर—

खदिनांक 13—03—2015 को अता0प्र0सं0—63 द्वारा उत्तरित,

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम गूजरपुर का विद्युतीकरण कराने की मांग

16—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम गूजरपुर मजरा इटौवा का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र का राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत फेज—2 में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ग्राम गूजरपुर मजरा इटौवा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज—2 के अन्तर्गत मे0 लार्सन एण्ड टुब्रो के द्वारा किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य माह सितम्बर, 2015 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान क्षेत्र मोहम्मदी के अस्पतालों में विषरोधी दवाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

17—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में स्थित सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर विषरोधक दवाओं के अभाव में ग्रामीणों की सर्पों के काटने से अकाल मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में विषरोधी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी स्थित सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर विषरोधक दवाओं का अभाव नहीं है और न ही दवाओं के अभाव में ग्रामीणों की सर्पों के काटने से अकाल मृत्यु होती है।

विषरोधी दवायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान क्षेत्र मोहम्मदी से विस्वासी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

18—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत गुरेला से विस्वासी तक लम्बाई 1.5 कि0मी0 सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान क्षेत्र मोहम्मदी के कतिपय मजरों में सड़क निर्माण की मांग

19—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ककरहिया तलिया मजरा शिवनगरा से हरिहरपुर तक लगभग लम्बाई 1 कि0मी0 सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रश्नगत मार्ग का निर्माण किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के कतिपय मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

20—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत सहजनिया गुड्डू वर्मा, प्रधान के घर से उच्च प्राथमिक विद्यालय, वि0ख0 मोहम्मदी तक लम्बाई लगभग 500 मी0 सड़क नहीं बनी है

जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपूर के वि0ख0 निगोही के ग्राम मिश्रीपुर में जर्जर तारों को ठीक कराये जाने की मांग

21–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 निगोही के अन्तर्गत ग्राम मिश्रीपुर में निसान सिंह के झाला के ऊपर 11000 हाई वोल्टेज के जर्जर तार नीचे लटक रहे हैं जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर तारों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम मिश्रीपुर में श्री निसान सिंह के झाला के ऊपर दो पोलों के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण तार नीचे हो गया था, तार दोनों तरफ से खींच कर टाइट कर दिया गया है। इस दूरी के बीच में एक और खम्भा लगाकर निर्धारित मानक के अनुरूप लाइन को व्यवस्थित किया जाना है। फसल लगी होने के कारण कार्य बाधित है। श्री निसान सिंह द्वारा ही कार्य फसल कटने के बाद किये जाने का अनुरोध अवर अभियन्ता से किया गया है। पोल साइट पर पहुंचा दिया गया है तथा फसल कटते ही पोल लगाकर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपूर के वि0ख0 सिंधौली के बारा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

22–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के वि0ख0 सिंधौली के अन्तर्गत बरौरा नथुवापुर के मध्य बारा नाला पर आवागमन सुलभ कराने हेतु सरकार पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण लो0नि0वि0 की किसी योजना में आच्छादित नहीं है।

जनपद शाहाजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के क्षतिग्रस्त मार्ग एवं पुलिया के निर्माण की मांग

23—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र 133, तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत नवियापुर सम्पर्क मार्ग से कलक्टरगंज होते हुए खरगापुर तक क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण न होने एवं एक बड़ी पुलिया का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

मार्ग एवं पुलिया का नवनिर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज—10 के अनतर्गत स्वीकृत है। कार्य प्रगति में है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के कैमुआ नाले पर पुल निर्माण की मांग

24—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र 133, तिलहर के विकास खण्ड व थाना निगोही के अन्तर्गत रतूली बरैंचा के मध्य कैमुआ नाला पर सरकार द्वारा जनहित में पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

शाहजहांपुर विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत कैमुआ नाला प्राकृतिक नाला है। यह नाला सिंचाई विभाग में नोटीफाइड नहीं है। ऐसे नालों पर सिंचाई विभाग द्वारा पुल नहीं बनाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के कतिपय नहर पट्टी के क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराने की मांग

25—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम कुतुबपुर नहर पुलिया से मोहनपुर

परसैला नहर पट्टी तक की क्षतिग्रस्त सड़क का लेपन कार्य सरकार द्वारा जनहित में कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम कुतुबपुर व मोहनपुर परसैला पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम को दूसरी ओर से जोड़ा जाना किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग

26–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील अन्तर्गत अरांव जगदीश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर जनता को कब तक समर्पित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

दिसम्बर, 2015 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के उरूला बाजार में सड़क निर्माण की मांग

27–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के उरूवा बाजार (राम जानकी मार्ग 72) से कुरावल तक प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य एक वर्ष पूर्व शुरू हुआ था परन्तु उस पर गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण सरकार कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग के उच्चीकरण कार्य हेतु मैसर्स बी0के0 इण्टरप्राइजेज के नाम अनुबन्ध गठित किया गया है। मार्ग के 4.000 कि0मी0 में जी0एस0बी0 से चौड़ीकरण का कार्य, 2.000 कि0मी0 में जी–2 एवं 01 पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया है। इस कार्य हेतु यू0पी0आर0आर0डी0ए0 से रु0 34.00 लाख प्राप्त हुआ है, जो कि व्यय

किया जा चुका है। मार्ग को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के कतिपय नालों की सफाई कराने की मांग

28–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित तर्रा फरेन एवं मझने नाले में बरसात के मौसम में पानी से भर जाने के कारण इनके किनारों की फसलें डूब कर बरबाद हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालों की उचित तरीके से सफाई कराकर किसानों को क्षति से बचाने हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवापाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त समस्या के निदान हेतु प्रदेश में जनपदवार इन्टीग्रेटेड एवं कामप्रीहैन्सिव बाढ़ तथा जल निकास की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी कृषकों का विवरण लम्बित प्रकरण के निस्तारण की मांग

29–श्री दलवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना में किसान की शारीरिक अपंगता पर बीमा राशि उपलब्ध कराने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2010 से जनवरी 2015 तक वर्ष वार कितने किसानों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है तथा कितने प्रकरण लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के मार्गों की विशेष मरम्मत विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

30–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के मार्गों की विशेष मरम्मत हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (यातायात वर्ग) लखनऊ का पत्रांक 4222 सी0/372सी/रासनि/विमप्र/बहराइच दिनांक 12–10–11 तथा पत्रांक 4257/सी0/372/सीरासनि/ विमप्र/बहराइच दिनांक 15–10–11 द्वारा आगणन का प्रस्ताव एवं प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ ज0हि0/कएस0नं0–102961/087–12–13, दिनांक 01–11–12 शासन का प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 (यातायात वर्ग) लखनऊ के पत्र संख्या–4222सी0/372सी/ रासनि/विमप्र/बहराइच/12–13 भाग–1, दिनांक 12–10–12 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित 06 सम्पर्क मार्गों के प्रस्ताव में से 02 मार्ग (क्रमांक–3 व 4) विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है। शेष 04 सम्पर्क मार्गों की स्वीकृतिवित्ती संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 (यातायात वर्ग) लखनऊ के पत्र संख्या–4257सी0/372सी/रासनि/ विमप्र/बहराइच/12–13 भाग–1, दिनांक 15–10–12 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में प्रश्नकर्ता के प्रस्तावित 04 सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति वर्ष 2012–13 में प्रदान की गई थी जिसके सापेक्ष कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 01–11–12 में प्रमुख अभियन्ता, ले0नि0वि0 कार्यालय के उक्त संदर्भित 02 प्रस्तावों में उल्लिखित मार्गों की ही स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र प्रयागपुर में खड़न्जा मार्गों के डामरीकरण की मांग

31–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में 12 खड़न्जा मार्गो के डामरीकरण कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 12.13/क एस0 नं0–138611/1174, दिनांक 04–09–2012 प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0 उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में वर्णित 12 खड़न्जा मार्गों में से क्रम सं0–1, 8, 10, 11 व 12 पर अंकित बसावटें पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़ी हैं। क्रम सं0–2 पर अंकित कार्य स्वीकृत एवं प्रगति में हैं। क्रम सं0–3, 4, 5, 7 व 9 पर अंकित मार्गों का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रम सं0–2 पर अंकित कार्य को पूर्ण किया जाना

तथा क्रम सं0–6 पर अंकित कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में बघेल तालाव की भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की मांग

32–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में बघेल तालाब की हजारों एकड़ कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए नहर खुदाई का अवशेष कार्य पूरा कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/क–5 नं0–196957/ 249/13, दिनांक 30–04–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सम्बन्धित खण्ड द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार जमीन का ढलान उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण कार्य योजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के जन स्वास्थ्य रक्षकों को उनके देयकों का भुगतान कराये जाने की मांग

33–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के जन स्वास्थ्य रक्षकों को उनके देयकों का भुगतान करने के सम्बन्ध में याचिका संख्या–4424/ 96/(5/5) अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण समिति बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–04–2013 का अनुपालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। रिट याचिका संख्या–4424/96 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की वास्तविक तिथि 24–07–2013 है, जिसका अनुपालन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत हमीरपुर छिदकुरी मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

34–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड जरवल के ग्राम पंचायत हमीरपुर छिदंकुरी जाने वाले भग्गडवा–यादवपुर मटेहिया सम्पर्क मार्ग पर एक पुल के निर्माण कराने के सम्बन्ध में

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5नं0 161186/4855, दिनांक 03–09–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रस्तावित स्थल के डाऊनस्ट्रीम में 3.00 किमी0 एवं अपस्ट्रीम में 5.00 किमी0 की दूरी पर पूर्व से सेतु निर्मित है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किमी0 अपस्ट्रीम अथवा डाऊनस्ट्रीम में सेतु निर्मित होने की स्थिति में नये पुल का निर्माण नहीं किया जाता है। प्रस्तावित सेतु की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा में सड़कों का निर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

35–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत उल्लिखित 17 सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10546030/2014, दिनांक 20–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र में वर्णित 17 मार्गों में से क्रमांक–13 पर अंकित मार्ग की दशा संतोषजनक है। क्रमांक–3 व 11 पर अंकित मार्ग का स्वामित्व मंडी परिषद् का है, तथा क्रमांक–7, 8 व 9 पर अंकित मार्गों का निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया है। इनका अनुरक्षण का कार्य पंचायती राज विभाग के अधीन है। शेष 11 मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में सड़कों का निर्माण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

36–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत उल्लिखित 23 सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0 जी0–10546030/2014, दिनांक 20–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। परन्तु प्रश्न में अंकित मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक पी0जी010546030/2014, दिनांक 20–11–2014 द्वारा 17 मार्गों के निर्माण का अनुरोध किया गया था, जबकि 23 मार्गों के निर्माण सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री

कार्यालय के पत्रांक पी0जी010546035/2014, दिनांक 20–11–2014 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र में वर्णित 23 मार्गों में से क्रमांक–1 व 12 की दशा संतोषजनक है। क्रमांक–2 व 6 का स्वामित्व मंडी परिषद् का है, तथा क्रमांक–14 का स्वामित्व पंचायती राज विभाग का है। शेष 18 मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के महराजपुर स्थित अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

37–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित सुनैला से खत्रिन खेड़ा होते हुए खरौंटी मार्ग घाघू खेड़ा से महौली होते हुए जी0टी0 रोड तक सम्पर्क मार्ग तथा खरौंटी से बाज खेड़ा होते हुए नजफगढ़ मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सुनैहला से खत्रिम खेड़ा होते हुए खरौटी मार्ग के मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत हैं, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना लक्षित है। शेष दोनों मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम पाही में विद्युतीकरण की मांग

38–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद– चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) हेतु विद्युतीकरण से वंचित ग्राम क्षेत्र पंचायत कर्वी के ग्राम पाही में सरकार विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर क्षेत्र पंचायत कर्वी के ग्राम–पाही में विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन धनराशि रु0 1.06 लाख जिलाधिकारी के स्तर से बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) से प्राप्त होना प्रक्रियाधीन है। धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त ही विद्युतीकरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने की मांग

39—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव लोक निर्माण को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक—432, दिनांक 5—07—2014 जो जनपद—चित्रकूट के 237 मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों के अभाव में बीहड़ एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र में बसे हुये लोगों की कठिनाई दूर करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

पत्र में वर्णित 09 मार्गों में से क्रम सं0—1 व 4 का निर्माण तथा 2, 3, 5, 6, 7 व 8 के आंशिक मार्गों का नवनिर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्रम सं0—09 पर वर्णित मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की सीढ़ियों की मरम्मत विषयक पत्र पर कार्यवाही

40—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक—460, दिनांक 13—08—2014 तथा पत्रांक—1730/14—27— सिं0—9, दिनांक 31—07—2014 जो जनपद— चित्रकूट में मंदाकिनी नदी की सीढ़ियों की मरम्मत एवं काफर डैम बनाने हेतु बालू हटाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

मा0 विधायक के उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा से कराई गयी। उक्त जांच में यह पाया गया कि जनपद चित्रकूट में वर्ष 2012—13 एवं वर्ष 2013—14 में मंदाकिनी नदी में चित्रकूट स्थित रामघाट की सीढ़ियों की मरम्मत के कार्यों हेतु नदी में काफर डैम बनाने हेतु मिट्टी से भरी बोरियां लगाई गई थीं। उक्त मरम्मत कार्य पूर्ण होने पर परियोजना प्राक्कलन के अनुसार लगाई गई 75 प्रतिशत बोरियों को मिट्टी सहित नदी से हटवा दिया गया था। इस प्रकार मिट्टी एकत्र होने से नदी की गहराई कम होने एवं जल संचयन की मात्रा कम होने का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यह भी स्पष्ट करना है कि घाट के सम्मुख नदी की गहराई विभिन्न स्थलों पर नपवाई गई तथा गोताखोरों से मन्दाकिनी नदी में गोता लगवाकर नदी की तली में परियोजना प्राक्कलन के अनुसार छोड़ी गयी शेष बोरियों की

जानकारी प्राप्त की गई तो यह पाया गया कि नदी की तली में पड़ी बोरियों पर मिट्टी और बालू की परत जमा है। अतः बोरी में फंसकर किसी भी श्रद्धालु की जान जाने की सम्भावना नहीं है। अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चित्रकूट के ग्राम मुस्का में अवैध तरीके से किसानों की भूमि के रजिस्ट्री कराने सम्बन्धी कथित प्रकरण

41—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद— चित्रकूट के ग्राम मुस्का में क्रियेटिव थर्मल पावर प्रा0लि0 के प्रतिनिधि राजा गर्ग तथा मणिशंकर एवं क्रियेटिव थर्मल पावर प्रा0लि0 के अधिकारियों द्वारा किसानों को गुमराह एवं लालच देकर उनकी जमीन अनियमित ढंग से रजिस्ट्री कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक 496, दिनांक 29—09—2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही

42—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर जनपद चित्रकूट के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 10—11—12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा निर्माण सामग्री की जांच बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी, झांसी से करायी गयी, जिसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

43–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत रूँद करारी सम्पर्क मार्ग से लकारा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम रूंद करारी व ग्राम लकारा पूर्व से ही अलग–अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

44–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम केशवपुर से आरी तक तथा ग्राम–केशवपुर से पाडरी तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम केशवपुर, ग्राम आरी व ग्राम पाड़री पूर्व से ही अलग–अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के ग्रामों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने की मांग

45–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम चन्द्रनगर से पनिहारी तक तथा ग्राम पनिहारी से सड़क तक मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम खजराहा बुजुर्ग का मजरा चन्द्रनगर पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है एवं पनिहारी तथा सड़क की आबादी 250 से कम होने के कारण इन्हें जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाये जाने की मांग

46–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) देने हेतु भारत सरकार ने कोई मूल्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार गन्ना किसानों की बढ़ती लागत तथा मूल्यवृद्धि को दृष्टिगत करते हुए उचित मूल्य निर्धारण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा पेराई सत्र 2014–15 के लिये गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) 9.5 प्रतिशत चीनी परता पर रु0 220/– प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। गन्ने में चीनी का परता 9.5 प्रतिशत से अधिक रहने पर प्रति 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष रु0 2.32/– प्रति कुन्तल का अतिरिक्त प्रीमियम भी देय होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) निर्धारित किया जाता है। वर्तमान पेराई सत्र 2014–15 के लिये राज्य सरकार द्वारा गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

अगेती प्रजाति हेतु	रु0 290/– प्रति कुन्तल
सामान्य प्रजाति हेतु	रु0 280/– प्रति कुन्तल
अनुपयुक्त प्रजाति हेतु	रु0 275/– प्रति कुन्तल

प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र 2014–15 के लिये निर्धारित किया गया राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0), भारत सरकार द्वारा इस सत्र हेतु निर्धारित किये गये उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ0आर0पी0) से अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के कतिपय ग्रामों में अधिक क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगाये जाने की मांग

47—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम—इस्लामाबाद व ग्राम—वरनैया, मजरा रतनपुर में मानक से कम क्षमता के लगे ट्रांसफार्मर अतिभारित होने के कारण आये दिन खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मरों की जगह अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम इस्लामाबाद में 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक दिनांक 23—04—2014 को स्थापित कर दिया गया था, जिस पर वर्तमान में कुल 70 संयोजन है, जिनका कुल भार 78 कि0वा0 है, एवं ग्राम वरनैया के मजरा रतनपुर में 25 के0वी0ए0 परिवर्तक के स्थान पर 63 के0वी0ए0 परिवर्तक 21—05—2014 को स्थापित कर दिया गया था, जिस पर वर्तमान में कुल 34 संयोजन है, जिसपर कुल भार 44 कि0वा0 है। अतः उक्त ग्रामों में वर्तमान समय में किसी प्रकार की अतिभारिता की समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला महिला अस्पताल में बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती

48—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के जिला महिला अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना लागू होने के बाद भी बच्चों के डाक्टर की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी नहीं।

जिला महिला चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी में दो बाल रोग विशेषज्ञ तैनात हैं। उक्त के अतिरिक्त एक बाल रोग विशेषज्ञ संविदा पर तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग

49—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है तथा हृदय रोग की जांच से सम्बन्धित उपकरण, मशीनें आदि भी नहीं हैं जिससे मरीजों को समय से उपचार न मिलने के कारण जान गंवानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर उपचार सम्बन्धी दवा व मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला चिकित्सालय में हृदय रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। हृदय रोगियों के आने पर फिजीशियन द्वारा उपचार किया जाता है। गम्भीर हृदय रोगियों को के0जी0एम0यू0 (लॉरी कार्डियोलॉजी), लखनऊ व एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ सन्दर्भित किया जाता है। जिला चिकित्सालय, खीरी में हृदय रोग की जांच से सम्बन्धित मशीनें, उपकरण व दवा उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में विद्युत आपूर्ति का समय बढ़ाये जाने की मांग

50–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेपाल की सीमावर्ती जिलों में माओवादी घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पूर्व की भांति जनपद लखीमपुर खीरी में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में बढ़ोत्तरी न होने के कारण अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार लखीमपुर खीरी शहर को 15 घण्टे एवं ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रों को 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों को विकसित करने की मांग

51–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों जैसे सीतापुर रोड रायपुर न्याय विहार ग्राम पंचायत

को सरकार विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

रायपुर न्याय विहार ग्राम पंचायत, सीतापुर रोड, लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है। विकास क्षेत्र में सुनियोजित विकास हेतु महायोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाता है। विकास का क्रियान्वयन, भूमि अधिग्रहण कर विकसित किया जाता है। वर्तमान में उक्त उल्लिखित पंचायत क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव या विकास योजना, प्राधिकरण में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के सरपातर बांध को पूर्ण कराने सम्बन्धी जानकारी

52–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील अन्तर्गत आछीडीह से सरपातर बन्ध जो अवशेष है उसका स्टीमेट बनाकर दिनांक 29–11–2013 को उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति की 179वीं बैठक में संस्तुत है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति में अनुमोदित कराकर वित्त पोषण हेतु अग्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त परियोजना उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति के विचारार्थ प्रेषित है। स्वीकृति के उपरान्त अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

53–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत तिलहर निगोही रोड पर डडियां गांव से सुनरा होते हुए अम्बेडकर ग्राम सतनुआ तक बनी हुयी पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गयी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम हमजापुर डींग के कैमुआ नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

54–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में ग्राम हमजापुर डींग के मध्य कैमुआ नाला पर पुल जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है तथा पुल सड़क से नीचे व छोटा होने के कारण बरसात में फसलें जलमग्न होने से किसानों की लाखों रुपयों की क्षति होती है व नागरिकों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नये पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां (अंशिक रूप में)।

नये पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

55–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 133 तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर स्टेट हाइवे पर खण्डा खास से बजीरपुर होते हुए टिकमापुर अजीजपुर तक पक्का मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो जाने के कारण क्षेत्र की जनता को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है यातायात चल रहा है।

मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में रेलवे स्टेशन के कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की मांग

56–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 133 तिलहर में वि0 खण्ड निगोही के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उस्मानपुर तक कच्चा मार्ग अत्यन्त ऊबड–खाबड़ एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय

जनता को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम सलावा में विद्युतीकरण कराने की मांग

57–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम सलावा का वर्ष 2014–15 में लोहिया ग्राम में चयन किया गया था परन्तु उक्त ग्राम में विद्युत विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लोहिया ग्राम सलावा में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

लोहिया ग्राम सलावा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं पंचवर्षीय योजना) में चयनित है।

कार्यदायी संस्था को एल0ओ0आई0 दिनांक 01–11–2014 को जारी की जा चुकी है। विद्युतीकरण का कार्य एल0ओ0आई0 निर्गत तिथि से 24 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के विद्युत गृह की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

58–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ की जर्जर विद्युत समस्या के निराकरण के लिए ग्राम पंचायत अगवानपुर के 33/11 के0वी0ए0 विद्युत गृह की क्षमता बढ़ाकर 132 के0वी0ए0 करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कांठ को 33/11 के0वी0 कांठ विद्युत गृह से आपूर्ति हो रही है। वर्तमान में एक अन्य तहसील स्तरीय 33/11 के0वी0 विद्युत गृह का निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त ऊर्जीकृत किया जा चुका है। जिस पर भार डालने का कार्य किया जा रहा है। तहसील स्तरीय विद्युत गृह कांठ (रसूलपुर) के पूर्ण भारित हो जाने पर कांठ क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में आशातीत सुधार हो जायेगा।

अतः तकनीकी रूप से ग्राम पंचायत अगवानपुर के 33/11 के0वी0 विद्युत गृह की क्षमता बढ़ाकर 132 के0वी0 किया जाना आवश्यक नहीं है।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन की कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

59–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली की थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली सड़कें जलालाबाद–लोहारी मार्ग मस्तगढ़ गढ़ीपुख्ता मार्ग, हींड गढ़ीपुख्ता मार्ग सड़कों की जर्जर हालत होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

हिंड गढ़ीपुख्ता मार्ग की दशा संतोषजनक है। शेष दो मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के धार्मिक स्थल पर पक्के घाट बनाये जाने की मांग

60–श्री सुरेश राणा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गंदेवडा जहां यमुना नहर एवं गंगा नहर मिलकर के संगम बनाती है तथा हजारों लोग स्नान एवं धार्मिक कार्य सम्पन्न करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्के घाट का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम गंदेवड़ा जहां पूर्वी यमुना नहर एवं गंगा नहर से निकलने वाली समानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल मिलती है, वहां पर पक्के घाट पूर्व से ही निर्मित हैं।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के मुल्लापुर मार्ग के अधूरे पुलों का निर्माण कराये जाने की मांग

61—श्री सुरेश राणा—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत सैकड़ों गांव को जोड़ने वाले मुल्लापुर मार्ग एवं सोनटा रसूलपुर रायपुर मार्ग पर स्थित दो पुलों के अधूरे निर्माण कार्य को सरकार कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

प्रश्नगत दोनों पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के बाजारों के विद्युत तारों को बदलने की मांग

62—श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाली प्रमुख बाजारों में 7.5 किमी0 दूरी तक बिजली के जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या—वि0प0/ज0हि0/012—13/क—एस, नं0—138707/1064, दिनांक 20—08—12 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, जनपद बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (बहराइच) के कार्यालय के पत्रांक—738 वि0वि0खं0(ब0) दिनांक 10—03—2015 द्वारा एक विशेष पत्र वाहक के द्वारा पत्र सं0—वि0प0/ज0ह0212—13/क—एस नं0—138707/1064 दिनांक 20—08—2012 की प्राप्ति हेतु प्रयास किया गया। काफी प्रयत्न करने के पश्चात् भी प्रश्न की प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई। पत्र की मूल प्रति प्राप्त होने पर समुचित उत्तर दिया जा सकेगा।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में 7.5 कि0मी0 ए0बी0 केबिल बदलने का कार्य माह जनवरी, 2015 में पूर्ण हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के वघेलताल को जीव विहार की परिधि में लाये जाने की मांग

63–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में स्थित बघेलताल को पक्षियों तथा जैव विविधता का संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम–1972 के अन्तर्गत वन्य जीव विहार की परिधि में लाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद बहराइच में स्थित बघेलताल वन्य जीव विहार अधिसूचित नहीं है। इस क्षेत्र में पक्षियों एवं जैव विविधता का संरक्षण वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम–1972 के अन्तर्गत किया जा रहा है। बघेलताल को भारत सरकार के राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 में चयनित किया जा चुका है। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बघेलताल क्षेत्र में पक्षियों तथा जैव विविधिता का संरक्षण एवं प्राकृतवास प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है।

जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के ग्राम पंचायत तालाब से सड़क मार्ग के डामरीकरण कराये जाने की मांग

64–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्राम पंचायत तालाब बघेल (वि0ख0 पयागपुर) कालीनगर से बबया पुल तक सड़क मार्ग के डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5, नं0–102311/1381, दिनांक 08–03–13 अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं, अपितु प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0–122311/3181, दिनांक 08–03–13 प्राप्त हुआ है।

पत्र में वर्णित कालीनगर पूर्व से ही पक्के लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा बबया पुल भी वर्ष 2013–14 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत मलूकसिंह पुरवा सम्पर्क मार्ग के पूर्ण होने पर पक्के लेपित मार्ग से जुड़ जायेगा। कालीनगर से बबया पुल को आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर–इकौना के क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

65–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर–इकौना रोड पर नहर पुल से मुन्डेरवा ग्राम गोण्डा सरहद तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/क–5, नं0–151682/227/13, दिनांक 26–04–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

पत्र में वर्णित मार्ग का मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरों/ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

66–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के तृतीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 300 आबादी वाले शेष 126 मजरों को ऊर्जीकृत किये जाने की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त मजरों को कब तक ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–बहराइच के 300 या 300 से अधिक आबादी वाले शेष 126 मजरों में 98 चयनित मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है। इन ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु आर0ई0सी0 भारत सरकार द्वारा रु0 171.26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। अब तक आर0ई0सी0 द्वारा 47.59 करोड़ धनराशि प्राप्त हुई हैं।

उक्त ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण सितम्बर, 2015 तक करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के प्रकरण के त्वरित निस्तारण की कार्यवाही

67–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अक्टूबर, 2014 से जनवरी, 2015 तक स्वाइन फ्लू के कुल कितने प्रकरण संज्ञान

में आये हैं ? क्या सरकार द्वारा उक्त के त्वरित निराकरण हेतु कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश में स्वाईन फ्लू रोग से माह अक्टूबर, 2014 से जनवरी, 2015 तक कुल 25 प्रकरण संज्ञान में आये है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जापानी बुखार के रोकथाम की कार्यवाही

68–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जापानी बुखार के कुल कितने मामले माह अक्टूबर, 2014 से जनवरी, 2015 तक सरकार के संज्ञान में आये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जापानी बुखार से कुल कितनी मौते हुई ? क्या सरकार द्वारा उक्त के रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

माह अक्टूबर, 2014 से माह जनवरी, 2015 तक प्रदेश में जापानी इन्सेफ्लाईटिस (जे0ई0) रोग के कुल 78 रोगी सूचित हुये।

प्रदेश में उपरोक्त अवधि में जापानी इन्सेफ्लाईटिस (जे0ई0) रोग से कुल 37 मृतक सूचित हुये।

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा जापानी इन्सेफ्लाईटिस (जे0ई0) रोग की रोक–थाम एवं नियंत्रण हेतु निम्नवत् कार्यवाहियों की गई हैं:–

<u>निरोधात्मक कार्यवाहियों के अन्तर्गतः–</u>

- वर्ष 2006 से प्रदेश में जे0ई0 टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0ई0 टीकाकरण किया जा रहा है।
- वर्तमान में प्रदेश के 36 जनपदों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0ई0 टीकाकरण किया जा रहा है।
- वर्ष 2014 में अतिप्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों सहित जनपद बइराइच, लखीमपुर खीरी, मऊ एवं जनपद कानपुर देहात में जे0ई0 टीकाकरण का विशेष अभियान भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के क्रम में चलाया गया जिसमें 09 माह से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को जे0ई0 वैक्सीन से आच्छादित किया गया।

- मच्छर जनित जे0ई0 रोग की रोकथाम हेतु जनपदों में मच्छरों पर नियंत्रण के लिये फॉगिंग की व्यवस्था की गई है।
- सूकर–मच्छर एवं मच्छर–मनुष्य सम्पर्क से बचाव, मच्छर जनक परिस्थितियों पर नियंत्रण तथा व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाना।
- सूकर बाड़ों की साफ–सफाई, कीटनाशक छिड़काव, नये सूकर बाड़ों को मनुष्य आबादी से दूर स्थापित किये जाने तथा सूकर बाड़ों को जाली द्वारा ढकने हेतु पशु पालकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।
- आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग हेतु भारत सरकार द्वारा चिन्हित 20 संवेदनशील जनपदों के 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु वर्ग के जे0ई0 रोग से प्रभावित कुपोषित बच्चों को अति कुपोषित बच्चों की भांति पोषाहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से किया जाना।

<u>उपचारात्मक कार्यवाहियों के अन्तर्गत–</u>

- ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशा के द्वारा बच्चों की फीवर ट्रैकिंग का कार्य किया जाना।
- जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जे0ई0) रोगियों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिये गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों में ब्लॉक स्तर पर कुल 104 इन्सेफ्लाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर (ई0टी0सी0) की स्थापना की गई है।
- जनपद स्तर पर उच्च स्तरीय उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जे0ई0 रोग से अतिप्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के 8 चिकित्सालयों एवं जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय में पीडियांट्रिक आई0सी0यू0 की स्थापना।
- रोगियों को उपचार केन्द्र तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क एम्बुलेन्स 108 एवं 102 तथा प्रशिक्षित एम्बुलेन्स कर्मियों की व्यवस्था।
- निःशुल्क प्रयोगशाला जांच की व्यवस्था।
- मस्तिष्क ज्वर रोग उत्पन्न करने वाले जे0ई0 वायरस एवं रोग नियंत्रण के लिये विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाओं जैसे–सी0डी0सी0 अटलान्टा, एन0सी0डी0सी0, आई0सी0एम0आर0, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, के0जी0एम0यू0, लखनऊ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा समन्वय स्थापित करते हुये अध्ययन एवं शोध का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद की गली में विद्युत पोल लगाये जाने की मांग

69—श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर की ज्ञान लोक कालोनी में भारत गैस गोदाम के सामने वाली दो गलियों तथा पीछे की एक गली में विद्युत खम्भों की बजाय लम्बी—लम्बी विद्युत केबलों से घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां विद्युत खम्भे लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

सिकन्द्राबाद नगर की ज्ञानलोक कालोनी लगभग 15 वर्ष पहले की है तथा बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2014 में मा0 विधायक निधि से इस कालोनी का विद्युतीकरण कराया गया था जिसमें कुछ गलियां शामिल नहीं थीं। इन गलियों में अधिकतर संयोजन 40 मीटर से कम दूरी पर हैं, परन्तु कुछ संयोजन 40 मीटर से 60 मीटर की दूरी के हैं। 40 मीटर से अधिक दूरी के संयोजनों हेतु उपभोक्ता/विकासकर्ता द्वारा ही धनराशि खम्भे लगाने एवं एल0टी0 लाइन हेतु उपलब्ध कराने का दायित्व है।

विभागीय मद से खम्भे लगाना व एल0टी0 लाइन बनाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव के ग्राम सुबेदार का इनारा चौराहा के नहर की टूटी पटरी को किसानों के नुकसान की भरपाई कराये जाने की मांग

70—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के सोरांव विकास खण्ड के ग्राम सूबेदार का इनारा चौराहा के निकट सोरांव रजबहा नहर से लिंक रूप से जुड़ी नहर की पटरी टूट जाने से 11 दिसम्बर, 2014 को किसानों की सैकड़ों बीघा आलू व गेहूं की फसल डूब गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर किसानों के नुकसान की भरपाई किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी नहीं।

सोरांव राजबाहा से निकलने वाली लिंक नहर—तुलसीपुर माइनर की पटरी दिनांक 11—12—2014 को नहीं टूटी थी, अतः किसानों को सैकड़ों बीघा आलू व गेहूं की फसल डूबने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के क्षतिग्रस्त कासिमपुर मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

71–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ में छेरत से कासिमपुर मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। परन्तु आवागमन चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0ख0 बबीना ग्राम रसीना के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

72–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0ख0–बबीना में ग्राम रसीना से मटयाई कारीटोरन होते हुये फोरलेन तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण लोगों को आने–जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

लोगों को आने–जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है।

ग्राम रसीना, बबीना–सिमरिया मार्ग से जुड़ा है एवं मटयाई व कारीटोरन को जोड़ा जाना समप्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के वि0ख0 बबीना, ग्राम मानपुर के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

73–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0ख0–बबीना, ग्रा0 मानपुर से फोरलेन तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीण लोगों को आने–जाने में भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीण लोगों को आने–जाने में असुविधा होती है।

ग्राम मानपुर, झांसी–बबीना मार्ग (पुराना एन0एच0 26) पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं, अतः प्रश्नगत मार्ग को फोरलेन से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0ख0 चिरगांव के ग्राम बेहटासन्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

74–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0 ख0–चिरगांव में ग्राम बेहटासन्त से भण्डेर रोड तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण गांव वालों को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

ग्राम बेहटासन्त से भाण्डेर मार्ग तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण है। अतः ग्रामवासियों को इस मार्ग पर कोई असुविधा नहीं हो रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के वि0ख0 चिरगांव के ग्राम नन्दसिया के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

75–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0ख0–चिरगांव में ग्रा0 नन्दसिया से देवरा तक बनी कच्ची सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीणों को आने–जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आने–जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है।

ग्राम नन्दसिया व देवरा पूर्व से ही सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्ग से संतृप्त हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छाछित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के वि0स0 बड़ागांव की ग्राम मवई के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

76–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0ख0–बड़ागांव के ग्रा0 मवई गिर्द नहर से खिरिया तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

जी हां।

मवई नहर पटरी मार्ग पूर्व से ही लेपन स्तर तक निर्मित है एवं मवई नहर पटरी से ग्राम खिरिया तक सम्पर्क मार्ग वर्तमान में मिट्टी स्तर का है। ग्राम खिरिया की कुल आबादी 187, जिसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी 31 (17 प्रतिशत) है। अतः प्रश्नगत मार्ग सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खालीलाबाद के ग्राम पंचायत ढोढ़ाई के मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

77–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास–खण्ड सेमरियांवा में ग्राम पंचायत ढोढ़ाई से ठुन्ने तक मिट्टी से लेपन कार्य 01 किमी0 हुआ था जो गड्ढा युक्त हो गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कराकर पिच मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 1.70 कि0मी0 के सापेक्ष प्रथम 0.700 कि0मी0 में खड़न्जा का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। शेष 1.00 कि0मी0 मण्डी परिषद् द्वारा लेपित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम विरासिन के सड़क की मरम्मत कराने की मांग

78–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–निगोही में तिलहर निगोही रोड पर ग्राम विरासिन से काले प्रधान के झाला होते हुए नहर पटरी पर शाहजहांपुर–निगोही रोड तक कच्चा गड्ढा युक्त मार्ग में जल–भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्राम विरासिन पूर्व से ही सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्ग से जुड़ा है। काले प्रधान के झाले होते हुए नहर पटरी मार्ग पर कोई भी ग्राम नहीं पड़ता है, अतः प्रश्नगत मार्ग सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के राजनपुर मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

79–रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–तिलहर में राजनपुर मार्ग से खिरियामाल तक पक्का गड्ढा युक्त मार्ग में जल–भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है यातायात चल रहा है।

मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के ग्राम मोहम्मदगढ़ के सूधरा में पुलिया निर्माण की मांग

80–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास–खण्ड सेमरियांवा के ग्राम मोहम्मदगढ़ में सूधरा होते हुए वास्ता तक 2.5 किमी0 पिच रोड जो जीर्ण–शीर्ण है, की मरम्मत तथा 03 मी0

स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में वर्णित समस्त ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं, इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खालीलाबाद के ग्राम पंचदेवरी से मार्ग का निर्माण कराने की मांग

81–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में विकास–खण्ड सेमरियांवा के ग्राम पंचदेवरी से तिनेहरी होते हुए बिगरामीर तक मिट्टी से लेपन स्तर तक निर्मित 3.5 किमी0 लम्बे गड्ढायुक्त सड़क पर पैदल चलना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको पिच मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन चल रहा है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्तकबीर नगर के विभाग सभा क्षेत्र खलीलाबाद के ग्राम चयनपुरवा से पिच मार्ग बनवाये जाने की मांग

82–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में विकास–खण्ड सेमरियांवा के राजस्व ग्राम चयनपुरवा से ग्राम पंचायत गिरा अव्वल तक 01 किमी0 लम्बी सड़क जिसका खड़ण्जा से लेपन कार्य किया गया है, को पिच मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर से सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

83–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–तिलहर में शेरगढ़ होते हुए फतेहपुर बुजुर्ग कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग में जल–भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिधौली के कतिपय मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

84–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–सिंधौली में महमूदापुर के पश्चिम से खेमकरन के खेत से होते हुए गन्दा नाला तक कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग में जल–भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

85–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड–निगोही में बिलसण्डा रोड पर ईसापुर से बहादुरपुर तक पक्के गड्ढायुक्त मार्ग में बरसात के समय जल–भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है जो खड़न्जा स्तर का मार्ग है। ग्राम बहादुरपुर पूर्व से एकल दिशा लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम को दूसरी ओर से जोड़े जाने के लिये मार्ग का निर्माण किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में बालक–बालिकाओं के घटते लिंगानुपात हेतु कारगर योजना बनाये जाने की मांग

86–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी में बालक–बालिकाओं का लिंगानुपात घट रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको नियन्त्रित करने की कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

लिंग चयन व कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंक चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 जनपद लखीमपुर खीरी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ की तैनाती

87–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, लखीमपुर में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ डाक्टर न होने के कारण मरीजों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ डाक्टर की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय, लखीमपुर खीरी में ई0एन0टी0 विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर डा0 हर्षिता अवस्थी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के ग्राम जखोर में सब–स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

88–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील क्षेत्र के ग्राम खखाड़ जखोर में निर्मित हो रहे विद्युत सब स्टेशन का कार्य दो वर्ष से रूका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर में खखाड़चखोर में स्थान भीटी के नाम से 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है, उपकेन्द्र के कन्ट्रोल रूम का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्विचयार्ड का कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण है एवं लाइन का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2015–16 में कार्य पूर्ण कर उपकेन्द्र को व्यवसायिक भार पर ले लिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पौराणिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि के मन्दिरों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की मांग

89–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पौराणिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मन्दिरों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो विकास खण्ड–ईसानगर, जिला–खीरी के पौराणिक ऐतिहासिक हनुमान मन्दिर के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

जी नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौराणिक स्थलों पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है।

जी हां। विकास खण्ड ईसानगर, जिला खीरी के ऐतिहासिक हनुमान मन्दिर के निकट मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रु0 10.00 लाख की धनराशि जिला नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। बजट/परिव्यय की उपलब्धता होने की दशा में योजना हेतु धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–लखीमपुर खीरी के कस्बा–धौरहरा में तुलसीदास द्वारा हस्तलिखित रामायण की प्रति मौजूदा के सम्बन्ध में जानकारी

90–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के कस्बा–धौरहरा में तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामायण की प्रति आज भी मौजूद है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ऐतिहासिक पौराणिक स्थल का सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी नहीं, जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा धौरहरा में श्री तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामायण की प्रति मौजूद नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में साधन सहकारी समिति खाद्य गोदाम का प्रस्तावित निर्माण सम्बन्धी जानकारी

91–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर में वर्ष 2011–12 में बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत साधन सहकारी समिति खाद गोदाम का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां–कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

(अ) साधन सहकारी समिति लि0, चुरईपुरवा।

(ब) साधन सहकारी समिति लि0, गढ़ीइब्राहिमपुर

(स) साधन सहकारी समिति लि0, हैरमखेड़ा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

92–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बांदा के विकास खण्ड–महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवां एवं बेलापुरवा जिनकी आबादी लगभग 1200 है, का विद्युतीकरण न होने के कारण उक्त ग्राम के नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?,

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम–मोतिहारी के मजरा कछियन का पुरवा, कोरिना पुरवा एवं बेलापुरवा को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित हैं एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे किया जा रहा है। विद्युतीकरण का कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरा निबिहा में विद्युतीकरण करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

93–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–विशेश्वरगंज के ग्राम तकिया कला में मजरा निबिहा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5 नं0 240841/5667, दिनांक 03–01–2014 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, जनपद–बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

काफी प्रयत्न के उपरान्त भी पत्र उपलब्ध नहीं हो सका। पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 13–14/क–5 नं0–240841/5667, दिनांक 03–01–2014 की प्रति प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरा हिरावनपुरवा में विद्युतीकरण करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

94–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–विशेश्वरगंज के ग्राम गुजरा के मजरा हिरावनपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5 नं0 240578/5895, दिनांक 12–01–2014 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, जनपद–बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

काफी प्रयत्न के बावजूद भी पत्र उपलब्ध नहीं हो सका। पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 13–14/क–5 नं0–240578/8595, दिनांक 12–01–2014 की प्रति प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरा दक्खिनपुरवा में विद्युत परिवर्तक लगाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

95–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–जरवल के ग्राम दूसरापारा के मजरा दक्खिनपुरवा में विद्युत परिवर्तक लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ ज0हि0/13–14/क–5 नं0 240616/5644, दिनांक 05–01–2014 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, जनपद– बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

काफी प्रयत्न के उपरान्त भी पत्र उपलब्ध नहीं हो सका। पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 13–14/क–5 नं0–240616/5644, दिनांक 05–01–2014 की प्रति प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरा पासीपुरवा में विद्युतीकरण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

96–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–पयागपुर के ग्राम वैनी के मजरा पासीपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 13–14/क–5 नं0 240755/5559, दिनांक 29–12–2013 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, जनपद– बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम वैनी के मजरा पासीपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु मजरे की आबादी मानकानुरूप न होने के कारण चयनित नहीं है, वर्तमान में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों/मजरों की आबादी 300 या उससे अधिक है, उन्हीं की विद्युतीकरण रा0गां0ग्रा0वि0 (फेज–2) 11वीं योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। रा0गां0ग्रा0वि0

12वीं यो0 जनपद में लागू नहीं है भविष्य में किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण का कार्य सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरा गोमती प्रसाद लोधनपुरवा में विद्युतीकरण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

97–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड–हुजूरपुर के ग्राम रामपुर के मजरा गोमती प्रसाद लोधनपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5 नं0 240650/5681, दिनांक 05–01–2014 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, जनपद– बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

काफी प्रयत्न के उपरान्त भी पत्र उपलब्ध नहीं हो सका। पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 13–14/क–5 नं0–240650/5681, दिनांक 05–01–2014 की प्रति प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद मेरठ के विकास खण्ड सदर के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

98–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ–जनपद के सदर विकास–खण्ड के ग्राम नरहेड़ा से जाहितपुर एवं नरहेड़ा से घोषीपुर के पास हापुड़ रोड को मिलाने वाली क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के ग्राम पंचायत अहिरौली से पुलिया सहित मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

99–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास–खण्ड सेमरियांवा में ग्राम पंचायत अहिरौली से छूपिया आनन्द राय, दूरी 1.8 किमी0 मिट्टी द्वारा लेपनीकृत एवं इसी मार्ग पर 3 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण तथा ग्राम पादेशवा से भूठण्डा 1.5 किमी0 मिट्टी द्वारा लेपनीकृत वर्तमान में गड्ढायुक्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिया निर्माण

सहित उक्त दोनों मार्गों को पिच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम पंचायत अहिरौली से छपिया आनन्द राय तक मार्ग खड़न्जा/कच्चा तथा ग्राम पादेशवा से भूठण्डा तक मार्ग कच्चा है।

ग्राम पंचायत अहिरौली से छपिया आनन्द राय तक का मार्ग/पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है तथा ग्राम परदेशवा व थुरण्डा पूर्व से ही लेपित मार्गों से संतृप्त है। अतः इन्हें परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास खण्ड सेमरियांवा से पुलिया व सड़क का निर्माण कराने की मांग

100–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास–खण्ड सेमरियांवा, हेमा मार्ग पर तीनहरी साहद वाया वोहखापुर होते हुए सेमरियांवा जूनियर हाई स्कूल तक दूरी 3 किमी0 मिट्टी द्वारा लेपित मार्ग पर 2 अदद 3 मी0 की स्पान पुलिया न होने से बरसात में पानी भरने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को पिच कराते हुए वाछिंत स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न में वर्णित मार्ग खड़न्जा/मिट्टी स्तर का है तथा ग्राम तिनहरी बोहरवा व सेमरियांवा पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है। अतः प्रश्नगत मार्ग/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास–खण्ड सेमरियांवा के ग्रामों में सड़क को पिच कराने की मांग

101–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास–खण्ड सेमरियांवा के ग्राम पं0 बूढ़ाननगर,

अरबिया मदरसा से होते हुए ग्राम पं0 के मेन रोड तक दूरी 1 किमी0 मिट्टी द्वारा लेपित सड़क को पिच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

ग्राम बूढ़ाननगर अरबिया मदरसा पूर्व से संतृप्त है, अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

आगरा शहर के अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराने की मांग

102–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण न करके इस शहर के तमाम क्षेत्रों में खुले में फेंका जा रहा है जिससे शहर के लोगों में संक्रमण फैलने के साथ–साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहर में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराने के साथ–साथ लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

बायोमेडिकल वेस्ट को शहर के तमाम क्षेत्रों में फेंके जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही इसके कारण संक्रमण फैलने की सूचना ही प्राप्त हुई है।

बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में दत्ता इण्टरप्राइजेज द्वारा शहर में पंजीकृत अस्पतालों से प्रतिदिन बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित कर सामूहिक इन्सलिरेटर से निस्तारण किया जा रहा है।

जिलाधिकारी, आगरा द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के निरीक्षण हेतु संयुक्त जांच दल गठित किया गया है जिसमें नगर निगम के प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट सदस्य हैं। उक्त संयुक्त जांच दल द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किये जा रहे हैं जिसमें लापरवाही अथवा खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने से सम्बन्धित जानकारी संज्ञान में नहीं आयी है यदि संज्ञान में आती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें पंजीकरण निरस्त किया जाना सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के कतिपय ग्रामों के नदी नालों पर पुल बनवाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

103–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के विकास खण्ड–सिकन्दराबाद के गांव सरायघासी व आढ़ा के बीच करों नदी पर तथा गांव सैदमपुर के करीब गंदे नाले पर पुल बनवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5–550153, दिनांक 18–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद एवं चौबीसा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

104–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद एवं चौबीसा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुननिर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5–66161 एवं 661827, दिनांक 17–11–2014 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में संदर्भित पत्र सं0–ख–5–66161, दिनांक 17–11–14 अप्राप्त है, अपितु पत्र सं0–ख–5–661361, दिनांक 17–11–14 प्राप्त है। प्रश्न में संदर्भित पत्र सं0–ख–5–661827, दिनांक 17–11–14 अप्राप्त है, अपितु पत्र सं0–ख–5–661357, दिनांक 17–11–14 प्राप्त हुआ है, पत्र सं0–ख–5–661361, दिनांक 17–11–14 में वर्णित 06 ग्रामों में से क्रमांक–2, 4 एवं 5 की मरम्मत/सुधार का कार्य स्वीकृत एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 3 मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। पत्र सं0–ख–5–661357, दिनांक 17–11–14 वर्णित 6 मार्गों में से क्रमांक–1, 2, 3 व 5 पर अंकित मार्ग ग्रामीण श्रेणी के मार्ग हैं। मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। पत्र में क्रमांक–4 पर अंकित मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में चयनित है तथा क्रमांक–6 पर अंकित मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक पत्र पर कार्यवाही

105–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में गांव खानपुर, हिरनौटी, महेपा में

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5–660921, दिनांक 18–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 18–02–2015 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार ग्राम खानपुर, हिरनौटी, महिला की कुल जनसंख्या क्रमशः 2085, 2212 व 4590 है तथा इन ग्रामों में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना शासनादेश दिनांक 11–02–14 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन के साथ–साथ निःशुल्क पर्याप्त भूमि, मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद–गोरखपुर के ब्लाक बेलघाट के ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक पत्र पर कार्यवाही

106–श्री गयादीन अनुरागी–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर अन्तर्गत ब्लाक बेलघाट में न्याय पंचायत कुरावल, ग्राम सभा पल्हवापुर (परतापीपुर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक मा0 विधायक डा0 पूर्णमासी देहाती रामकोला, जनपद–कुशीनगर की संस्तुति के साथ पूर्व संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सैनिक विभाग के प्रार्थना–पत्र दिनांक 13–08–2014 पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पी0जी0–1049590, दिनांक 14–08–2014 प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम विरहटा से क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने की मांग

107–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0ख0–चिरगांव में ग्राम विरहटा से रामनगर रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है परन्तु आवागमन चल रहा है।

प्रश्नगत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के कतिपय विकास खण्डों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

108–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0 खण्ड–चिरगांव फोरलेन गुलारा–पहाड़ी बुजुर्ग के बीच से कपूतरन के डेरा तक सम्पर्क मार्ग कच्चा होने के कारण बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग को पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के अन्तर्गत फोर लेन मार्ग से प्रश्नगत मजरे की आबादी 250 से कम है, अतः प्रश्नगत ग्राम को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में सड़क निर्माण की मांग

109–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0खण्ड–चिरगांव में पहाड़ी दुर्ग से पचार सम्पर्क मार्ग से जरयाई तक कोई मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग, पचार तथा जरयाई पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है। इन्हें आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम लुघयाई से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

110–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी, वि0ख0–चिरगांव में ग्राम लुघयाई से करकोस रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों

को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन चल रहा है।

नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुख्यालय लखीमपुर के कस्बा पलिया व गोला में पोस्टमार्टम हाउस चालू कराने की मांग

111–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालय–लखीमपुर के कस्बा पलिया व गोला के पोस्टमार्टम हाउस चालू नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटनाग्रस्त मृतक परिवारों को हो रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पोस्टमार्टम हाउस को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा पलिया में पोस्टमार्टम हाउस नहीं है तथा कस्बा गोला का पोस्टमार्टम हाउस क्रियाशील नहीं है।

पोस्टमार्टम हाउस को चालू कराया जाना उपकरण, मानव संसाधनों एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में एक पोस्टमार्टम हाउस क्रियाशील है जिसमें जनपद के अन्तर्गत आने वाले सभी शवों का पोस्टमार्टम होता है।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती करने की मांग

112–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में कई स्पेशलिस्ट नेफ्रोलाजिस्ट एवं स्किन डाक्टरों की तैनाती न होने के कारण मरीजों को इलाज में अत्यन्त असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में विषय विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जिला चिकित्सालय, खीरी में नेफ्रोलाजिस्ट का पद सृजित नहीं है। त्वचा रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त चल रहा है। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। रोगियों

का उपचार फिजीशियन एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। जिला चिकित्सालय, खीरी में मरीजों का उपचार सुचारु रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के साधन सहकारी समितियों को सक्रिय करने की मांग

113—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत निष्क्रिय साधन सहकारी समितियों को सक्रिय करने के लिये सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी की समस्त साधन/किसान सहकारी समितियां पूर्व से ही सक्रिय हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में पुल व सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

114—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत बाढ़ के कारण रपटा पुल व सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बाढ़ से क्षतिग्रस्त रपटा पुल व सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

कोई रपटा/पुल क्षतिग्रस्त नहीं है। अपितु 19 ग्रामीण मार्ग क्षतिग्रस्त हैं जिनकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक—ईसानगर के ग्राम—बेल्तुआ के नलकूप को चालू कराने की मांग

115—श्री अवस्थी बाला प्रसाद—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लाक–ईसानगर के ग्राम–बेल्तुआ में सार्वजनिक नलकूप मय विद्युत कनेक्शन के तैयार है परन्तु चालू न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम–बेल्तुआ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग का कोई राजकीय नलकूप नहीं है।

116–श्री राजेश त्रिपाठी–

ख04थे गुरुवार के अता0प्र0सं0–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद गोररखपुर की तहसील गोला में घाघरा नदी के बहाव से कृषि योग्य भूमि को बचाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

117–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोररखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत घाघरा नदी की तेज धारा से लगभग 25 किमी0 की लम्बाई में कृषि योग्य भूमि को काटने के बाद नदी कोटिया दीपथाह, ज्ञानकोल, कोलखास एवं बगहा कटाव आदि कई गांवों के लिये खतरा बन चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के समूह और हजारों हेक्टेयर भूमि को बचाने के लिये कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद गोररखपुर के गोला तहसील में कुछ स्थानों पर घाघरा नदी द्वारा कटान किया गया है। ग्राम कोलखास कटान से ज्यादा प्रभावित हुआ है एवं अन्य ग्राम आंशिक रूप से प्रभावित हुये हैं।

उक्त गांव रामजानकी मार्ग एवं घाघरा नदी के बीच बाढ़ क्षेत्र में है। निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार फ्लड प्लेन जोन में बसे ग्रामों, आबादी आदि की सुरक्षा हेतु कोई तटबन्ध अथवा स्ट्रक्चर बनाये जाने का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला की सड़कों के मरम्मत कराने की मांग

118–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के गोला तहसील क्षेत्रकी 25 सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01–10–2012 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

25 मार्गों में से 04 मार्गों (क्रम सं0–5, 8, 10 एवं 15) पर विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत है जो प्रगति पर है। क्रम सं0–3 पर उल्लिखित मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत अनुरक्षण में है तथा 02 मार्गों (क्रम सं0–2 व 11) का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। 04 मार्गों (क्रम सं0–13, 16, 18 व 24) की दशा संतोषजनक है। शेष 14 मार्गों के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

119–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में तिलहर निगोही रोड से पैतापुर तक कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम पैतापुर लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम को दूसरी ओर से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के ग्राम अरेली पचदेवरा मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

120–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत ग्राम अरेली पचदेवरा मार्ग से सहतेपुर होते हुये ग्राम छतेनी तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की कतिपय गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

121—श्री रोशन लाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में बरीलालपुर से गॉगेपुरा तक कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग में जल भराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

ग्राम बरीलालपुर एवं गांगेपुरा अलग—अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं, इन्हें परस्पर आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में सेना की अभिरक्षा में स्थित राजकीय आस्थान की भूमि पर बाईपास का निर्माण कराने की मांग

122—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में सेना की अभिरक्षा में स्थित राजकीय आस्थान की भूमि से मास्टर जहूरूल हसन रोड (कटरा पानी की टंकी से तेलियागंज तक) तथा परा गडेरिया को मिलाने वाली सड़क निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 07—11—2014, मंडलायुक्त इलाहाबाद को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो क्या उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त राजकीय आस्थान की भूमि की पैमाइश कराकर एक बाई पास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

मण्डलायुक्त, इलाहाबाद स्तर से कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, इलाहाबाद को पत्र दिनांक 10—11—2014 द्वारा निर्देशित किया गया है। प्रश्नगत मार्ग सेना की अभिरक्षा में है। इस प्रकरण में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मेरठ के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम महरौली से रजवाहे की पटरी को पक्का कराने की मांग

123—श्री रविन्द्र भडाना—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में ग्राम महरौली से परतापुर की ओर बहने वाले रजवाहे की पटरी जिस पर आस—पास के ग्रामीणों का गन्ना भी शुगर मिल पर इसी रास्ते होकर जाता है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजवाहे की कच्ची पटरी को पक्की करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों के बिजली ट्रान्सफार्मर बदलने हेतु लाने व ले जाने की जिम्मेदारी तय करने की मांग

124—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों के बिजली ट्रान्सफार्मर फुंकने/खराब होने पर किसानों को स्वयं वितरण कम्पनी के भण्डार गृह तक पहुंचाना व लाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को परिवर्तित कर खराब ट्रान्सफार्मर को लाने व ले जाने की जिम्मेदारी वितरण कम्पनी की तय करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं के द्वारा जले हुये परिवर्तकों को भण्डार गृह तक ले जाने व मरम्मतशुदा परिवर्तकों को क्षेत्र तक ले जाने का व्यय किसानों द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश किसानों के निजी नलकूपों पर लगे ट्रान्सफार्मर में तेल कम होने की जिम्मेदारी तय करने सम्बन्धी जानकारी

125—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश किसानों के निजी नलकूपों पर लगे ट्रान्सफार्मर में तेल कम हो जाने पर तेल की जिम्मेदारी किसान की तय की जाती है

? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी वितरण कम्पनियों की तय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

निजी नलकूपों पर लगे ट्रान्सफार्मर में तेल कम हो जाने पर तेल की जिम्मेदारी किसान की नहीं होती है बल्कि विभाग द्वारा इसकी जिम्मेदारी वहन की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर की क्षमता वृद्धि कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कराने की मांग

126–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर जनपद अलीगढ़ में यूनिट सं0–7 की क्षमता वृद्धि का कार्य कब से किया जा रहा है इस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा कितनी क्षमता वृद्धि की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस यूनिट से विद्युत उत्पादन कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर, जनपद अलीगढ़ में यूनिट सं0–7 (105 मे0वा0) की क्षमता वृद्धि का कार्य दिनांक 05–03–2011 से किया जा रहा है। इस इकाई पर अब तक रु0 242.27 करोड़ धन व्यय हुआ है तथा इस इकाई की क्षमता वृद्धि 105 मे0वा0 से बढ़ाकर 120 मे0वा0 किया जाना प्रस्तावित है।

इस इकाई से विद्युत उत्पादन माह अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के तेजपुर बुलन्दशहर सीमा तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

127–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में एन0एच0–93 पर अलबरकात पब्लिक स्कूल से छेरत होते हुये तेजपुर बुलन्दशहर सीमा तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

राष्ट्रीय मार्ग सं0–93 के किमी0 79.00 से 104.00 तक का भाग जिस पर अलबरकात पब्लिक स्कूल एवं छेरत आदि स्थित है, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है

उक्त मार्ग का निर्माण/रख–रखाव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के संसाधनों से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर की यातायात की सुविधा हेतु रिंग रोड का निर्माण कराने की मांग

128–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में यातायात की सुविधा को सुगम बनाने तथा कानपुर महानगर की बढ़ती आबादी के कारण नागरिकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त रखने के लिये क्या सरकार इनर एवं आउटर रिंग रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा कानपुर महानगर में कोई इनर एवं आउटर रिंग रोड के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है, अपितु सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0डी0पी0 फेज–टप्प के अन्तर्गत रिंग रोड/बाईपास का निर्माण प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की रूप सहकारी क्षेत्र में आवासीय योजनाओं में दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग हेतु सस्ता आवास उपलब्ध कराने की मांग

129–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों आवास विकास परिषद् एवं प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा भविष्य में बनायी जाने वाली आवासीय कालोनियों में समाज के कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या–3188/आठ–1–13–80विविध/2010, दिनांक 05–12–13 द्वारा संशोधित नीति निर्गत की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रस्तावित कुल आवासीय इकाइयों (भू–खण्ड अथवा फ्लैट) का न्यूनतम 10–10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण अनिवार्य किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बरेली को जिला चिकित्सालय में हीमोफीलिया के इंजेक्शन युक्त सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

130—डा0 अरूण कुमार—

क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में हीमोफीलिया के रोगियों को 8 व 9 इंजेक्शन की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01—11—2014 महानिदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की कतिपय कालोनियों में विद्युतीकरण की मांग

131—डा0 अरूण कुमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के डूडा, परतौर, आवास कालोनी कलक्टरगंज में विद्युतीकरण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 163—ए0बी0, दिनांक 28—09—2014 तथा 01—12—2014 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जनपद बरेली के डूडा, परतौर आवास कालोनी कलक्टरगंज से जिला शहरी विकास प्राधिकरण (डूडा) बरेली द्वारा विकसित की गई है, जिसमें उनके द्वारा विद्युतीकरण का तंत्र न तो विकसित किया गया है और न ही इस आशय को कोई आवेदन जिला शहरी विकास प्राधिकरण (डूडा) द्वारा विद्युत विभाग को अब तक प्राप्त हुआ है। अविद्युतीकृत विकसित कालोनियों में विद्युतीकरण हेतु कोई विभागीय योजना/वित्त पोषण नहीं है जिसके कारण जिला शहरी विकास प्राधिकरण (डूडा) द्वारा विकसित की गई कालोनी में उक्त विद्युतीकरण कराना विभागीय स्तर पर वर्तमान में सम्भव नहीं है।

जिला शहरी विकास प्राधिकरण (डूडा) द्वारा विद्युतीकरण हेतु आवेदन एवं धनराशि उपलब्ध कराने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद बरेली की तहसील बरेली के ग्राम बकौनी राजकीय नलकूप लगाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

132—डा0 अरूण कुमार—

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के ग्राम बकौनी, परगना कावर तह0 बहेड़ी में राजकीय नलकूप लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01–11–2014 जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम, बरेली द्वारा राजकीय नलकूप लगाने हेतु प्रश्नगत क्षेत्र का सर्वे कराने की कार्यवाही की जा रही है। साध्यता पाये जाने पर वर्ष 2015–16 में नये नलकूपों के निर्माण हेतु शासकीय स्वीकृति के उपरान्त प्रकरण ''नलकूप जिला स्थल चयन समिति'' के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त बजट की उपलब्धता होने पर नलकूप का निर्माण कराया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़कों के रख–रखाव एवं पुनर्निर्माण की नीति

133–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों के रख–रखाव एवं पुनर्निर्माण की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अति जर्जर अमाव–टूटवारी मार्ग व गड़वार रतसर मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्तकबीर नगर के विकास खण्ड बघौली की कतिपय गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

134–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के विकास खण्ड बघौली के बखिराया से सूपा परसा तक दूरी दो किमी0, सूपा परसा से बजरिया तक दूरी दो किमी0, शाहपुर दरगाह से जूरी तक दूरी 1 किमी0, सरैनी से मकदूमपुर दूरी 1 किमी0, बाकरगंज से बेलदारीपुर तक दूरी 2 किमी0, पैकवलिया से परसा झकरिया हास्पिटल तक दूरी 1 किमी0, ग्राम अवामा से परसवा तक दूरी 1 किमी0 के सभी मार्ग गड्ढायुक्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी मार्गों को पिच मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

शाहपुर दरगाह से जूरी व सरैनी से मकदूमपुर मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा खड़न्जा स्तर तक निर्मित हैं, जिसका स्वामित्व पंचायती राज विभाग का है। पकवलिया से परसा झकरिया हास्टिपल तक मार्ग स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है। शेष 04 मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के मार्गों की मरम्मत/पिच कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्राम पंचायत नीमा तक क्षतिग्रस्त मार्गों का बनवाये जाने की मांग

135–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्राम पंचायत नीमा तक दूरी 1 किमी0 तथा ग्राम बगहवा से कुसमीडांडी दूरी 1 किमी0 तक लेपन युक्त क्षतिग्रस्त मार्गों को पिच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

दलेलगंज से केकरहिया एवं दलेलगंज से नीमावा मार्ग ग्रामीण श्रेणी के लेपित मार्ग है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उक्त दोनों मार्गों की मरम्मत/पिच कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड सेमरियावां के ग्राम पंचायतें थुरन्डा की कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

136–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड सेमरियावॉ के ग्राम पंचायतें थुरन्डा से ढोढाई तक दूरी 1.5 किमी0, सुरहिया बघौली वाया केसारी से परसा चौराहे तक दूरी 1 किमी0, कड़जा से करमा खान तक दूरी 1 किमी0 एवं कोहरियावां खुर्दा बाग से कोहरियावां सम्पर्क मार्ग तक दूरी 1 किमी0, सफियाबाद अरबिया मदरसे से परसादपुर तक दूरी 1 किमी0 के सभी मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों को पिच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

थुरण्डा से ढोढई मार्ग की लम्बाई 1.70 कि0मी0 के सापेक्ष प्रथम 0.700 कि0मी0 में खड़न्जा का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है, शेष 1.00 कि0मी0 मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित है। सुरदहिया बघौली वाया केसारी परसा चौराहा तक एवं कडजा से करमाखान तक मार्ग आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। कोहरियांवा खुर्द बाग से कोहरियांवा सम्पर्क मार्ग तक का, मार्ग निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है एवं साफियाबाद अरबिया मदरसे से परसादपुर तक ग्राम पंचायत द्वारा खड़न्जा स्तर तक निर्मित है, जिसका स्वामित्व पंचायती राज विभाग का है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के क्षतिग्रस्त मार्गों को पिच कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड सेमरियावां की अनेकों क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराने की मांग

137—डा0 मो0 अयूब—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के विकास खण्ड सेमरियावां के कानपारा रक्साकला पिच मार्ग से डड़वा माली तक दूरी 1 किमी0, दरियाबाद जामिया मदरसा से राउतपार तक दूरी 1 किमी0, देवरिया लाल अमया पिच मार्ग पर डोडही के पुरवा इस्लामपुर तक दूरी 1 किमी0, बी0एम0 सी0टी0 पिपरा हंकार से सिसवां दखली पुरवा गरथवलिया व लोकी तक दूरी 1 किमी0 तथा अगया पिच मार्ग पर तिलजा वाया जूनियर हाईस्कूल विगरा अव्वल से विगरा अव्वल तक दूरी 1.5 किमी0 के सभी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिन पर बरसात में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

प्रश्न में वर्णित कानपारा रक्साकला पिच मार्ग से डड़वा माली दरियाबाद जामिया मदरसा से राउतपार तक व देवरिया लाल अमया पिच मार्ग पर ढोढ़ई के पुरवा इस्लामपुर तक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है। बी0एम0सी0टी0 पिपरा हंकार से सिसवा दाखिली पुरवा गरथवलिया व लोकी व अगवा पिच मार्ग पर तिलजा वाया जू0 हाई स्कूल विगरा अव्वल से विगरा अव्वल तक का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड बघौली के ग्राम नरसिंहपुर से अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने की मांग

138—डा0 मो0 अयूब—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड बघौली के ग्राम नरसिंहपुर से मुशरद तक दूरी 1 किमी0, बखरिया से मकदूमपुर तक दूरी 1 किमी0 तथा विकास खण्ड–सेमरियावां के लखमा जूनियर हाई स्कूल से अमया ग्राम पंचायत देवरियालाल तक दूरी 1 किमी0, मुशरद पिच से मुशरद कब्रिस्तान तक दूरी 0.500 किमी0 तक के सभी मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मुसरद से नरसिंहपुर मार्ग, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा शेष 02 मार्ग ग्राम पंचायत द्वारा खड़न्जा स्तर तक निर्मित है, जिसका स्वामित्व पंचायती राज विभाग का है।

लोक निर्माण विभाग के क्षतिग्रस्त मार्ग मुसरद से नरसिंहपुर मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष 2 मार्गों का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

139–श्री सतीश महाना–

ख्4थे सोमवार के अता0प्र0सं0–19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बरेली में सिटीजन चार्टर की व्यवस्था लागू कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

140–डा0 अरूण कुमार–

क्या लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में जनहित गारंटी अधिनियम तथा सिटीजन चार्टर की व्यवस्था लागू करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29–12–2014 जिलाधिकारी, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 21–12–2014 जिलाधिकारी, बरेली को दिनांक 29–12–2014 को प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र सं0–01, दिनांक 01–01–2015 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा को उत्तर दिया गया है। जनपद–बरेली में उ0प्र0 जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 एवं सिटीजन चार्टर व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बिहार की सीमा पर स्थित प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

141–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बिहार की सीमा पर स्थित प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

बिहार की सीमा पर स्थित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में श्री साकेत आश्रम महादेव की चहारदीवारी की दिवार का निर्माण कराने की मांग

142–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री साकेत आश्रम महादेवा घा–जगतापुर, फखरपुर जनपद बहराइच के चहारदिवारी का निर्माण कराये जाने विषयक संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–417/भाजपा/वि0म0द0/2014, दिनांकित 07–10–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी हां।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल के पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में नहरों की पटरी को लेपन स्तर का निर्माण कराने की मांग

143–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच में बरखुरदारपुर–बदरौली बांध मार्ग से तखवां तक नहर की पटरी को लेपन स्तर तक निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख/5–186334, दिनांकित 06–01–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज जनपद बहराइच में ग्राम बरखुरद्वारापुर–बदरौली मार्ग को कैसरगंज राजवाहा लगभग किमी0 26.000 के समीप क्रास करता है। कैसरगंज राजवाहे के किमी0 26.000 से किमी0 30.250 के मध्य ग्राम–तखवा का क्षेत्र पड़ता है। इस रीच में कैसरगंज राजवाहे की पटरी को लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की कोई कार्य योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

मलिहाबाद लखनऊ में जहरीली शराब से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को सहायता एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

144–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिहाबाद लखनऊ में जनवरी, 2015 में जहरीली शराब पीने से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं मृतकों के परिवारजनों को क्या–क्या सहायता दी गयी ? क्या इस घटना के लिये दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रदेश में ऐसे प्रकरण पाये जाने पर किसी अधिकारी की निश्चित जिम्मेदारी तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद लखनऊ के महिलाबाद तथा उसे लगे उन्नाव जनपद में दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2015 को जहरीली शराब पीने की दुःखद घटना घटित हुई जिसमें जनपद लखनऊ में 36 व्यक्तियों एवं उन्नाव में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कई व्यक्ति बीमार हुए।

मृतकों के परिवार जनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो–दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है।

प्रश्नगत गम्भीर घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए निम्न कार्यवाही की गईः–

1–प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत आबकारी विभाग के जनपद लखनऊ के 11 तथा जनपद उन्नाव में 07 अर्थात् कुल 18 अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से शासन/आयुक्तालय स्तर से निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2–उक्त के अतिरिक्त जनपद लखनऊ में पुलिस विभाग के एक क्षेत्राधिकारी सहित कुल 06 कार्मिकों को निलम्बित किया गया है।

3–प्रथम दृष्टया घटना में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 08/2015 थाना मलिहाबाद के अन्तर्गत धारा 304, 328 भा0द0वि0 एवं 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त जुगनू पुत्र बदलू व गटरू पुत्र घसीटे सहित पांच व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 272 भा0द0वि0 एवं 7–क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेन्ट ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। इस घटना की मैजिस्टेरियल जांच हेतु श्री धनन्जय शुक्ला अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जाचं अधिकारी द्वारा जांच की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से हो रही जनहानि के लिये आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ऊर्जा विभाग में टर्न की वेसिस व्यवस्था अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास निधि से कार्य कराने के सम्बन्ध में जानकारी

145—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग में ऊर्जीकरण हेतु टर्न टैक्स वेसिस व्यवस्था लागू है ? यदि हां, तो मा0 संसद/मा0 विधायकगणों के क्षेत्रीय विकास निधि के अन्तर्गत दिये गये प्रभावों को टर्न की वेसिस पर कराने का आदेश कब तक जारी हो जायेगा ? क्या सरकार इस प्रकार के प्रभावों में हो रहे विलम्ब से नागरिकों की परेशानी के दृष्टिगत अविलम्ब प्राविधान परिवर्तित कर चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

ऊर्जा विभाग में ऊर्जीकरण हेतु टर्न की बेसिस व्यवस्था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजनाओं हेतु लागू है।

मा0 सांसद/मा0 विधायकगणों के क्षेत्रीय विकास निधि के अन्तर्गत दिये गये प्रस्तावों को टर्न की बेसिस पर कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्य विभागीय भण्डार से सामग्री उपलब्ध कराने के उपरान्त बाह्य एजेन्सी द्वारा कार्य समय—सीमा के अन्तर्गत सुगमता से सम्पादित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली में यातायात की सुगमता हेतु थाना बारादरी तक उपरगामी पुल का निर्माण कराने की मांग

146—डा0 अरूण कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शहर की जनसंख्या एवं वाहनों की वृद्धि से यातायात की सुगमता हेतु बरेली कालेज के पश्चिमी गेट से थाना बरादरी तक उपरगामी पुल का निर्माण कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यस्थल पर पर्याप्त चौड़ाई में भूमि उपलब्ध नहीं है।

जिला अस्पताल बरेली में डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने की मांग

147—डा0 अरूण कुमार—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल बरेली में डायलेसिस मशीन न होने के कारण गुर्दा रोग के मरीजों को शहर से बाहर डायलिसिस के लिये जाना पड़ता है जिससे जनहानि की भी आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में यथाशीघ्र मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन—

जी नहीं। म0प्र0 जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली में डायलिसिस मशीन निष्प्रयोज्य होने के कारण गुर्दा रोग के मरीजों को हायर सेन्टर संदर्भित किया जाता है।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों को स्थापित किया जाना विशेषज्ञ चिकित्सक, तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के कैसरगंज से सड़क निर्माण करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

148—श्री मुकुट बिहारी वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में कैसरगंज से हुजूरपुर रोड एवं फखरपुर से जगतापुरी का सड़क निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या—ख/5—186342 दिनांकित 07—01—2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

जी हां।

कैसरगंज से हजूरपुर रोड में नवीनीकरण का कार्य आंशिक भाग में स्वीकृत एवं प्रगति में है एवं इस मार्ग के शेष भाग की तथा फखरपुर से जगतापुरो (जगतापुर) मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण विषयक पत्र पर कार्यवाही

149—श्री मुकुट बिहारी वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड कैसरगंज के ग्राम हतिम्सा सम्सपुर के मजरा बालकराम पुरवा का आधा गांव विद्युत विहीन है, का बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या—घ—5—293077,

दिनांकित 29–12–2014 अधिशासी अभियन्ता विद्युत बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

काफी प्रयास के उपरान्त भी पत्र प्राप्त नहीं हो सका।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

150–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5–661357, दिनांक 17–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में वर्णित मार्गों में से क्रमांक 1, 2, 3 व 5 पर अंकित मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इन मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्रमांक–4 पर अंकित मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 (अ0जि0मा0) में चयनित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विलम्ब विषयक पत्र पर कार्यवाही

151–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद एवं गुलावटी में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (द्वितीय चरण) में विलम्ब विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5–661379, दिनांक 25–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

विकास खण्ड सिकन्द्राबाद एवं गुलावटी जनपद बुलन्दशहर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 151 ग्राम व 50 मंजरे है, जिनमें से 34 ग्राम व 14 मंजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष ग्राम एवं मजरों के विद्युतीकरण का कार्य अप्रैल, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड गुलावटी के ग्राम छपरावत में विद्युत सब–स्टेशन स्थापित करने विषयक–पत्र पर कार्यवाही

152–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम छपरावत विकास खण्ड गुलावटी में 33 के0वी0ए0 सब–स्टेशन/बिजलीघर स्थापित कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5–661378, दिनांक 25–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

ग्राम छपरावत, विकास खण्ड गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर में 33 के0वी0 सब–स्टेशन स्थापित करने का कार्य बिजनेस प्लान में शामिल कर लिया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, बुलन्दशहर ने अपने कार्यालय पत्रांक 80, दिनांक 08–01–2015 के द्वारा उक्त कार्य हेतु जिलाधिकारी बुलन्दशहर से भूमि के आवंटन के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा सिकन्द्राबाद की नवीन सड़कों के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

153–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा सिकन्द्राबाद की नवीन सड़कों के निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5–615075, दिनांक 05–08–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में वर्णित सभी 4 मार्ग पूर्व से ही अलग–अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अन्य कोई कार्यवाही लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान ग्राम नौगवां मुबारकपुर की क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

154—श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान में गांव नौगवां मुबारकपुर का क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग जो राज्य पथ संख्या—43 से जुड़ा है, की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद के कतिपय ग्रामों में लो—वोल्टेज विद्युत समस्या को दूर करने के उपाय

155—श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद के अन्तर्गत स्थित नगरपालिका जलालाबाद, ग्राम गुनारा नगरिया, सुल्तानपुर आदि कई गांवों में लो—वोल्टेज विद्युत समस्या व्याप्त होने के कारण क्षेत्रीय किसानों व निवासियों को अत्यधिक परेशानियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लो—वोल्टेज की समस्या को दूर करने हेतु कोई प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व में केवल एक मात्र 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र 2×10 एम0वी0ए0 जलालाबाद (ग्रामीण) का स्थापित था, जिसके द्वारा नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति की जाती थी, जोकि अतिभारित था, जिससे गर्मियों में लो—वोल्टेज की समस्या बनी रहती थी। वर्तमान में 33/11 के0वी0 की विद्युत उपकेन्द्र 2×5 एम0वी0ए0 जलालाबाद (तहसील) को ऊर्जीकृत कर नगर—तहसील को विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा ग्रामीण विद्युत उपकेन्द्र से ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे वर्तमान में लो—वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा तमकुहीराज में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर में सा0 स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने की मांग

156—श्री अजय कुमार 'लल्लू'—

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा तमकुहीराज में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर सा0 स्वास्थ्य केन्द्र सेपटही में बनना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर सा0 स्वास्थ्य केन्द्र सेपटही में नहीं अपितु सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र, शेवरही में बनना प्रस्तावित है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के उरूवा बाजार से तहसील मुख्यालय की अनेक सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक–पत्र पर कार्यवाही

157–श्री सुधाकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के उरुवा बाजार से तहसील मुख्यालय गोलाबाजार तक राजकीय रोड एवं उरुवा बाजार में धुरियापुर होते हुए परतापीपुर ग्राम तक की सड़क की मरम्मत कराने विषयक विधायक डा0 पूर्णमासी देहाती, रामकोला, जनपद गोरखपुर की संस्तुति पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पी0जी0सं0 410504348, दिनांक 29 अगस्त, 2014 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में वर्णित पी0जी0स0–410504348, दिनांक 29 अगस्त, 2014 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु पी0जी0 सं0–10504348, दिनांक 29 अगस्त, 2014 प्राप्त हुआ है।

उरूवा बाजार से गोला बाजार तक के आंशिक भाग की मरम्मत करा दी गयी है, जिसकी दशा सन्तोषजनक है। उक्त मार्ग के शेष भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उरूवा बाजार से धुरियापार मार्ग तक के भाग में उच्चीकरण का कार्य स्वीकृत एवं कार्य प्रगति पर है जबकि धुरियापार से परतापीपुर ग्राम तक की सड़क के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण की जवाहरपुरम् योजना की क्षतिग्रस्त सड़कें, गलियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

158–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण की जवाहरपुरम् योजना फेस–प्प की सड़कें व नालियां क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्राधिकरण की जवाहरपुरम् योजना में कुछ सड़कें व नालियां क्षतिग्रस्त हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों के कुछ कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 में कराये जा चुके हैं। अवशेष कार्यों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के जिला अस्पताल पडरौना में ट्रामा सेन्टर स्थापित कराने विषयक–पत्र पर कार्यवाही

159–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के जिला अस्पताल पडरौना में ट्रामा सेन्टर स्थापित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0 10547704, दिनांक 24–11–2014 पर दर्ज है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

शासन के पत्र संख्या–वीआईपी–235/5–6–2014, दिनांक 12–01–2015 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को जनपद कुशीनगर के जिला अस्पताल पडरौना में ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र समुचित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने की मांग

160–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने की कोई कारगर योजना है ? क्या सरकार जिन ग्राम सभाओं व नगरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है, उनकी क्षमता वृद्धि पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2016 से 16–18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना है।

ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर विद्युत तार परीक्षणोपरान्त आवश्यकतानुसार सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत बदले जाते हैं।

जी हां।

ग्राम सभाओं व नगरीय क्षेत्रों में अतिभारित ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि बिजनेस प्लान एवं व्यापार विकास निधि अथवा आर0ए0पी0डी0–आर0पी0 योजना के अन्तर्गत भार की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के अनेकों ग्रामों को बाढ़ से बचाने के उपाय

161–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव मौजमपुर पहकआ, कुनिया शाहनजीरपुर, किलापुर, मदुरा आदि अनेक गांवों का अस्तित्व रामगंगा नदी की कटान से खतरे में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु बन्धे का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त गांवों को बाढ़/कटान से बचाने हेतु एक परियोजना के गठन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के साध्य पाये जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फ तेहपुर सीकरी के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

162–श्री सूरज पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा 91–फतेहपुर सीकरी में फरह से अछनेरा तक अछनेरा झुण्डवाई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। यातायात चालू है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना एक्सप्रेस–वे के निर्माण में काटे व लगाये गये वृक्षों का विवरण

163–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना एक्सप्रेस–वे के निर्माण में मार्ग में पड़ने वाले कितने हरे वृक्षों को काटा गया था ? क्या सरकार यह भी अवगत करायेगी कि कटे हुए वृक्षों के स्थान पर कितने वृक्षों का रोपण किया जाना था एवं लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितने वृक्ष लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

यमुना एक्सप्रेस–वे (ताज एक्सप्रेस–वे) के निर्माण में वन भूमि पर कुल 2,558 वृक्षों का पातन किया गया।

पातित वृक्षों के बदले रोपण लक्ष्य 11,786 के सापेक्ष 1,736 पौधों का रोपण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के कतिपय ग्रामों के गड्ढायुक्त मार्गों का निर्माण कराने की मांग

164–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में वरैचा से हटादलेलपुर होते हुए कैमुआ नाला के किनारे विकास खण्ड ददरौल के ग्राम कपेड़ कटका तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग में बरसात के समय जल भराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम बरैचा व कपेड़ कटका पूर्व से ही अलग–अलग सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्ग से जुडे हैं तथा ग्राम हटा दलेलपुर हेतु बुढानपुर से हटा दलेलपुर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 में निर्माणाधीन है, जिससे ग्राम हटा दलेलपुर भी सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्ग से जुड़ जायेगा। इन ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्राम पुरायूं की गड्ढायुक्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

165–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम पुरायूं से हुसैनापुर तक कच्चा

गड्ढायुक्त मार्ग में जल भराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम पुरायूं पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा ग्राम हुसैनापुर की आबादी 462 है, जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 121 है। वर्तमान में 500 से कम आबादी के ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के जट्टारी से पिसावा मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

166–श्री भगवती प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के अन्तर्गत जट्टारी से पिसावा मार्ग लं0 लगभग 18 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बना मार्ग वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन है, क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत लाइनमैनों के रिक्त पदों को भरने की मांग

167–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत लाइनमैनों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार वर्षों से खाली पड़े लाइनमैनों के रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत लाइनमैन, परिवर्तित नाम टी0जी0–2 लाइन के क्रमशः 5450 एवं 220 पद रिक्त हैं।

टी0जी0–2 (लाइन) का पद प्रोन्नति द्वारा संगत विनियमों के प्राविधानानुसार भरा जाता है।

टी0जी0–2 (लाइन) के पद पर प्रोन्नति एक सतत प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के गुलावटी नगर से गुजरने वाली विद्युत लाइन को स्थानान्तरित करने की मांग

168–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के गुलावटी नगर के बीचो–बीच से गुजर रही 33 के0वी0ए0 विद्युत लाइन को स्थानान्तरित करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0 10473776, दिनांक 07–07–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

नगरपालिका, गुलावटी के बीचों–बीच से गुजर रही 33 के0वी0 विद्युत लाइन को हटाने के कार्य हेतु एक नग निविदा कार्यदायी संस्था को की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 33 के0वी0 ट्रैन्चलैस केबिल डालने हेतु मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के कार्यालय द्वारा 03 बार निविदा की तिथि को विस्तारित करने के उपरान्त दिनांक 16–03–2015 को निविदा खोली जा चुकी हैं। निविदा निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं उपरोक्त कार्य माह नवम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उक्त कार्य सचिव मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक शून्य दिनांक 21–05–2013 के अनुपालन में जन सुरक्षा के दृष्टिगत पावर कारपोरेशन द्वारा अपने श्रोतों से सम्पादित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़कों के निर्माण की मांग

169–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0–10474982 एवं 10475407, दिनांक 09–07–2014 जो जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सुधार एवं नवीन सड़कों के निर्माण विषयक है, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

संदर्भित पत्र पी0जी0–10474982 में वर्णित 8 मार्गों में से क्रमांक 4 एवं 7 पर अंकित मार्ग स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति में है। क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6 व 8 पर अंकित मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

संदर्भित पत्र पी0जी0–10475407 में वर्णित सभी 4 मार्ग लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक के शाखा प्रबन्धक के सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान कराने की मांग

170–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त शाखा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0 शाखा सहजनवां, जिला गोरखपुर, श्री रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव के 31–07–2003 को सेवानिवृत्तिक हो जाने के बावजूद पिछले 11 वर्षों से अभी तक उनके सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान न करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5/308383, दिनांक 22–9–14 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री श्रीवास्तव को उनके देयकों का भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

श्री श्रीवास्तव पर उत्कोच लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान द्वारा ट्रैप किये जाने के कारण इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित रही, जिसके कारण इनके सेवानिवृत्तिक देयों का भुगतान लम्बित रहा।

वर्तमान में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है, शेष सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर की गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

171–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत गोरवा चौराहे से सुदामा गंज चौराहे तक लगभग 3 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। परन्तु आवागमन चल रहा है।

सड़क का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी की अनेकों सड़कों का निर्माण कराने की मांग

172–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत चनुआ प्रधान मंत्री मार्ग से गेल्हापार चौराहे होते हुए खमोखर तक लगभग 5 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। परन्तु आवागमन चल रहा है।

सड़क का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सदर की सड़कों का निर्माण कराने की मांग

173–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत एन0एच0 28 से ईईपार स्कूल तक दूरी लगभग 1.00 कि0मी0 पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं बरसात के समय सड़क में गड्ढे होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। परन्तु आवागमन चल रहा है।

सड़क का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड सदर के साऊंघाट के अन्तर्गत वॉसीरोड चुंगी से गौरा चौराहे तक के सड़कों के निर्माण की मांग

174—श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 310 विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड साऊंघाट के अन्तर्गत वॉसीरोड चुंगी से पालिटेक्निक चौराहा होते हुए गौरा चौराहे तक मार्ग लगभग 3.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं सड़क में गड्ढे होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड साऊंघाट के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों के निर्माण की मांग

175—श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 310 विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड साऊंघाट के अन्तर्गत परसा वेल्लौर पिचमार्ग से सोनहटी सर्रोहवा बड़कुइयां होते हुए बस्ती मेंहदावल मार्ग तक लगभग 4.00 कि0मी0 तक रोडवेज से कांटे चौराहे तक मार्ग लगभग 22.00 कि0मी0 एवं नरियांव चौराहे से कुर्बिया होते हुए खारपुरवा रेलवे क्रासिंग मार्ग तक लगभग 4.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढेयुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव—

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। परन्तु आवागमन चल रहा है।

सड़क का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों का विद्युतीकरण

176—श्री दीपक पटेल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद इलाहाबाद के विद्युतीकरण वंचित गांव व मडाकों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद इलाहाबाद में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 11वीं योजना के मानकानुसार 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जा रहा है।

विद्युतीकरण का कार्य माह दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा महुवारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की नियुक्ति कर संचालित कराने की मांग

177–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा महुवारी तथा ग्राम सभा बरामार में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हुए 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है परन्तु उक्त केन्द्रों पर अब तक कोई डाक्टर व स्टाफ की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्मित अस्पतालों में डाक्टर एवं स्टाफ की नियुक्ति करके अस्पताल का संचालन प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका के ग्राम सभा महुआरी तथा ग्राम सभा बरामार में किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं हुआ है। उक्त ग्राम सभाओं में सब–सेन्टर निर्मित है तथा सब–सेन्टर में मानक के अनुसार ए0एन0एम0 तैनात हैं। सब–सेन्टर पर डाक्टर एवं स्टाफ की तैनाती का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

178–श्री दीपक पटेल–

खदिनांक 11–03–2015 को अता0प्र0सं0–125 द्वारा उत्तरित,

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद की ग्राम पंचायत जूरी में बांस बल्ली के स्थान पर आर0सी0सी0 पोल में विद्युत तार लगवाये जाने की मांग

179–डा0 मो0 अयूब–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के ग्राम पंचायत जूरी विकास खण्ड बघौली जो लोहिया ग्राम में चयनित है, में विद्युतीकरण के दौरान बांस व बल्ली के पोल का प्रयोग हुआ था जो वर्तमान में जर्जर व सड़ गये हैं

जिसके कारण ग्राम में विद्युत समस्या व दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में बल्ली बांस के स्थान पर आर0सी0सी0 पोल मय तार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विद्युत सम्बन्धी समस्या का तत्काल निराकरण करा दिया जाता है तथा अभिलेखानुसार अभी तक कोई विद्युत दुर्घटना संज्ञानित नहीं है।

ग्राम पंचायत जूरी, विकास खण्ड बघौली विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) में चयनित है, जिसके अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

विद्युतीकरण का कार्य माह मार्च, 2016 में पूर्ण होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद संतकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के कतिपय वार्ड में आर0सी0सी0 पोल में तार लगाकर विद्युत सप्लाई की मांग

180–डा0 मो0 अयूब–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद में स्थित वार्ड सं0–24, मोतीनगर, 12 फैजान मस्जिद, 06 बेलदारी टोला तथा वार्ड सं0–03 में जगह–जगह बांस बल्ली के सहारे लोगों ने लम्बी–लम्बी केबिल के माध्यम से विद्युत कनेक्शन लिया है जो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं जिससे आये दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांस व बल्ली के स्थान पर आर0सी0सी0 पोल मय तार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

विद्युत संयोजन 40 मीटर की दूरी पर नियमानुसार दिया जाता है। यदि उपभोक्ता ने 40 मीटर से अधिक की दूरी पर संयोजन प्राप्त कर लिया गया है, तो उपभोक्ता को प्राक्कलन के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी। उपभोक्ताओं से विद्युतीकरण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्युत संयोजन दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में पुलिया निर्माण कराने विषयक–पत्र पर कार्यवाही

181–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ठोरिया वि0ख0 विशेश्वरगंज में ठोरिया मोड़

पर श्रीघपुरवा के पास नहर पर एक पुलिया/कदम पुलिया का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10475581/2014, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 से आख्या प्राप्त की गयी। आख्या के परिशीलन से यह संज्ञान में आया कि पत्र में अर्न्तग्रस्त बिन्दु लो0नि0वि0 से सम्बन्धित न होकर सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, जिसके दृष्टिगत पत्र संख्या–184/वि0स0प्र0/2015, दिनांक 19–03–2015 द्वारा संदर्भगत प्रकरण प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

ख12.20 बजे, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बाबू लाल वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

अब निधन के निर्देश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बाबू लाल वर्मा का 17 मार्च, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री बाबू लाल वर्मा का जन्म 01 जनवरी, 1925 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बालू लाल वर्मा वर्ष 1974 में जनसंघ तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज, जिला बहराइच से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बाबू लाल वर्मा ने अनेक आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरुप वे कई बार जेल गये थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमण्डल में उप मंत्री रहे थे। वे जनसंघ के जिला प्रधान तथा प्रदेशीय कार्य समिति के सदस्य एवं भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री रहे थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं। सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बाबू लाल वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मा0 श्री बाबू लाल वर्मा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतृप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक–संवदेनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट खड़े होकर मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलें नष्ट हो जाने से कृषकों द्वारा आत्महत्या करने पर परिवार को मुआवजा दिये जाने का अनुरोध

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

मान्यवर, हमारे जनपद लखीमपुर की तहसील निघासन के अन्तर्गत एक किसान लेखई सन ऑफ दुजई उम्र लगभग 40 वर्ष ग्राम छेदुई पतियां थाना एवं तहसील निघासन, ने लटककर आत्महत्या कर ली। उसने अपने खेत में जा करके देखा कि अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उसके परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये और उसकी समस्या का निदान किया जाये।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आज मेरा तारांकित प्रश्न–08 था। मान्यवर कांशीराम आवास योजना में जो अभी तक मकान बने हैं और अधूरे हैं उनके सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी हुआ था। मान्यवर, मैंने एकदम सीधा–सीधा प्रश्न किया था कि क्या यह शासनोदश जारी हुआ है लेकिन उसका उत्तर न देकर के उसको विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। मान्यवर, यह दूसरी बार हुआ है और आज मान्यवर कांशीराम आवास योजना के नाम पर एटा, इटावा, मैनपुरी, इलाहाबाद और मथुरा कई जगह पर मकान बने हैं और आधे–अधूरे हैं। यह उनको पूरा करके मकान एलॉट करने के सम्बन्ध में था। इसमें कोई विस्तीर्णता भी नहीं है तो मैं आपसे चाहूंगा कि हमको इसका उत्तर जो है चाहे लिखित उत्तर ही हो क्योंकि शासनादेश जारी हुआ है उसके आधार पर दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

चूंकि यह निरस्त हो चुका है इसलिये इसका उत्तर कहां से आयेगा।

(डा0 मो0 अयूब द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका क्या है, डा0 साहब आप रुक जाईये।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा स्वयं का व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा अतारांकित प्रश्न सं0–125 है। इस अतारांकित प्रश्न का जवाब मा0 मुख्य मंत्री जी के यहां से दिया गया है। मेरा सवाल था कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों पर लगे ट्रांसफार्मर में तेल कम हो जाने पर तेल की जिम्मेदारी किसान की तय की जाती है तो जवाब आया है कि निजी नलकूपों पर लगे ट्रांसफार्मर में तेल कम हो जाने पर तेल की जिम्मेदारी किसान की नहीं होती है बल्कि विभाग की होती है और इसकी जिम्मेदारी वहन की जाती है जबकि मेरे पास लिखित में है और अलीगढ़ में तेल का पैसा जमा कराने की रसीद भी है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था कहां आ गई ?

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, यह व्यवस्था तो है ही।

श्री अध्यक्ष–

जब सरकार स्वीकार करती है कि हम सब करेंगे तो आपको क्या है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, इसमें तेल का पैसा लिया गया है। इसकी लिखित में रसीद भी है। जे0ई0 ने ये रसीद दी है जो मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष–

आप इसको सरकार में लिखकर दो न। आप सरकार में लिखकर दीजिये। असेम्बली ही थोड़े सबका समाधान है।

आज की कार्य–सूची की मद संख्या–17 (4) के अन्तर्गत भाषा विभाग के बजट में बजट न होने का प्रकरण

डा0 मो0 अयूब–

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य–सूची की मद संख्या–17(4) में लिखा है कि भाषा विभाग के अन्तर्गत विवाद नहीं है, यह लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष–

ये अभी जब आयेगा, जब बजट लिया जायेगा तो कहियेगा।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी मैं, एक मिनट लूंगा। सरकार ने 7 अक्टूबर 89 को जब...

श्री अध्यक्ष–

यह विषय जब आएगा। ये बजट का जब प्रश्न जब आयेगा, जब वह उठेगा तब उसमें कहिए।

डा0 मो0 अयूब–

मुझे अवसर दे दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलिएगा, भाषा पर।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कैसे बोलेंगे, भाषा पर कोई विवाद नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

भाषा पर बहस होगी तो बोलेंगे।

ख12.25 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25–03–15 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 80 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 26 सूचनायें स्वीकार की गई, बतायें इसमें क्या करें हम। 15 सूचनाएं लेनी हैं और उसमें 65 सूचनायें जब रिजेक्ट होंगी तो आपमें आक्रोश होगा कि नहीं होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा कम दिया कीजिए और देखकर दिया कीजिए।

पहली सूचना श्री सुधीर कुमार जी की महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका के पदों में से एक पद मुख्य बाल सेविका के पद को उच्चीकृत किये जाने एवं कार्य के आधार पर समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य जी की जनपद बदायूं के कैंसर पीड़ित मरीज श्री सत्यदेव को आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री विजय बहादुर यादव जी की जनपद गोरखपुर में सूरजकुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग जी की जनपद आगरा की राधा विहार कालोनी अन्तर्गत कमला नगर की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा जी की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के पार्कों में लगी खराब लाईटों को सुधारे जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री अनिल कुमार जी की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री दीपक पटेल की (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर), आठवीं सूचना श्री सत्यवीर मुन्ना जी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लॉक बहरिया के लोहिया ग्राम हरिराम पट्टी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान जी की विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री अबरार अहमद जी की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटेहवा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री गुलाब चन्द सरोज जी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत देवकली से बेलांव सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी जी की जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के अन्तर्गत ग्राम रेहरा माफी में कृषि उत्पादन मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री नदीम जावेद जी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक खुटहन के ग्राम अशरफपुर की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री राधेश्याम जी की जनपद अमेठी में ग्राम सभा निहालगढ़ एवं पालपुर को मिलाकर नई नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री संजय कपूर जी की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री गजराज सिंह जी की जनपद हापुड़ में मेरठ–खुर्जा मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश जी की जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त होने वाले 02 प्रतिशत शुल्क से होने

वाली आय से विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में हैं। अट्ठारहवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद जी की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना पं0 सुदेश शर्मा जी की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम जी की जनपद अलीगढ़ के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री अन्सार अहमद जी की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर), बाइसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा जी की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में की गई चकबन्दी में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेईसवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया जी की जनपद लखीमपुर के निर्धन किसान से पुलिस द्वारा जबरन उसका ट्रैक्टर खींच लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौबीसवीं सूचना श्री मोहम्मद जासमीर अन्सारी जी की है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने तथा उनके सदन में उपस्थित न होने पर), पच्चीसवीं सूचना श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह जी है (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने तथा उनके सदन में उपस्थित न होने पर), छब्बीसवीं सूचना श्री रणजीत सुमन जी की है। (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने तथा उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

आज 26 सूचनायें ली गईं, जबकि 15 ही लेनी थीं, इसलिए अब कोई दूसरी सूचनायें नहीं ली जायेंगी। शेष सूचनायें अस्वीकृत हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका के पदों में से एक पद मुख्य बाल सेविका के पद को उच्चीकृत किये जाने एवं कार्य के आधार पर समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधीर कुमार–

ख्मान्यवर,

मुझे सदन के माध्यम से अवगत कराना है कि दिनांक 05–12–2012 को विधान सभा में नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संदर्भ में पत्र संख्या–219/60–1–2013–1 नियम–12 दिनांक 07 फरवरी, 2013 महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 द्वारा सदन को जो सूचना उपलब्ध करायी गयी वह सूचना भ्रामक एवं तथ्यों से परे थी जो सदन की गरिमा के विरुद्ध है। प्रकरण का सम्बन्ध महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका के तीन पदों में से एक पद को मुख्य बाल सेविका के रूप में उच्चीकृत करने एवं दो बाल सेविकाओं का वेतनमान कार्य की समानता के आधार पर सहायक अध्यापक के वेतनमान के बराबर करने पर विचार करना था न कि पद सृजन।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

प्रकरण में तथ्यों और औचित्य को सिद्ध करने हेतु शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग का उल्लेख किया गया था।

बाल सेविका के एक पद को मुख्य बाल सेविका के रूप में उच्चीकृत करना इसलिये आवश्यक है, क्योंकि इन पदों पर कार्य करने वालों को आगे किसी उच्च पद पर पदोन्नति का अवसर नहीं है। इस पद पर कार्य करने वाली इसी पद से सेवानिवृत्त हो जायेंगे। जहां तक दो बाल सेविकाओं के वेतनमान का प्रश्न है जिन्हें कार्य की समानता के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन मिलना चाहिये, क्योंकि बाल सेविकाओं का भी दायित्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षित करना है, दोनों समतुल्य दायित्वों का निर्वाह करते हैं। दिनांक 05–12–2012 को नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संदर्भ में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सदन को आश्वासन दिया गया था, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।,

जनपद बदायूं कैंसर पीड़ित मरीज श्री सत्यदेव को आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिनोद कुमार शाक्य–

ख्मान्यवर,

अवगत कराना है कि कस्बा आलापुर वार्ड नं0–08, थाना आलापुर, तहसील दातागंज, बदायूं निवासी श्री सत्यदेव पुत्र स्व0 श्री मुन्नालाल कैंसर रोग से पीड़ित हैं तथा जिनका इलाज पी0जी0आई0, लखनऊ में चल रहा है। चिकित्सकों के स्टीमेट के अनुसार उनके इलाज में लगभग 03 लाख रुपये के व्यय आने की संभावना है। श्री सत्यदेव अत्यन्त ही निर्धन परिवार के हैं। उनके द्वारा उक्त बीमारी का इलाज कराना सम्भव नहीं है।

उनकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये श्री सत्यदेव को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

जनपद गोरखपुर में सूरज कुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव–

ख्मान्यवर,

जनपद गोरखपुर में गोरखपुर–डोमिनगढ़ के मध्य सम्पार संख्या 163ए सूरज कुण्ड–क्रासिंग की स्वीकृति शासनादेश संख्या–15 (1)/23–11–08–03/02(2)/2006 दिनांक 29–03–2008 द्वारा रुपया 2048.30 हुई थी। उपरोक्त पुल का निर्माण लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। परन्तु धनाभाव के कारण इस समय पुल का निर्माण कार्य

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

काफी समय से बन्द है। जनहित में उक्त उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त उपरिगामी सेतु के निर्माण को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा की राधा–बिहार कालोनी अन्तर्गत कमला नगर की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के राधा बिहार कालोनी कमला नगर की आन्तरिक सड़कों के निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

कमला नगर क्षेत्र में राधा बिहार कालोनी की आन्तरिक सड़कों में विगत कई वर्षों से जर्जर के साथ ही बड़े–बड़े गड्ढे हैं। जिसके कारण कार, स्कूटर, मोटर साइकिल व टैम्पों आदि के शाकर टूट रहे तथा नागरिक चुटैल हो रहे हैं। इस कारण कालोनीवासियों में भारी रोष है।

यहां से हजारों की संख्या में वाहन निकलते हैं सभी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। जनहित में गड्ढायुक्त व जर्जर सड़क का निर्माण कराने की अति आवश्यकता है।

अत मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण आन्तरिक सड़कों के निर्माण कराने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के पार्क में लगी खराब लाइटों को सुधारे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर पाल शर्मा–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गाजियाबाद की विधान सभा साहिबाबाद के लाजपत नगर के डी ब्लाक के दोनों पार्क, सी0 ब्लाक के दोनों पार्क, सी0 ब्लाक चौक, सद्भावना पार्क–एल0 ब्लाक, एकता पार्क, जी0 ब्लाक मन्दिर के सामने, जी0 ब्लाक जुनेजा जनरल स्टोर के सामने, एफ0 ब्लाक योगेश शर्मा के सामने, सद्भावना पार्क, ए0 ब्लाक, ए0 ब्लाक नागर की दुकान के सामने एवं राजेन्द्र नगर के परमहंस पार्क, छोटा पार्क, 8 ब्लाक सेक्टर सी0, बुद्धा पार्क–सेक्टर 2, शान्ति पार्क–ब्लाक 2, पंचशील पार्क, 8 ब्लाक वाला पार्क, गुरुद्वारा वाला नवीन पार्क, ब्लाक सी0 श्याम पार्क, महावीर चौक–श्याम पार्क, राम पार्क सेक्टर 2, पून्नू चौक, शालीमार गार्डेन में त्रिवेणी धाम–सी0 ब्लाक, सी0 ब्लाक मैन रोड, यू0टी0सी0 बिल्डिंग के सामने, गुलमोहर पार्क, गौरीशंकर पार्क, स्वाती केबल के सामने, रोज पार्क, भूरा मण्डी, डिफेन्स

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

कालोनी भोपुरा, न्यू डिफेन्स कालोनी भोपुरा, बृहस्पति बाजार, वसुन्धरा में चार पार्कों की लाइटें, राजेन्द्र नगर प्रेरणा पार्क, सेक्टर 3 विनय स्मृति पार्क, सूर्या पार्क विक्रम इन्क्लेव, ब्लाक 8 सेक्टर 3, रामप्रस्थ की दो लाइटें, भोपुरा कुटी मन्दिर के सामने, राज ट्रीट सोसायटी, रामा चौक व अन्य की लाइटें लगवाया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है क्योंकि उक्त लाइटों के अभाव में उक्त पार्कों में प्रायः अप्रिय घटनाओं के घटित होने की आशंका बनी रहती है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये चर्चा कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार–

ख्मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में निम्नलिखित सड़कें हैं।

1–शेरपुर नगला से रामनगर तक विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य लगभग 1 कि0मी0।

2–ग्राम कतुबपुर से राजूपुर मार्ग लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 तक मार्ग बहुत ही जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। जिसके कारण स्थानीय जनता को आवागमन हेतु बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़कों पर रोजाना हजारों की संख्या में आवागमन होता है तथा उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे हैं जिसके कारण आये दिन सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं। सड़क निर्माण हेतु कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उपरोक्त सड़कों की विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के लोहिया ग्राम हरिराम पट्टी के जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिनोद कुमार शाक्य–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ब्लाक बहरिया तहसील फूलपुर के अन्तर्गत लोहिया ग्राम हरिराम पट्टी उर्फ कटनई 14/15 की जर्जर सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। कटनई खास बस्ती में नहर की पुलिया से सिंघलदीप बार्डर तक लगभग 2.2 किमी0 मार्ग तथा कटनई राजस्व गांव के अन्तर्गत घीसा का पूरा से नेवादा तक 1.5 किमी0 तक के सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं उक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में व्याप्त पेयजल संकट का निवारण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के विकास खण्ड नियमताबाद में ग्राम सभा हिन्दवारी, ग्राम सभा लौंदा में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहां पर ऊपरी सतह का पानी काफी मात्रा में प्रदूषित है कुंए का जल भी प्रदूषित है जिससे यहां की जनता को पीने के पानी की बहुत ही गम्भीर समस्या है उक्त ग्राम सभाओं से लगे गांवों की आबादी लगभग 15000 से अधिक है। उक्त ग्राम सभाओं में पेय जल की गंभीर समस्या को देखते हुये पीने के पानी की टंकी बनावन ग्रामवासियों के पीने के पानी की समस्या को हल न करने के कारण ग्रामवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा पत्राचार एवं वार्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रतिभारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उपरोक्त ग्रामों में पीने के पानी की टंकी बनवाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटेहवा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इसौली, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत करहवा नाले पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है और इसी तरह से मनियारपुर अझुई के बीच में भी पक्के पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस पुल के बन जाने से क्षेत्रीय जनता को बहुत लाभ मिलेगा। उक्त दोनों जगहों पर पुल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में बांधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में जनहित की समस्या को देखते हुये दोनों स्थानों पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाना बहुत ही जरूरी है। यह लोक महत्व का विषय है और जनता से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में संज्ञान में लाते हुये करहवा नाले पर पुल का निर्माण और मनियारपुर अझुई के बीच पक्के पुल के निर्माण कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत देवकली से बेलांव सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुलाब चन्द–

ख्महोदय,

आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र केराकत जनपद जौनपुर के बारे में अवगत कराना पड़ रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवकली से बेलांव सम्पर्क मार्ग अन्य जिलामार्ग के अन्तर्गत आता है। जो जफराबाद देवकली अन्य जिलामार्ग के नाम से है। यह मार्ग तहसील मुख्यालय केराकत एवं जिला मुख्यालय जौनपुर को भी जोड़ता है। जिस पर आम जनता का बराबर आवागमन रहता है। जो अत्यन्त खराब एवं ऊंची–नीची है। जिसके कारण आम जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता की परेशानियों को देखते हुये देवकली से बेलांव सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि जनहित को ध्यान में रखते हुये देवकली से बेलांव सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति प्रदान करने की महती कृपा की जाय। इससे क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के अन्तर्गत ग्राम–रेहरा माफी में कृषि उत्पादन मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से विलम्बनीय लोक महत्व की निम्नलिखित सूचना सदन के संज्ञान में ला रहा हूं :–

जनपद–बलरामपुर के तहसील–उतरौला के अन्तर्गत ग्राम–रेहरा माफी में कृषि उत्पादन मण्डी समिति उतरौला का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा की जा चुकी है किन्तु अधिकारियों की हीला–हवाली व लापरवाही के कारण अभी तक मण्डी समिति के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है क्योंकि कृषकों से मण्डी परिषद् द्वारा अभी तक भूमि का बैनामा नहीं कराया गया है जिससे किसान काफी परेशान है तथा उनमें काफी रोष व्याप्त है। इसके अतिरिक्त मण्डी स्थल के निर्माण न होने से स्थानीय व्यापारियों में भी रोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने व कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक खुटहन के ग्राम अशरफपुर की क्षतिग्रस्त मार्ग पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नदीम जावेद–

ख्मान्यवर,

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

जनपद–जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र–जौनपुर सदर के ब्लाक खुटहन के ग्राम–अशरफपुर की पुलिया पिछले एक दशक से टूटी हुई है। पुलिया टूटी होने के कारण क्षेत्र में लगभग 20 गांवों के लोगों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग पेड़ एवं ईंट आदि लगाकर बमुश्किल नहर पार करते हैं। पुलिया का निर्माण न कराये जाने से जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल उपरोक्त पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अमेठी के ग्राम सभा निहालगढ़ एवं पालपुर को मिलाकर नई नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम–

ख्मान्यवर,

लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड जगदीशपुर की ग्राम–सभा निहालगढ़ एवं पालपुर को मिलाकर नगर पंचायत के रूप में विकसित किया जाना अति–आवश्यक है। यह दोनों ग्राम–सभाओं की ग्राम पंचायत की आबादी नगर पंचायत के मानक को पूर्ण करती है। उपरोक्त ग्राम–सभा में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। दोनों ग्राम सभाएं एन0एच0–56 पर स्थित हैं। उपरोक्त ग्रामसभाओं में समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिये इसके समुचित विकास के लिये ग्राम–सभा निहालगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना जनहित में अति–आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह तहसील जिला मुख्य से लगभग 35 कि0मी0 की दूरी पर है तथा उत्तराखण्ड राज्य की सीमा पर स्थित है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाये। मगर विलासपुर तहसील में मुंसिफ कोर्ट न होने से ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहां की पिछड़ी जतना का समय भी अधिक लग रहा है तथा धन भी अधिक खर्च हो रहा है। जनपद रामपुर मुख्यालय पर मुकदमों की भी बहुत अधिकता है जिसके कारण पीड़ित को न्याय मिलने में काफी समय लग जाता है। देरी से मिले न्याय का कोई महत्व नहीं रहता, देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट खोलने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रहा है तथा इसकी पत्रावली

भी शासन विभाग में लम्बित है। वकीलों द्वारा व क्षेत्रीय जनता द्वारा इस सम्बन्ध में धरने प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जा रहे हैं। मैं इस प्रकरण को पूर्व में कई बार विधान सभा में उठा चुका हूं, मगर इस प्रकरण में आज तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है। न्यायहित में तहसील विलासपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नितान्त आवश्यक है। मुंसिफ कोर्ट की स्थापना न होने से क्षेत्रीय जनता व वकीलों में भारी व नाराजगी व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद हापुड़ में मेरठ–खुर्जा मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजराज सिंह–

ख्महोदय,

जनहित के प्रकरण पर अवगत कराना है कि जनपद–हापुड़ के पुराना एन0एच0–24 पर मेरठ–खुर्जा सिटी रेल सेक्शन के कि0मी0 60.00/1–2 के समपार संख्याः–39ए निकट हापुड़ पर एक पुल 2013–2014 में स्वीकृत हुआ था जो 11–02–2016 तक बनना है। जिसे उ0प्र0 राज्य सेतु निगम बना रहा है। इस पुल पर एक वर्ष पहले कार्य बड़ी तेजी से शुरू हुआ था जिस पर लगभग एक दर्जन पिलर भी खड़े हो गये हैं। पिछले 08 महीनें से कार्य बंद है। शहर के मध्य में होने की वजह से आवागमन में हजारों लोगों को रोज परेशानी होती है। रोज धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर हो रहा है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं जनहित के विषय पर शीघ्र उपरोक्त कार्य पूर्ण कराया जाना अति–आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से आय के रूप में प्राप्त होने वाले 02 प्रतिशत विकास शुल्क से विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

ख्महोदय,

जनपद–मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह 2 प्रतिशत विकास शुल्क रूप में प्राप्त धन को विकास कराने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद् मथुरा को उन क्षेत्रों में विकास कराने के लिये दिया जाता है। जिन क्षेत्र में भूमि/मकान आदि की रजिस्ट्री हुई थी तथा उनसे 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप करोड़ों रुपये में रजिस्ट्री/स्टाम्प से प्राप्त किया। परन्तु पिछले पांच वर्षों से प्राप्त 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त करोड़ों रुपयों का कोई भी विकास नगर पालिका परिषद् मथुरा द्वारा विकास कार्य उन क्षेत्रों में नहीं कराया गया जिन क्षेत्रों की रजिस्ट्री

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

इन 2 प्रतिशत प्राप्त करोड़ों रुपये का विकास कराने का लेखा–जोखा उपरोक्त विभागों के पास नहीं है। और इस अर्जित 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त धन को दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही मथुरा नगर पालिका परिषद् मथुरा की अध्यक्षता द्वारा पिछले लगभग दो वर्षों से विभिन्न मदों से सैकड़ों करोड़ों रुपये शासन से प्राप्त हुये विकास कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मथुरा द्वारा पिछले माह में नगर पालिका परिषद् मथुरा की अनियमितताओं की रिपोर्ट भी शासन को प्रेषित की जा चुकी है। जिसके कारण स्थानीय स्तर पर विकास न कराने पर जनता में भारी आक्रोश एवं रोष है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये पिछले कई वर्षों से 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त करोड़ों रुपये से संबंधित क्षेत्रों में विकास कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद–

ख्महोदय,

जनपद–अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में करवन नदी के दोनों तरफ 15–15 गांव बसे हैं। जिससे इनको नदी के उस पार जाने के लिये कई किमी0 का चक्कर लगाना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाई होती है। उक्त करवन नदी पर निम्न पुलिया का नव निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

1–बलरामपुर मजीपुर ग्राम के पास करवन नदी पर पुलिया का नव निर्माण, ला0–25 फीट लगभग।

2–चण्डौस ग्राम के पास करवन नदी पर पुलिया का नव निर्माण, ल0–30 फीट लगभग।

3–सुदेशपुर ग्राम के पास करवन नदी पर पुलिया का नव निर्माण, ल0–20 फीट लगभग।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त पुलिया का नव निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र–मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न मार्गों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है इन मार्गों पर भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है जिससे क्षेत्रवासियों एवं किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को बुग्गी व ट्रैक्टर ट्रालियों के आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

पड़ता है। सड़क खराब होने के कारण कई बार किसानों के साथ दुर्घटनायें हो चुकी हैं। जिसके कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। यह मामला जनहित से सम्बन्धित है। मार्गों की सूची निम्नवत् है :–

1–ब्लाक मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम डबाना में सरकारी स्कूल से चौपाल एवं तेजवीर नेताजी के मकान होते हुये उजैडा वाले मुख्य मार्ग का निर्माण।

2–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम बेगमाबाद के मौहल्ला जगतपुरी में निवाडी रोड से फायर स्टेशन होते हुये मार्ग का निर्माण।

3–मोदी हापुड़ मार्ग स्थित मोदीनगर शमशानघाट के निकट बम्बे की पटरी का मोदीनगर हापुड़ रोड से मोदीनगर कलछीना मार्ग तक निर्माण।

4–ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम ईशाकनगर से ग्राम नाहली तक सड़क निर्माण।

5–एन0एच0–58 काजमपुर गेट से ग्राम दौसा बंजारपुर तक सड़क निर्माण।

6–एन0एच0–58 से ग्राम अबुपुर को होते हुये गंग नगर की पटरी को जोड़ने वाला मार्ग।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग का पुर्ननिर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ में कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम–

ख्मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) की निम्न सम्पर्क सड़क बहुत ही जर्जर गड्ढायुक्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है। ट्रैक्टर तथा बड़े वाहन के पलटने से आये दिन दुर्घटना हो रही है। सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे होने से जनता के गम्भीर उपचार के लिये चिकित्सालय ले जाने में काफी विलम्ब होने के कारण कई मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। जिसकी मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

1–अलीगढ़ गौण्डा मार्ग से राना, दूरी 1.00 किमी0।

2–गौण्डा खैर मार्ग से बुर्ज मार्ग, दूरी 1.00 किमी0।

3–अलीगढ़ राया मार्ग से नवानागर दूरी 1.00 किमी0।

4–गौण्डा उत्तमपुर मार्ग से वेर नगरिया दूरी 1.00 किमी0।

5–अलीगढ़ राया मार्ग से इलायसपुर भावरा तक, दूरी 1.00 किमी0।

6–अलीगढ़ राया मार्ग से सरकोरिया तक दूरी 3.5 किमी0।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

7–बेसमा गोरई मार्ग से अमरपुर धाना मार्ग, दूरी 1.00 किमी0

8–सरकोरिया मार्ग से संगीला मार्ग दूरी 3 किमी0।

9–खैर टैटी गांव मार्ग से कन्हैया नगला, दूरी 1.00 किमी0।

10–कैनाल पटरी मार्ग से भौरे की नगरिया, दूरी 1.00 किमी0।

11–रामनगर से महुआ कालेज मार्ग, दूरी 1.00 किमी0।

12–मण्डला से करहला गौरवा मार्ग, दूरी 1.8 किमी0।

13–गोरई मांठ मार्ग से सूरजा करौली धमा का नगला दूरी 2.5 किमी0।

14–गोरई जमों मार्ग से खेनका वांस दूरी 0.8 किमी0।

15–मौजीपुर से कनेटपुर मार्ग, दूरी 2.5 किमी0।

16–गोरई वेसमा मार्ग से सौनइया मार्ग दूरी 1.6 किमी0।

17–फतेहपुर से धनुआ की नगरिया दूरी 1.00 किमी0।

18–अलीगढ़ राया मार्ग से महुआ तक दूरी 2.00 किमी0।

19–पाइंदापुर से सढ़ा मार्ग, दूरी 2.2 किमी0।

20–अलीगढ़ गौण्डा मार्ग से भेमती, दूरी 1.5 किमी0।

21–हाथरस इगलास मार्ग से कारस तक, दूरी 20 किमी0

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में चकबन्दी कार्य में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर तहसील–तिलहर के विकास खण्ड–निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चकसफौरा में वर्ष 2013–14 में राजस्व विभाग द्वारा चकबन्दी की गयी थी, जिसमें कृषकों की लगभग 100 बीघा जमीन काटकर ग्राम समाज हेतु छोड़ी गयी थी, उक्त भूमि को भू–माफिया लोगों द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत करके भूमिहीन गरीब निर्धन असहाय पात्र लोगों को पट्टा न आवंटित करके अपात्र लोगों को पट्टे आवंटित करा दिये गये और शेष ग्राम सभा की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया है उन भू–माफियाओं को

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से ग्राम पंचायत चकसफौरा की ग्राम समाज की भूमि को भू–माफियाओं से मुक्त कराकर पात्र भूमिहीन लोगों को पट्टा आवंटित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर के निर्धन किसान से पुलिस द्वारा जबरन उनका ट्रैक्टर खींच लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया–

ख्मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम पोखरा के वीरेन्द्र पाठक ने दो साल पहले एक ट्रैक्टर जीवन एण्ड कम्पनी लखीमपुर खीरी से नगद लिया था वह अपना कृषि कार्य कर रहे थे एक माह पहले ईसानगर पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर ट्राली को रास्ते से खींचकर थाना ईसानगर में लावारिस दाखिल कर दिया इसकी सूचना प्रार्थी ने टेलीग्राम के माध्यम से हाईकोर्ट डी0आई0जी0 एस0पी0 सी0जी0एम0 को दी थी तथा सी0जी0एम के यहां रिलीज प्रार्थना–पत्र डाला था इस बीच उक्त कम्पनी द्वारा एस0डी0एम0 धौरहरा के यहां रिलीज का प्रार्थना–पत्र डाला एस0डी0एम0 द्वारा वीरेन्द्र पाठक को सुने बगैर कम्पनी के पक्ष में ट्रैक्टर रिलीज कर दिया जबकि वीरेन्द्र के पक्ष को नहीं सुना और गैर कानूनी तरीके से रिलीज कर दिया जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने हेतु/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

ख्12.30 बजे, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत कुल 2 सूचनायें मिली हैं, पहली सूचना श्री अगयश राम शरन वर्मा जी की जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सरकारी आवासों में बने गैराजों में रहने वाले नाई, धोबी, दर्जी आदि द्वारा बिजली–पानी का अनुचित प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 11 मार्च, 2013 को नियम–300 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माननीय अध्यक्ष विधान सभा एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्यवाई का आश्वासन दिये जाने के बावजूद कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सत्रावसान के पश्चात् अनुत्तरित प्रश्नों को पुनर्जीवित किये जाने एवं उनके उत्तर न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना।

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना जी की सत्रावसान हो जाने के कारण अनुत्तरित रह गये प्रश्नों को पुनर्जीवित न किये जाने एवं सदस्यों को उनके उत्तर न उपलब्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आप निदेश संख्या–28 (1) देखेंगे तो उसमें प्राविधानित है अगर यह व्यपगत हो जाता है उत्तर नहीं है तो आप उस सवाल को पुनर्जीवित कर सकते हैं, यही नियम है।

'श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आप आदेश दे रहे हैं वह शिरोधार है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आप नियम बता रहे हैं उसमें यह है कि एक महीने के अन्दर सम्बन्धित सदस्य को सूचना मिल जानी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि वह सूचना किसी भी सदस्य को नहीं मिलती और उसके न मिलने का कारण भी मान्यवर मैं आपके सामने विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं कि प्रश्न अनुभाग कहता है कि उसको जानकारी नहीं है सीधा मंत्रालय आपको भेज देता है। मान्यवर, सीधा मंत्रालय के द्वारा मुझे नहीं लगता कि किसी भी माननीय सदस्य को विधान सभा सत्र समाप्त होने के एक महीने के बाद उसको उत्तर मिलता हो। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपसे विनम्रतापूर्वक यह निवेदन है कि अगर प्रश्न अनुभाग के थ्रू जवाब जायेगा तो इनको भी पता रहेगा और हमें भी पता चल जायेगा। हमने इनसे पूछा कि हमारा तो एक महीने में नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सीधा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी हम सीधा मंत्रालय को तो प्रश्न लिखकर देते नहीं हैं, हम प्रश्न अनुभाग को प्रश्न लिखकर देते हैं तो हमारी जवाबदेही उनके प्रति और उनकी जवाबदेही हमारे प्रति होती है। आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह निवेदन है कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न अनुभाग के थ्रू ही आये ताकि उनको पता रहे कि इसका उत्तर दे दिया गया है और अगर हम पुनर्जीवित करते हैं कि तो इसको स्वीकार कर लें। पुनर्जीवित करने के लिए मान्यवर वह अस्वीकार इस बात पर कर देते हैं कि एक महीने में आपको मिल गया होगा। मान्यवर, होगा और गया में फर्क है। आपका संरक्षण माननीय अध्यक्ष जी चाहिए कि अगर उत्तर मिले तो प्रश्न अनुभाग के थ्रू मिले नहीं तो उसको अनुत्तरित मानते हुए हमारा उसको पुनर्जीवित करने का मान्यवर आप आदेश देने की कृपा करें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

विमला जी, आपका 301 था, नहीं लिया गया है। आप चिन्ता न करें कल सब का ले लिया जायेगा। पहाड़िया जी, कृपा करके मैं आपका सम्मान करता हूं। आप अपना सम्मान क्यों गिराते हैं। कभी इस गलियारे से खड़ा होकर, कभी उस गलियारे से खड़ा होकर अपना प्रश्न करते हैं। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपके जो वोटर हैं वह आपकी इस हरकत को देखकर क्या सोचते होंगे। वहीं बैठिये और वहीं से बोलिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखिये जवाब तो सरकार को ही देना होता है और उसी का उत्तरदायित्व भी बनता है। यह है कि अगर उत्तर न मिले तो आप पुनर्जीवित करें और एक शिकायत हमें दे दें तो हम दिखवाते हैं।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो फिर वहीं खड़े हैं। यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

देखिये सरकार पहले प्रश्न विभाग को दे फिर प्रश्न विभाग भेजे, यह सब उत्तर देना सरकार का ही दायित्व है नियमों में इसलिए वह ऐसा है। अब हो गया सब मिल जाता है।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन दिसम्बर, 2014[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन, दिसम्बर, 2014, चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट दिसम्बर, 2013 तथा स्थानीय निकायों का सीमा विस्तार एवं उन्नयन के फलस्वरूप तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर अन्तरण के पुनर्निधारण पर प्रतिवेदन (कुल तीन पुस्तकें) तथा उक्त प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के कार्यवाही ज्ञापन को संविधान के अनुच्छेद–243 (आई)(4) एवं 243 (वाई)(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–6

ख12.35 बजे, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–2014) का सप्तम् प्रतिवेदन[४]

श्री अजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपकी अनुमति से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2013–2014) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005–2006, 2007–2008 एवं 2008–2009 में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन क्रमशः जिला रेडक्रास, जूनियर रेडक्रास एवं मेटर्निटी कल्याण समिति, बुलन्दशहर, डालमिया नेत्र चिकित्सालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउन्सिल, लखनऊ, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान

[†] छापा नहीं गया।

[†] छापा नहीं गया।

संस्थान, सीतापुर, जिला रेडक्रास जूनियर रेडक्रास एवं सेन्ट जान एम्बुलेंस, रायबरेली से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख12.36 बजे, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2013–2014) का अष्टम् प्रतिवेदन४

श्री अजय कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की उक्त समिति (2013–2014) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष (2004–2005) एवं (2005–2006) में उल्लिखित खाद्य एवं रसद विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित जलपान गृहों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि हेतु प्राप्त अनुदान एवं देवीपाटन मण्डल के खाद्य एवं रसद विभाग की अन्नपूर्णा योजना से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख12.37 बजे, उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की याचिका समिति वर्ष (2013–2014) का प्रथम प्रतिवेदन४

श्री उदय राज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की याचिका समिति वर्ष (2013–2014) का प्रथम प्रतिवेदन, जो गृह विभाग से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख12.38 बजे, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–10 कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशें

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 24 मार्च, 2015 से दिनांक 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 25 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–10 की मद दिनांक 24 मार्च, 2015 को ली जाय।

2–दिनांक 25 मार्च, 2015 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना प्रश्नकाल के बाद ली जाय।

3–दिनांक 26 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–67, 68,

37, 48, 30, 82, 78, 19, 20, 41, 42, 61, 62, 63, 65, 66, 40, 88 तथा 86 की मदें दिनांक 25 मार्च, 2015 को ली जायं।

4–दिनांक 24 मार्च, 2015 को सदन में पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसके पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 25 मार्च, 2015 को ली जायं :–

(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015

(2) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015

(3) जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015

(4) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

5–दिनांक 26 मार्च, 2015 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम–300 तथा 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं। केवल नियम–301 तथा 51 की सूचनायें ली जायं।

6–दिनांक 24 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–84 तथा 26 की मदें दिनांक 26 मार्च, 2015 को ली जायं।

7–तद्नुसार दिनांक 24 मार्च, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

मार्च, 2015

24 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

25 बुधवार — 1–निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015,

(2) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015,

(3) जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015,

(4) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015,

3–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

26 गुरुवार — 1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से

पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

27 शुक्रवार बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्य–सूची की मद संख्या–12, 13, 14 एवं 15 के आज न लिये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आगे जो मद हैं, इनको पहले ले लेने देते, फिर आप उठाते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हों, तो मैं अपनी बात रख लूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप संक्षेप में अपनी बात रखिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कल कार्य–मंत्रणा समिति में जो कुछ तय हुआ था, उसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा सदन में दी गई और हम सब लोगों ने उसे सर्वसम्मति से पारित किया। मान्यवर, आज की कार्यसूची देख लें, इसमें पृष्ठ–3 पर मद संख्या–12,13,14 एवं 15 हैं। मान्यवर, यह चार मदें ऐसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किए जाने की व्यवस्था है। मान्यवर, जब हमको मालूम है कि आज के लिये तय हुआ था कि सारे विधायी कार्य आज निपटा दिये जायेंगे, कल केवल माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का बजट रहेगा और उसके ऊपर चर्चा होगी, तो मान्यवर इसकी ऐसी कौन सी तात्कालिकता थी कि जिसकी वजह से यह कल के लिये नहीं आया। दूसरी बात यह कि नियमों में यह व्यवस्था है कि तीन दिन पहले बिल की कापी हमको दे दी जायेगी। मान्यवर, समय से हमको कापी नहीं दी गई और आज कापी आई है। मान्यवर, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि एक बिल पर हमारी सहमति भी है, क्योंकि इस पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं इसलिये हमारी सहमति है, लेकिन जो दूसरा बिल है .....

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, बिल प्रस्तुत करना (लेइंग आइटम) कार्यमंत्रणा में नहीं लिया जाता है और सरकार इसे 'ले' कर रही है तो जब कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक होगी, तो उस समय आप बात करियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के पारित होने के लिये कार्य–मंत्रणा का नोटिस मिल गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह तो रहा हूं कि जब कार्य–मंत्रणा की बैठक होगी, तो उस समय आप अपने विचार रखियेगा। क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आगे बहुत बजट हैं। आप विद्वान सदस्य हैं और आप जानते हैं कि सरकार को कोई बिल टेबिल करने का पूरा अधिकार है और उन्होंने बिल टेबिल कर दिया है। अब कार्य–मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी कि इसे आज अथवा कब पास कराया जाये ? इस प्रकार यह कार्य–मंत्रणा का विषय है, क्यों आप इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज बहुत बजट हैं, अब आप बैठिये, आपकी सारी बात आ चुकी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया मेरी बात एक मिनट सुन लें। मान्यवर, आज 41 विभागों के बजट हैं और 41 में से 19 विभाग ऐसे हैं, जिन पर चर्चा होनी है। तो चर्चा के लिये 19 विभाग हैं और किस पर कितनी चर्चा हो पायेगी और उसके बाद क्या समय होगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप ही तो कह रहे थे कि दस बजे रात तक बैठा जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम अब भी कह रहे हैं, लेकिन यह सरकार सदन को चलाना नहीं चाहती है। यह हम इसलिये कह रहे हैं कि यह ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना चाहते हैं कि जिससे सदन न चलने पाये। सरकार की मंशा ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी मंशा क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमारी मंशा है कि जिस बिल को पुरःस्थापित किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

बिल को निरस्त करने का अधिकार तो सदन को है। जब बिल प्रस्तुत होगा तब सदन चाहे तो इसे निरस्त कर दे और चाहे पास कर दे। जब वोट पड़ जायेगा तो आपको पता चल जायेगा। अब आप बैठिये, क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सरकार स्वयं यह चाहती है कि सदन न चले।

श्री अध्यक्ष–

आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठ जायें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–12 पुकारे जाने एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन के वेल की ओर बढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप इशारा करके बिल तो नहीं रोक पायेंगे, आप बिल तो प्रस्तुत होने दीजिये । क्या आप आज भी नहीं चलने देना चाहते ।

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये और लोकतंत्र विरोधी कानून वापस लिये जाने के नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख12.45 बजे, उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

[†] दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(सदन के वेल से लगातार नारेबाजी जारी रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अगर आप नहीं चलने देना चाहते तो वैसे ही बात कर लो । यह यहां से वापस नहीं होगा, आप लोग अपनी कुर्सी पर जाइये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कितना खेद का विषय है सिर्फ इतना संशोधन ला रहे हैं कि जिस तरह सभी नगर निकायों के अध्यक्ष जवाबदेह हैं, उसी तरह नगर निगमों के अध्यक्ष भी जवाबदेह हों, मात्र इतना सा संशोधन है। इसके अलावा कोई संशोधन नहीं है। सभी जवाबदेह हों, इसमें क्या परेशानी है। आज तक जवाबदेह नहीं थे, अब आज से जवाबदेह होंगे । इसमें क्या परेशानी है, आप बतायें । यह सरकार का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, अब जवाबदेही तो करना पड़ेगी, अब तक सैर–सपाटे कर लिये, अब नहीं होंगे।

ख12.47 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25–03–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

(सदन के वेल से लगातार नारेबाजी जारी रहने पर)

यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है कि इसको आप मतदान में गिरा दीजियेगा, खत्म हो जायेगा । अब काहे हल्ला कर रहे हैं। जब इस पर मतदान होगा तो उसे पास नहीं कीजियेगा

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, भाजपा यह कह दे कि ख ग ग ग , का हिसाब न लिया जाय, ख ग ग ग , का हिसाब न लिया जाय, बात सही हो जायेगी, कम से कम इनके विचार तो आयें । मात्र इतना सा संशोधन है कि जो पैसा दिया जाता है, उसका हिसाब लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह पहली सूचना श्री राजबली जैसल तथा अन्य की है, जनपद इलाहाबाद के नैनी लोकपुर में हरिश्चन्द्र पुत्र महेन्द्र की भूमिधरी जमीन पर अपराधियों द्वारा कब्जा करने

एवं उसकी हत्या कर दिये जाने से संबंधित नामजद प्राथमिकी दर्ज किये जाने के उपरान्त भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह काला कानून है, यह किसी हालत में बर्दाश्त नहीं । हम किसी बेईमान को बचाना नहीं चाहते ।

श्री अध्यक्ष–

जब विधेयक आयेगा, तब आपको मौका मिलेगा, अपनी बात कहने का ।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा सदन के वेल में नारेबाजी करने तथा मा0 सदस्य श्री राजबली जैसल एवं मा0 संसदीय कार्यमंत्री के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, कानून में एकरूपता लाई गई है, सबके साथ एक सा बर्ताव, सारे नगर निकायों के साथ एक सा नियम, इस पर कोई विरोध हो तो बतायें। सबके लिए कानून बराबर है कोई कानून से ऊपर नहीं है।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, हमारे जनपद इलाहाबाद के नैनी लोकपुर में हरिश्चन्द्र व पुत्र महेन्द्र की भूमिधरी जमीन पर अपराधियों द्वारा अवैध कब्जे का विरोध करने पर उन्हें गोलियों से भून दिया गया और दूसरे पुत्र आशीष को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया है, जिसका इलाज जीवन–ज्योति हास्पिटल, इलाहाबाद में चल रहा है। मान्यवर, जो इसमें लिप्त दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा अपराध सं0–328/15, धारा–147, 148, 149, 302 तथा 307 भा0द0वि0, थाना नैनी, जनपद इलाहाबाद में नामजद प्राथमिकी दर्ज है लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। मान्यवर, यह एक अविलम्बनीय विषय है और लोकमहत्व का है, इस पर मैं सदन की समस्त कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष –

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, मा0 जैसल साहब ने इलाहाबाद के नैनी लोकपुर में हरिश्चन्द्र व पुत्र महेन्द्र की भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जा कराने का विषय यहां रखा है। इसको आप दिखवा लीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी मान्यवर, दिखवा लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, चूंकि व्यवधान में बातचीत चल रही है इसलिए मा0 अध्यक्ष जी अगर इस पर सरकार का वक्तव्य आ जायेगा तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं वक्तव्य मंगा लेता हूं।

मा0 सुरेश राणा जी, क्या आप अपनी सूचना पर बोलेंगे (कोई उत्तर प्राप्त न होने पर), तीसरी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी जी आपकी है बलिया में छात्र–छात्राओं को पीटे जाने के सम्बन्ध में, क्या इस पर आप बोलेंगे। (कोई उत्तर प्राप्त न होने पर), ठीक है नहीं बोलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, लोकतन्त्र को ही तो मजबूत किया जा रहा है, लूटतन्त्र को खत्म करके लोकतन्त्र को मजबूत कर रहे हैं हम लेकिन आप चाहते हैं कि लूटतन्त्र चले और हम चाहते हैं कि लोकतन्त्र चले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लोकतन्त्र को मजबूत नहीं किया जा रहा है बल्कि लोकतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। मान्यवर, इस विधेयक को वापस लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मनीष असीजा जी आप अपनी सूचना पर बोलेंगे ?

(सदस्य श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री संजय प्रताप जायसवाल एवं श्री रामचन्द्र यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

वह भी नहीं हैं। अब नियम–56 समाप्त।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सूचना मेरे द्वारा दी गई थी।

श्री अध्यक्ष–

उस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। श्री मनीष असीजा की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,53,23,86,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य कट–मोशन रखेगा ?

(कोई उत्तर न प्राप्त होने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,53,23,86,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

श्री पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 19,26,32,42,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य इस पर कटमोशन रखेगा ?

(किसी सदस्य द्वारा कटमोशन नहीं रखने पर।)

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, सारे मदों पर कटौती का प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा रखा जाना है लेकिन जिस तरीके से एक दल विशेष के लोग स0पा0 सरकार को वॉक–ओवर दे रहे हैं, मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं और मान्यवर, भा0ज0पा0 और स0पा0 की जो नूरा–कुश्ती चल रही है उससे पूरे प्रदेश की जनता को आज धोखा दिया जा रहा है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं और साथ ही साथ स0पा0 और भा0ज0पा0 के इस मिलीभगत के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 19,26,32,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–74 गृह विभाग (होमगार्ड्स)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,13,85,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(किसी सदस्य द्वारा कटमोशन नहीं रखने पर।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,13,85,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 17,28,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 17,28,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,71,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,71,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,89,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,89,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,28,59,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,28,59,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार काला कानून वापस लिये जाने के नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

जो सदस्य वेल में खड़े हैं वह तो अव्यवस्था फैला ही रहे हैं लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री जी के पास खड़े हैं यह और भी अव्यवस्था फैला रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष आसन की ओर बढ़ने पर)

आप लोग इधर न आइए नहीं तो आज का डी0ए0 काट लेंगे।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,69,12,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,69,12,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,95,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18,95,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,36,87,33,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,36,87,33,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप ख्ग ग ग, को बचाने के लिए परेशान हैं। पैसा लेंगे उसका हिसाब नहीं देंगे।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,28,15,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,28,15,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 52,75,05,53,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 52,75,05,53,,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,76,64,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,74,64,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,91,06,41,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,91,06,41,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 50,32,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 50,32,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य सदन में खड़े भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार काला कानून वापस लो के नारे लगाते रहे)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 8,97,87,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 8,97,87,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,33,79,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,33,79,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,36,17,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहा है।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,36,17,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,44,08,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,44,08,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,02,32,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,02,32,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग

मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,49,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के सदस्य नारे लगा रहे थे)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,49,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,20,38,44,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,20,38,44,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 38,00,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 38,00,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,14,42,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,14,42,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–37 नगर विकास

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37 नगर

विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 61,51,33,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं ?

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 61,51,33,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,75,56,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,75,56,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अधिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,84,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,84,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 40,28,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 40,28,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,63,29,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,63,29,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,59,17,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,59,17,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,96,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,96,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लगातार नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,16,28,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,16,28,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 21,69,01,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 21,69,01,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,23,58,33,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,23,58,33,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,71,17,60,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,71,17,60,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,70,50,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,70,50,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,36,97,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,36,97,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,70,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 43,70,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 21,61,60,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 21,61,60,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 32,68,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 32,68,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,99,48,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,99,48,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी संकल्प प्रस्तुत करें।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर उनके अनुपस्थित रहने पर)

ख1.28 बजे, उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 पर विचार किया जाय।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा संशोधन प्रस्ताव न रखे जाने पर)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह 20 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1986 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में उप खण्ड (पन्द्रह) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(सोलह) साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(सत्रह) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में संलिप्तता;

(अट्ठारह) वाणिज्यिक शोषण, बंधुओं श्रम, बालश्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार करना;

(उन्नीस) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(बीस) जाली भारतीय करेंसी नोट का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना;

(इक्कीस) नकली दवाओं के उत्पादन, विक्रय और वितरण में अन्तर्ग्रस्त होना;

(बाईस) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12 के उल्लंघन में आयुध एवं गोला–बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में अन्तर्ग्रस्त होना;

(तेईस) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक अभिलाभ के लिये गिराना अथवा वध करना, उत्पादों की तस्करी करना;

(चौबीस) आमोद तथा पणकर अधिनियम, 1979 के अधीन

दण्डनीय अपराध;

(पच्चीस) राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को भी प्रभावित करने वाले अपराधों में संलिप्त होना।''

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–1, सन् 2015

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री अध्यक्ष–

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी संकल्प प्रस्तुत करें।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा संशोधन प्रस्ताव न रखने पर)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का अग्रतर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह 4 फरवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उप खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(8) जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(9) जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(10) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लघंन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

(11) वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।"

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–2, सन् 2015

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी

सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक. 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी संशोधन प्रस्ताव रखें।

(मा0 सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–53 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015

श्री जगदीश जन कल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ''लाभरहित'' ट्रस्ट है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में जिला फिरोजाबाद में शिकोहाबाद में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः ''कुलाधिपति'', ''प्रति–कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' से हैय

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से हैय

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से हैय

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैंय

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैंय

(ज) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से हैय

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित हैय

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से हैय

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से हैय

(ठ) ''संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक होय

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से हैः

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से हैय

(ण) ''विनियामक निकाय'' का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उसके अंतर्गत आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन, बार कौंसिल आफ इण्डिया, डिस्टैंस एजूकेशन कौंसिल, डेंटल कौंसिल आफ इण्डिया, द इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया, नेशनल कौंसिल फार टीचर एजूकेशन, सेन्ट्रल काउंसिल फार इण्डियन मेडिसिन, फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया भी हैंय

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से हैय

(थ) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से हैय

(द) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, उपाचार्य, सहआचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जायय

(ध) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', ''परीक्षा नियन्त्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से हैय

(न) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत श्री जगदीश जन कल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, ''लाभरहित'' ट्रस्ट हैय

(य) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत श्री जगदीश जन कल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद ''लाभरहित'' ट्रस्ट द्वारा जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा ।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–ट्रस्ट, जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्:–

(क) रुपये 10.00 करोड़ की स्थायी विन्यास निधि की स्थापना की जायेगीय

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर जुड़ी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व होय

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्गमीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगाय

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम एक करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां भवन को छोड़कर, अवस्थापना सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां क्रय की जायेंगी तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम चार करोड़ रूपये मूल्य के कम्प्यूटर, फर्नीचर आस्तियां तथा अवस्थापना सुविधायें ख्उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर, तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए वचनबद्ध होगाय

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में कम से कम एक आचार्य, दो सह.आचार्य तथा पर्याप्त संख्या में आचार्य तथा सपोर्टिंग स्टाफ को नियुक्त करेगाय

(च) पुस्तकालय हेतु न्यूनतम दस लाख रूपये की पुस्तकें व पत्रिकाओं का क्रय किया जायेगा तथा प्रथम तीन वर्षों में पुस्तकों, पत्रिकाओं, कम्प्यूटर लाइब्रेरी, नेटवर्किंग तथा अन्य पुस्तकालय सुविधाओं हेतु न्यूनतम पचास लाख रुपये का विनिधान करने की वचनबद्धता होगीय

(छ) छात्रों के लिए पाठ्य चर्चा के साथ गतिविधियां, पाठ्य चर्चा से भिन्न गतिविधियां, वाद.विवाद प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम, खेल.कूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0) तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) की विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार व्यवस्था करने की वचनबद्धता होगीय

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों की पूर्ति की जायेगीय

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने का कार्य करनाय

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनानाय

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य विनियामक इकाइयों के अधिनियम एवं विनियमावली के प्राविधानों से भिन्न नहीं होगीय

(ठ) विश्वविद्यालय के पारदर्शितापूर्ण संचालन हेतु विनियामक निकायों द्वारा प्राप्त अनापत्तियों को ''पब्लिक डोमेन'' में रखा जायेगाय

(ड) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तराल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों पर राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेंगीय

(ण) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार–पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से इस आशय का अभिलेखों सहित असंदिग्ध शपथ.पत्र प्राप्त करने के पश्चात कि धारा–4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, प्राधिकार–पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को प्रोन्नति के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगाः–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेय

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करनाय

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था करनाय

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अतः क्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, जिसका निर्वहन यू0जी0सी0 और राज्य सरकार द्वारा विहित दिशा.निर्देशों और मानकों के अनुसार करेगा, अर्थात्ः–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय समय . समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करनाय

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, जैवचिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा विज्ञान, अन्य विभिन्न विज्ञान पाठ्यक्रम जो विशिष्टतः उल्लिखित नहीं हैं, नर्सिंग, पुनर्वास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्ध, पशु चिकित्सा

विज्ञान, कृषि, फार्मेसी, प्रबन्ध, होटल एवं आतिथ्य प्रबन्ध, विधि और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं इतिहास, धर्म, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, भाषा, शिक्षा, पत्रकारिता, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा आदि या समय. समय पर विद्या परिषद् द्वारा यथा विनिश्चित इन.कैम्पस, आफ. कैम्पस, आफ.शोर कैम्पस व उपगृह केन्द्रों के माध्यम से अन्य विषय या केन्द्र संचालित करके अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों आदि, जैसा विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा समय.समय पर विनिश्चत किया जाय, के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करनाय

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करनाय

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण.पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिम्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेनाय

(ड) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करनाय

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नही हैय शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अर्न्तगत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैय

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद यू0जी0सी0 मानकों और राज्य सरकार की विनियमावलियों के अनुसार संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करनाय

(ज) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करनाय

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हे विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगानाय

(ञ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करनाय

(ट) शोध और शिक्षा के लिए विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना

जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए आवश्यक होय

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करनाय

(ड) विश्वविद्यालय के अर्न्तगत आवासों, छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करनाय

(ढ) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझेय

(ण) परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करनाय

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए यू जी सी मानकों/राज्य के मानकों के अनुसार निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई पद्धति हो सकती हैय

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करनाय

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझेय

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय य

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्वर्द्धन के लिए व्यवस्था करनाय

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करनाय

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धनराशि उधार लेना या उसे बंधक रखनाय

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकेंय

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेनाय और

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी मानकों) के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा.निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक.छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

(4) कुलाधिपति द्वारा बनाई गई एक शैक्षणिक विशेषज्ञों की समिति यूजीसी/राज्य सरकार/अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की समय.समय पर समीक्षा करेगी जिसमें एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें से दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) अध्यक्ष एवं अन्य दो विशेषज्ञ सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से होंगे और आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे और विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे एक विशेषज्ञताओं में से होंगे। यह समिति अपनी रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी और उसको विश्वविद्यालय की सभा में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के साथ यूजीसी/राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करेंरू

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय.समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगेः–

(क) कुलाधिपति;

(ख) प्रति कुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) प्रति कुलपति;

(ङ) निदेशक/प्राचार्य,

(च) कुल सचिव;

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) परीक्षा नियंत्रक;

(ञ) मुख्य कुलानुशासक;

(ट) कोषाध्यक्ष;

(ठ) वित्त अधिकारी; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11–(1) ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रति कुलाधिपति

12–(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति कुलाधिपति को उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति कुलाधिपति कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवं योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगारू

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करें। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रति कुलपति

14–(1) प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कार्य परिषद् के अनुमोदन से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति कुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुल सचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन गैर सदस्य सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः—

(क) सभा;

(ख) कार्यपरिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति; और

(ञ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय.समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) उसको परामर्श के लिए निर्दिष्ट किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देनाय

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्यपरिषद्

23—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्यपरिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

(3) उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त सचिव कार्यपरिषद् का सदस्य होगा।

विद्या परिषद्

24—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषद्ों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाय, गठन शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय.समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्यय

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक होय

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियॉय

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियांय

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्तिय

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैंय

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्तय

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रियाय

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रियाय

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जानाय

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण.पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेनाय

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करनाय

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखनाय

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करनाय

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजनय और

(त) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हो।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तद्नुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकनय

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण. पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जानाय

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यमय

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण.पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपायय

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण.पत्रों के लिए प्रभार्य शुल्क का निर्धारणय

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तेंय

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैंय

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तेंय

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करनाय

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियांय

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापनाय

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीतिय

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाय, के सृजन, संरचना और कृत्यय

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तः निरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिकय

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

वार्षिक रिपोर्ट

30–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनाँक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार, जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगी, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्टें के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति द्वारा वार्षिक लेखों पर किसी संवीक्षा को सभा और कार्य परिषद् की जानकरी में लाया जायेगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने के पश्चात संवीक्षाएं, यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेंगी और वे पब्लिक डोमेन में रखी जायेंगी।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

32–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो निर्देश के दिनाँक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से, तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया होगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथा स्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियन्त्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनाँक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में यथा स्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या सम्बन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए कुलपति को अपील कर सकता है ।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्यनिधि और पेंशन

34—विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजना या भविष्यनिधि का गठन कर सकता है, ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है, जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाये।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35—यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36—जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को, जिनके स्थान रिक्त हुए हैंय नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किया था नियुक्त या निर्वाचित या सहयोजित किये गये अवधि की शेष अवधि के लिए यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अवधि मान्यता

38—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्त या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखकों को अभिप्रमाणित करने की रीति

39— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

40—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जायेगा।

स्थायी विन्यास निधि

41—(1) विश्वविद्यालय विधि अनुसार कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस निधि की मूल धनराशि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय य

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशिय

(ग) समिति द्वारा किये गये सभी अंशदानय और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थातः–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता हैय

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशिय

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदानय

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदानय और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय.समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा 41, 42 एवं 43 के आधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46—विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिये प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा तथा शुल्क की संरचना को ''पब्लिक डोमेन'' में रखा जायेगा।

माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

47—(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाले विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम दो माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठयक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठयक्रमों को पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 से अधीन विश्वविद्यालय का दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नही हों तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50— (1) जहाँ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो दो माह से कम नहीं होगा, कारण बताए कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय के कार्यों में प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच के लिये नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्:–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेनाय

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ.पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को निदेश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार, ऐसे समय के भीतर जिसकी अवधि दो माह से कम नहीं होगी, विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकती है कि क्यों न विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले ली जाय। यदि विश्वविद्यालय के उक्त उत्तर की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम.दृष्टया उल्लंघन का मामला बनता है तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी, यदि विश्वविद्यालय की निधियाँ, विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51– राज्य सरकार समय.समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, ऐसा न करने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई कर सकती है।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ/उत्तरदायित्व

52—अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय की विघटन के स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है, तथा विश्वविद्यालय के दायित्व ट्रस्ट से संबंधित हो जायेंगे।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

53—राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नही किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई, जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गई है, विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से खण्ड—53 तक, खण्ड—1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मद संख्या—25

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

पिछड़ा कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना जी संशोधन प्रस्ताव रखें।

(मा0 सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के लिये छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–भारत अधिनियम, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–25, सन् 1964 की धारा–16 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी संशोधन अधिनियम, 1964 की धारा–16 में उपधारा (2) में, खण्ड (7–ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(7–ग) मण्डी समिति अपने मण्डी क्षेत्र में किसानों द्वारा उनकी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने, किसान विश्राम गृह एवं सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने, लोक कलाकारों द्वारा कला का प्रदर्शन करने, हैण्डीक्राफ्ट एवं हैण्डलूम के दस्तकारों द्वारा अपने उत्पाद प्रदर्शित करने एवं विक्रय करने एवं अन्य उत्पादों को विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विक्रय करने तथा किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को फुटकर दैनिक उपयोग का सामान खरीदने व खान–पान की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उक्त से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु किसान बाजार का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण करायेगी।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख1.32 बजे, नगर पालिका एवं नगर निगम सम्बन्धी आज पुरःस्थापित किये गये विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो दो विधेयक हमने आज इन्ट्रोड्यूज किये हैं उनको भी अभी रखे जाने की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप रुकिये। मैं प्रश्न रखूंगा।

प्रश्न यह है कि आज जो अधिनियम प्रस्तुत किये गये हैं उनके पारण और विचार के लिए सदन की सहमति से कार्यवाही करना चाहें, क्योंकि व्यवधान के कारण कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक करना कदाचित संभव एवं व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सदन की अनुज्ञा चाहता हूं–''क्या सदन इन विधेयकों को लेने के लिए अनुमति देता है?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब अनुपूरक एजेंडा लेते है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गये)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज लगभग 41 महत्वपूर्ण मदवार बजट यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन अकारण सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी वेल में आकर के बिना चर्चा का अवसर दिये सभी विभागों का बजट पारण करा दिया। यही नहीं मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम पर आ रहे विधेयक के विरोध में अपनी बात रखते हुए वेल में आने का काम किया और मान्यवर अब वह पारित भी होने जा रहा है, तो मान्यवर क्या कारण है कि वह वेल में गये और सारे मद पारण हो जाने के बाद यह अपने आप वापस आ गये, यह इस बात को इंगित करता है कि यह आज का पूरा का पूरा खेल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मिलीभगत का दुष्परिणाम रहा है और अगर ऐसा नहीं था तो नगर निगम से सम्बन्धित विधेयक पर भी इनको वेल में रहना चाहिए था, क्योंकि उसी मुद्दे पर यह विरोध दर्ज कराने के लिए गये थे जो यह जाहिर करता है कि यह नगर निगम विधेयक के विरोधी नहीं, यह नगर महापौरों के भी

पक्षधर नहीं, यह तो केवल सरकार को वाकओवर दे रहे थे और आज इनकी कलई खुल गई है। बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है, मैं इस बात को इसलिए यहां पर लाया कि आज विधान सभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को वाकओवर दिया, चर्चा से बचाने का काम किया, सदन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में यह जनता के बीच संदेश जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की मिलीभगत का क्या खेल चल रहा है, जिसको आज यहां पर पूरे सदन ने देखा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को भी इंगित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों के मेयर का भी पक्षधर नहीं है और न ही नगर निगमों से सम्बन्धित यह जो विधेयक आ रहा है न उसका इसके मन में कोई विरोध है, यह केवल दिखावा है, छलावा है, नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है मान्यवर, धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह आज जो बिल आ रहा है,

श्री अध्यक्ष–

बस हो गया, मैंने बहुत सुना, अब कुछ नहीं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के लिये छाछठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–भारत अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916 की धारा–9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–9 में उपधारा (1) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे और उन्हें नगरपालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।''

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916 की धारा–9 का

3–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–9 में उपधारा (1) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

संशोधन

''प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे और उन्हें नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर हम संशोधन रखना चाहते हैं, जो आज संशोधन यहां आया है उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 पर हम संशोधन रखना चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, पारित हो जाने के बाद कोई संशोधन नहीं पेश किया जा सकता, एक बात। दूसरे यह कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही, उन्होंने यह कहां कि हमारी और आपकी मिलीभगत है, अगर हमारे इसी तरह के ख्ग ग ग, को पकड़ने वाले कानून आप पास करायें और इसमें सरकार की मदद करें तो हमारी कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम तो सभी का सहयोग चाहते हैं, आपका सहयोग मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन देखिये, जो सच है, सच यह है कि कल नेता प्रतिपक्ष ने बहुजन समाज पार्टी ने सारे बजट पास करा दिये, आपका धन्यवाद। आज भाजपा ने हमसे मिल कर करा दिये, इनका धन्यवाद। आप दोनों हमारे सहयोगी दल हैं, इसका भी धन्यवाद, लेकिन एक सच और है और वह सच यह है कि जब नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, तब देखिये भारतीय जनता पार्टी कितनी व्यवस्थित हो गई, तो बताओ राखी हमने बांधी है या आपने बांधी है, किसने बांधी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह जो उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 है इस पर हमारा संशोधन सुन लें। मा0 अध्यक्ष जी, हम यह संशोधन रखेंगे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप नियमों से ऊपर तो नहीं हैं। आपको संशोधन रखना ही नहीं था। आप बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं, आप अच्छे नेता हैं। आप चाहते हैं कि बेईमानी पर रोक आये इसीलिये आपने संशोधन नहीं रखा और अब लीपा–पोती से काम नहीं चलेगा। आप नहीं चाहते थे कि संशोधन आये, आप नहीं चाहते थे कि ये कानून न बने। आपने सहयोग किया है और इस सहयोग के लिये आपका धन्यवाद।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आ गये जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(व्यवधान के मध्य)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–46 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959 में सामान्य संशोधन

सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनिमय, 1959, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है में उक्त अधिनियम की धारा 16 को छोड़कर शीर्षकों, दीर्घ शीर्षक, प्रस्तावना, पार्श्वांकित शीर्षकों, अनुसूचियों को सम्मिलित करते हुऐ, शब्द "निगम'', "नगर आयुक्त", "महापौर" और "पार्षद" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगर पालिका", "नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी", "महापौर या अध्यक्ष या सभापति" और ''पार्षद या सदस्य'' क्रमशः रख दिये जायेंगे।

धारा 1 का संशोधन

3–मूल अधिनिमय की धारा 1 में, शीर्षक को सम्मिलित करते हुये, शब्द "नगर निगम" के स्थान पर "नगर पालिका" रख दिया जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा– 2 में–

(क) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया

जायेगा, अर्थातः–

"(8–क) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य कवर्ड एरिया के अस्सी प्रतिशत क्षेत्र से है;"

(ख) खण्ड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"(9–क) "सभापति" का तात्पर्य किसी नगर पंचायत के सभापति से है;"

(ग) खण्ड (11–क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"(11–क) "कवर्ड एरिया" का तात्पर्य कुर्सी एरिया (प्लिन्थ एरिया) के ऊपर प्रत्येक फ्लोर के कवर्ड एरिया से है जिस पर भवन का निर्माण किया जाता है;"

(घ) खण्ड (18) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"(18–क) "जिला योजना समिति" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–घ के अधीन गठित जिला योजना समिति से है;"

(ङ) खण्ड (22) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"(22–क) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य धारा 58 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है;''

(च) खण्ड (32) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

''(32) ''न्यायाधीश'' का तात्पर्य लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश से है और उसके अन्तर्गत उन जिलों जहां प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 9, सन् 1887) के अधीन लघुवाद न्यायालय की स्थापना नही की गयी है, के जिला जज द्वारा नामनिर्दिष्ट सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के न्यायालय का न्यायाधीश भी है।''

(छ) खण्ड (37) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"(37–क) "महापौर" का तात्पर्य किसी नगर निगम के महापौर से है;"

(ज) खण्ड (39) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"(39) "नगर आयुक्त" का तात्पर्य धारा 58 के अधीन नियुक्त आयुक्त से है और इसके अन्तर्गत उक्त धारा के अधीन नियुक्त अपर नगर आयुक्त और धारा 107 के अधीन नियुक्त संयुक्त नगर आयुक्त उप नगर आयुक्त भी हैं, जब वे धारा 122 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहें हों;"

(झ) खण्ड (45–ख) और (45–ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(45–ख) "नगर क्षेत्र" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी नगर निगम या किसी नगर पालिका परिषद् या किसी नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(45–ग) "नगर पालिका परिषद्" का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन गठित नगर पालिका परिषद् से है;"

(ञ) खण्ड (45–ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"(45–घ) "नगर पालिका'' का तात्पर्य यथा स्थिति, किसी नगर निगम या किसी नगर पालिका परिषद् या किसी नगर पंचायत से है;"

(ट) खण्ड (46) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्ः–

"(46) "नगर पंचायत'' का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन गठित नगर पंचायत से है;

(46–क) "अपदूषण के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्य, कार्यलोप, स्थान या वस्तु है, जिससे कि चक्षु ध्राण अथवा श्रवण की इंद्रियां की क्षति, संकट, उद्वेजन अथवा कष्ट पहुँचे अथवा पहुँचने की संभावना हो, अथवा जो जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाली हो या हो सकती हो अथवा जो स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिये हानिकारक हो;"

(ठ) खण्ड (52–क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"(52–ख) "मूल नगर पालिका" का तात्पर्य उस नगर पालिका से है जहाँ किसी कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति धारा 106 के अधीन सृजित किसी पद पर की गयी है;"

(ड) खण्ड (57) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्ः–

"(57–क) "अध्यक्ष" का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित किसी नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष से है;"

(ढ़) खण्ड (89) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"(89) पद "बृहत्तर नगरीय क्षेत्र","लघुत्तर नगरीय क्षेत्र", और पद "संक्रमणशील क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो भारत का संविधान के भाग–नौ–क में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित है;"

(ण) खण्ड (89) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(90) "उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड" का तात्पर्य धारा 138 ख नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड से है;

(91) "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयित कार्मिक चयन बोर्ड" का तात्पर्य धारा 107 के अधीन गठित बोर्ड से है;"

धारा 3 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:–

"धारा–3 (1) भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन

संक्रमणशील क्षेत्र लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा

राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो क्रमशः नगर पंचायत अथवा नगरपालिका परिषद् अथवा नगर निगम, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, के रूप में जाना जायेगा।

(2) राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट यथा स्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, में से किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते है या उसमें से किसी क्षेत्र को निकाल सकते है।

(3) उपधारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाए इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी अधिसूचना धारा 3–क द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात जारी की जाय और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी क्षेत्र को जो छावनी हो अथवा किसी छावनी का भाग हो, इस धारा के अधीन संक्रमणशील क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित नही किया जायेगा, और न उसमें सम्मिलित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल अधिसूचना को प्रकाशित होने के पूर्व स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न कार्यकलापों में सेवायोजना का प्रतिशत, प्रशासनिक एवं आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समक्षे, पर विचार करेंगे, परन्तु उस स्थानीय क्षेत्र में नगर पंचायत हेतु बीस हजार से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक नगरपालिका परिषद् हेतु एक लाख से अधिक परन्तु पाँच लाख से अनधिक नगर निगम हेतु पाँच लाख से अधिक जनसंख्या का विद्यमान होना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक जनगणना के आंकड़े अन्तिम रूप में प्रकाशित होने के एक वर्ष के समयावधि में विद्यमान वाह्य विकास (आउट ग्रोथ) को उस नगरपालिका की सीमा में शामिल कर लिया जायगा।

(4) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान नगरपालिकाओं को यथा स्थिति नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, नगर निगम समझा जायेगा।

(5) जहाँ भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा राज्यपाल किसी क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित करते हैं या निकालते हैं या उच्चीकृत करते हैं वहाँ ऐसे क्षेत्र इसके सम्मिलित किये जाने, निकाले जाने और उच्चीकृत किये जाने के ठीक पूर्व नगर पालिका में प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन जारी की गयी/बनायी गयी समस्त अधिसूचनायें, नियम, विनियम, उपविधियाँ, आदेश और निदेश के अधीन होंगे तथा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर, फीस, और प्रभार उपर्युक्त क्षेत्र में लगाये और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे।"

नई धारा 3–क , 3–ख तथा 3–ग का बढ़ाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थातः–

"3–क–धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अधिसूचना के जारी होने के पूर्व राज्यपाल ऐसी

अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया

अधिसूचना का प्रारूप गजट में और ऐसे क्षेत्र में प्रचलित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात आपत्तियों और सुझावों को फाइल करने के लिये न्यूनतम पन्द्रह दिनों का समय दिया जायेगा। ऐसी अधिसूचना का प्रारूप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना पट पर तथा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र के भीतर या उससे आसन्न एक या अधिक प्रमुख स्थानों में चिपका दिया जायेगा।''

(2) राज्यपाल अधिसूचना जारी करने के पूर्व प्रारूप के सम्बन्ध में उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारूप अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त लिखित आपत्तियों और सुझावों पर नियत अवधि के भीतर विचार करेंगे।

नगर पालिका का वर्गीकरण और नगर पालिका का विभाजन की शक्ति–

3–ख (1) राज्य सरकार, प्रभावी प्रशासन और अच्छे प्रबन्धन के लिए नगर पालिका को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकती है।

(क) नगर पंचायत– बीस हजार या उससे अधिक किन्तु एक लाख से अनधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के लिए।

(ख) नगरपालिका परिषद्–एक लाख से अधिक किन्तु पांच लाख से अनधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के लिए।

(ग) नगर निगम– पाँच लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के लिए।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और प्रभावी प्रशासक के लिए नगरपालिका को दो या अधिक प्रशासनिक क्षेत्रों (जोन्स) में विभाजित किया जा सकता है; परन्तु ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या तीन लाख से कम नही होनी चाहिये।

3–ग जब किसी नयी नगर पालिका का गठन किया जाय, तो जब तक कि वह नगर पालिका स्थापित नही हो जाती, तब तक

संक्रमणकालीन उपबन्ध

जिलाधिकारी या उसके द्वारा इस निमित नियुक्त कोई अन्य अधिकारी द्वारा उस नगर पालिका के अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है तथा उसके कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वाहन कर सकता है और उक्त अवधि में जिलाधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी को नगर पालिका समझा जायेगा, किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी यथा सम्भव शीध्र प्रथम चुनाव कराने के लिए और नगर पालिका के गठन के पश्चात समान्यतः उसके द्वारा पद भार के ग्रहण में शीघ्रता के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था करेगा।''

धारा–5 का प्रतिस्थापन

7–मूल अधिनियम की धारा–5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

''5– सम्बन्धित नगरपालिका के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित

नगर प्राधिकारी

करने हेतु उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकारी निम्नलिखित होंगें–

(क) नगर निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत,

(ख) वार्ड समिति,

(ग) कार्यकारिणी समिति,

(घ) महापौर, अध्यक्ष या सभापति,

(ड.) विकास समिति,

(च) नगर आयुक्त और इस अधिनियम के अधीन निगम के लिए नियुक्त एक या अधिक अपर नगर आयुक्त अथवा नगर पालिका परिषद् के लिए नियुक्त अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत के लिये नियुक्त अधिशासी अधिकारी,

(छ) निगम के उप नगर आयुक्त,

(ज) यदि कोई नगरपालिका कोई जन उपयोगी सेवा स्थापित, अर्जित अथवा प्रबन्ध हेतु ग्रहण करे तो सम्बन्धित नगर पालिका की, यथा स्थिति, ऐसी अन्य समिति अथवा समितियाँ, जिन्हे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उनके लिए स्थापित की गयी हो।

धारा 6 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 6 मे, उपधारा (1) में खण्ड (क) और खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेगें, अर्थातः–

''क–(एक) नगर निगम के मामलों में निर्वाचित पार्षदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा गजट

नगर पालिका का गठन

में नियत करें, जो साठ से अन्यून और एक सौ दस से अनधिक होगी,

(दो) नगरपालिका परिषद् के मामलों में, निर्वाचित सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गजट में नियत करें, जो पच्चीस से अन्यून और साठ से अनधिक होगी,

(तीन) नगर पंचायत के मामले में निर्वाचित सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गजट में नियत करे, जो कि दस से अन्यून या चौबीस से अनधिक होगी।

(ख)–नामनिर्दिष्ट पार्षद या सदस्य को राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम में से उन व्यक्तियों में से जिन्हे नगरपालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, नाम निर्दिष्ट किया जायगा और जिनकी संख्या किसी नगर निगम में पांच से अन्यून और दस से अनधिक और नगरपालिका परिषद् में तीन से अन्यून और पाँच से अनधिक तथा नगर पंचायत में दो से अन्यून और तीन से अनधिक होगी।''

धार 7 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा–7 में उपधारा (5) में, खण्ड–(1) में उपखण्ड (ख) में मद (दो) के पश्चात निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

''(तीन)किसी नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदो के संख्या राज्य में पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम न होगी और यदि पदों की ऐसी संख्या का अवधारण करने में कोई शेष बचता है तो भगफल में एक बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त संख्या महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या होगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित पदों की संख्या भी सम्मिलित है।''

धारा 16–क का बढ़ाया जाना

10–मूल अधिनियम की धारा–16 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

महापौर/अध्यक्ष/सभापति का हटाया जाना–

16–क (1) जहाँ राज्य सरकार को, किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(क) महापौर या अध्यक्ष या सभापति ने अपने कर्तव्य पालन करने में चूक की है; या

(ख) महापौर या अध्यक्ष या सभापति ने–

(एक) धारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या

(दो) धारा 463 के अर्थ में नगर पालिका द्वारा या उसकी ओर से, किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश का हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जानबूझकर अर्जित किया है या चालू रखता है; या

(तीन) धारा–463 के अधीन यथास्थिति, नगर निगम या नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत, और नगर निगम या के साथ किसी संविदा में उसके या उसकी ओर से या किसी भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित चाहे वह वित्तीय सम्बन्धी हो किसी अन्य प्रकार का हो जानबूझ कर अर्जित किया गया हो या यथास्थिति नगर निगम या नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत में कोई नियोजन प्राप्त किया हो, या

(चार) विधि व्यवसायी होने के कारण, नगर पालिका के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति की ओर से किसी वाद या अन्य कार्यवाही में नगर पालिका के विरुद्व या राज्य सरकार के विरुद्व कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरुद्व नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से कोई और आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है;" या

(पांच) सम्बद्ध नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास–स्थान का परित्याग कर दिया है; या

(छह) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर अवचार का दोषी रहा है; या

(सात) नगर पालिका के वर्तमान या अन्तिम पूर्ववर्ती कार्यकाल में महापौर या अध्यक्ष या सभापति के रूप में या किसी समिति के चेयरपर्सन के रूप में या पार्षद या सदस्य के रूप में या किसी अन्य हैसियत से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम या किसी नियम, विनियमन या उपविधि के उपबन्धों का जानबूझकर इतना उल्लंघन किया है, या नगर पालिका की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि पहुंचायी है कि वह महापौर या अध्यक्ष या सभापति बने रहने के अयोग्य हो जाता है; या

(आठ) चाहे महापौर या अध्यक्ष या सभापति के रूप में या यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या सभापति की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापौर या अध्यक्ष या सभापति के रूप में, या पार्षद या सदस्य के रूप मे किसी अन्य दुराचरण का अपराध उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् किया है; या

(नौ) नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को हानि या क्षति पहुंचायी है; या

(दस) नगर पालिका निधि का दुर्विनियोग या दुरूपयोग किया है; या

(ग्यारह) नगर पालिका के हित के प्रतिकूल कार्य किया है;

या

(बारह) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है, या

(तेरह) नगर पालिका की बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है कि इस बैठक में नगर पालिका के लिए अपने कार्य का संचालन करना असंभव हो जाता है या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया है; या

(चौदह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन किया है; या

(पन्द्रह) नगर पालिका के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के दुर्व्यवहार किया है; या

(सोलह) नगर पालिका की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम पर व्ययन किया है; या

(सत्रह) नगर पालिका की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, किसी अन्य अतिक्रमण करने में सहायता की है, या प्रेरित किया है; तो राज्य सरकार उससे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि उसे क्यों न पद से हटा दिया जाय :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार को यह विश्वास करने का कारण हो कि आरोप निराधार नहीं प्रतीत होते है और इस उपधारा के किसी आधार पर महापौर या अध्यक्ष या सभापति प्रथम दृष्टया दोषी है जिसके परिणाम स्वरूप उस पर इस उपधारा के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है और कार्यवाही की जाती है तो वह आरोपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनाँक से महापौर या अध्यक्ष या सभापति की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन करने से तब तक प्रविरत रहेगा जब तक कि इस उपधारा के अधीन उसको जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों से उसे वियुक्त न कर दिया जाय और इस उपधारा के अधीन कार्यवाही का समापन न हो जाय और प्रविरत रहने की ऐसी अवधि के दौरान महापौर या अध्यक्ष या सभापति की उक्त शक्तियों, कृत्यों का प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या सभापति द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने और

ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या सभापति को, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपधारा–(2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी सिविल न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा–(2) के अधीन हटाया गया महापौर या अध्यक्ष या सभापति सम्बन्धित नगरपालिका का पार्षद या सदस्य भी नहीं रह जाएगा और उपधारा–(1) के खण्ड (क) या उपधारा–(1) के उपखण्ड (छह), (सात) या (आठ) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनाँक से 5 वर्ष की अवधि तक महापौर या अध्यक्ष या सभापति या पार्षद या सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

धारा–51 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"(ख) नगर निगम के लिये बारह व्यक्तियों को, नगर पालिका परिषद् के लिये आठ व्यक्तियों को और नगर पंचायत के लिये चार व्यक्तियों को, जो नगर पालिका द्वारा पार्षदों या सदस्यों में से चुने जायेगें।''

धारा–58 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा–58 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"58–(1) राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम के लिये एक

नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति

नगर आयुक्त और दो या अधिक अपर नगर आयुक्त जैसा वह उचित समझे, नियुक्त करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिये।

किन्तु उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह वरिष्ठतम वेतनमान का ज्येष्ठतम अधिकारी न हो।

(2) राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद में अथवा नगर पंचायत में किसी अधिशासी अधिकारी को नियुक्त करेगा जो

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा।''

धारा 106 का संशोधन

13–(2) राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद् में अथवा नगर पंचायत में किसी अधिशासी अधिकारी को नियुक्त करेगा जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा।"

पदों का सृजन

मूल अधिनियम की धारा 106 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्

''106 (1) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाय, यथा स्थिति नगर पालिका अपने कार्यों के संचालनार्थ समय समय पर निम्ननिखित एक या एक से अधिक पदों को, जैसा वह आवश्यक समझें, राज्य सरकार के अनोमोदन से सृजित कर सकती है।

(क) नगर निगम

(एक) नगर आयुक्त

(दो) अपर नगर आयुक्त

(तीन) संयुक्त नगर आयुक्त

(चार) उप नगर आयुक्त

(पाँच) मुख्य नगर अभियन्ता (सिविल)

(छः) मुख्य नगर अभियन्ता (जलकल)

(सात) पर्यावरण अभियन्ता

(आठ) मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

(नौ) मुख्य नगर लेखा परीक्षक

(दस) मुख्य नगर राजस्व अधिकारी

(ग्यारह) मुख्य नगर लेखा अधिकारी

(ख) नगरपालिका परिषद्

(एक) अधिशासी अधिकारी

(दो) नगर पालिका अभियन्ता (सिविल)

(तीन) नगर पालिका अभियन्ता (जलकल)

(चार) नगर पालिका पर्यावरण अभियन्ता

(पाँच) नगर पालिका राजस्व अधिकारी

(छः) नगर पालिका लेखाधिकारी

(ग) नगर पंचायत

(एक) अधिशासी अधिकारी

(दो) नगर पालिका अभियन्ता (सिविल)

(तीन) नगर पालिका अभियन्ता (जलकल)

(चार) नगर पालिका सफाई एवं खाद्य निरीक्षक

(पाँच) नगर पालिका राजस्व निरीक्षक

(छः) नगर पालिका लेखाकार

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक नगर निगम में नगर आयुक्त का केवल एक पद, प्रत्येक नगर पालिका परिषद् में अधिशासी अधिकारी का केवल एक पद और प्रत्येक नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी का केवल एक पद होगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द ''सृजित '' के अन्तर्गत वे पद भी होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ के पूर्व पहले से सृजित हैं।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन पदो के अतिरिक्त नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकारियों, स्टाफ एवं अन्य पदों का सृजन कर सकती है जो उसे कृत्यों के कुशल सम्पादन के लिए मानकों के अनुरूप आवश्यक हों :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार किसी नगर पालिका को निर्देश देती है कि एक या अधिक पदों का सृजन करना अनिवार्य होगा, तो इस प्रकार के सृजित पद राज्य सरकार की अनुमति के बिना समाप्त नहीं किए जा सकेंगे।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन सृजित पदो पर नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें, सेवा शर्तें, वेतन व भत्ते वही होगे जो विहित किये जाय।

14–मूल अधिनियम की धारा 107 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

धारा 107 का प्रतिस्थापन

"(107) धारा–106 में निर्दिष्ट और धारा 112–क के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पद पर नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के पश्चात राज्य सरकार या निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा विहित उपयुक्त चयन संस्तुति के पश्चात विहित रीति से की जायेगी।

धारा–106 के अधीन सृजित पदों पर नियुक्ति

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर नियुक्तियाँ, यथा स्थिति, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी के द्वारा विहित रीति से की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियुक्तियां उप–धारा–3 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर अथवा उपधारा 4 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश नगर पालिका केन्दीयित कार्मिक चयन बोर्ड की संस्तुति की जायेगी।

(3) किसी नगर पालिका की चयन समिति का गठन, यथास्थिति या अधिशासी अधिकारी ऐसे सदस्यों के साथ किया जायेगा जो विहित किये जाय।

(4) धारा–106 की उपधारा–(1) के खण्ड (ध) के अधीन सृजित पदों के लिये कर्मिकों के चयन हेतु राज्य सरकार उत्तर प्रदेश नगरपालिका अकेन्द्रीयत कार्मिक चयन बोर्ड के नाम से एक चयन समिति का गठन कर सकती है, जो उसी प्रकार से चयन करेगी, जैसा कि विहित हो और अभ्यर्थियों की नियुक्ति योग्यता क्रम सूची के अनुसार किये जाने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी।

(5) भारतीय संविधान की उपधारा (4) के बाद बोर्ड द्वारा उपधारा–(3) के अधीन चयन किया जायेगा।

(6) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पद पर कार्य कर रहे पदधारी की सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा उस तरीके से जैसा कि विहित हो, नियंत्रित एवं विनियमित किया जायेगा।

(7) उपधारा–(3) में विनिर्दिष्ट कार्मिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण एवं तैनाती राज्य सरकार या उसकी तरफ से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(8) उपधारा–(7) के अधीन स्थानांतरित कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रत्येक मामले को मूल नगर पालिका द्वारा निपटाया जायेगा और सेवानैवृत्तिक लाभ वहीं से दिया जायेगा।

(9) उपधारा–(7) के अधीन स्थानांतरित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उस नगर पालिका, जिसमें कि वह स्थानांतरित किया गया है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ एवं निश्चित की जायेगी।

(10) उपधारा–(9) के अधीन अंतिम आदेशों का सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्ट एवं अधि प्रमाणित किया जायेगा और आदेश की एक प्रति नगर पालिका को भेजी जायेगी।

धारा–108 का निकाला जाना

15–मूल अधिनियम की धारा 108 निकाल दी जायगी।

धारा–112 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 112 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्द "अपर नगर आयुक्त" के स्थान पर शब्द "अपर नगर आयुक्त या संयुक्त नगर आयुक्त" रख दिया जायगा।

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''अपर नगर आयुक्त'' के स्थान पर शब्द ''अपर नगर आयुक्त या संयुक्त नगर आयुक्त" रख दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी,

अर्थात :–

''(3) नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका का प्रमुख होगा और ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, नगर

पालिका के विभागों के अध्यक्ष कहलाएगें और ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगें, जो उन पर इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन तत्समय प्रचलित किसी अधिकार और ऐसे कृत्यों के निर्वाहन के अधीन होगा, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा उसके लिये निहित है।''

धारा 112 ख का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 112 ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात :—

''112 ख नगर पालिका में आवश्यक सेवाएं निम्नलिखित होंगी :—

आवश्यक सेवायें

(क) स्वच्छता जन स्वास्थ्य सेवाएं

(ख) जलकल, सीवर जन—निकास एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाए

(ग) सफाई सम्बन्धी सेवाएं

(घ) मार्ग प्रकाश सेवाएं

(ड.) ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध सेवाएं

(च) ऐसी अन्य सेवाएं जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित हो।''

धारा 114 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 114 में ,

(क) खण्ड (10) (11) (12) (13) (14) (25) (26) को निकाल दिया जायेगा।

(ख) खण्ड (41) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगाः— अर्थात;

''(42) सम्पत्ति अधिकार प्रमाण—पत्र का निर्गमन।''

धारा 115 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 115 में खण्ड (43) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात :—

(44) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों, जिनमें संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों से ग्रस्त अथवा इस प्रकार संदिग्ध व्यक्तियों को अलग रख कर उनकी चिकित्सा करने के चिकित्सालय भी सम्मिलित है, की स्थापना अनुरक्षण या सहायता करना तथा जनता को चिकित्सा समबन्धी सुविधायें देने के लिये

अन्य साधनों की व्यवस्था करना,

(45) संक्रामक, संसर्गजन्य तथा भयानक रोगों की रोकथाम करना और उनके प्रचार को नियंत्रित करना,

(46) जलान्तक रोगों (एण्टी रैबिक डिजीजेज) की चिकित्सा की व्यवस्था करना,

(47) बीमारों को ले जाने वाली गाड़ियां (एम्बुलेन्स सर्विसेज) का अनुरक्षण करना,

(48) सार्वजनिक रूप से टीके लगाने (वैक्सीनेशन) की पद्धति की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण करना,

(49) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूलों और कालेजों की स्थापना, अनुरक्षण तथा सहायता करना और उनके लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,

(50) शरीर सर्वर्द्धन (फिजिकल कल्चर) सम्बन्धी संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण या उन्हें सहायता देना,

(51) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर के अपवंचन के संसूचन एवं अभिघात के कारकों का संसूचन अथवा निहित सम्पत्ति पर अतिक्रमण अथवा नगर पालिका के प्रबंधन एवं नियंत्रण सहायक सूचनाओं लिये पारितोषिक देना।''

धारा 119 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात :—

''प्रतिबन्ध यह है कि नगर पालिका के क्षेत्र (जोन) में अधिकार एवं कृत्यों निर्वहन के संदर्भ में नगर आयुक्त के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उस क्षेत्र के उप नगर आयुक्त को प्रतिनिधानित समझा जायेगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी समूह (ख) एवं नगर पंचायत के अधिकार एवं कृत्यों को प्रतिनिधानित नहीं किया जा सकता :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार अनुसूची—1 में प्रतिनिधानित भाग ख भाग ग या भाग घ और इसमें निर्दिष्ट न किये जाने वाले गैर प्रतिनिधानित किसी कृत्य और ऐसी घोषणाओं पर जो प्रतिनिधानित किये जाने योग्य हों अथवा प्रतिनिधानित किये जाने योग्य हों, जैसी भी स्थिति हो, चाहे यह अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये या इसमें विनिर्दिष्ट किये गयें हो, की घोषणा समय समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा कर सकती है।''

धारा—132 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 132 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

संविदा के निष्पादित किये जाने से सम्बद्ध कुछ उपबन्ध

''132—(1) धारा 131 में निर्दिष्ट ऐसे सब संविदायें, जिनमें अचल सम्पत्ति या उसमें किसी स्वत्व के अर्जन और निस्तारण से संबद्ध संविदायें सम्मिलित हो, जो इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका के कार्यो के सम्बन्ध में किये गये हो, नगर पालिका के लिये

और उसकी ओर से किये गये व्यक्त किये जायेगें और उक्त अधिकार का प्रयोग करके किये गये ऐसे संविदायें तथा संपत्ति सम्बन्धी अधिकार–पत्र यथा स्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा या नगरपालिका के ऐसे अन्य पदाधिकारी द्वारा जिसे नगर आयुक्त सामान्यतः या किसी विशेष मामले या मामलों के वर्ग के लिए लिखित रूप में अधिकृत करें, नगर पालिका के लिये और उसकी ओर से निष्पादित किये जायेंगे परन्तु अधिशासी अधिकारी द्वारा किसी भी अन्य अधिकारी को संविदा निष्पादन हेतु अधिकृत नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसा कोई संविदा जिसे यथा स्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी इस अधिनियम के या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार अन्य नगर पालिका अधिकारी के स्वीकृति के बिना न कर सकता हो, उसके द्वारा तब तक न किया जायगा जब तक कि ऐसी स्वीकृति न दी गयी हों।

(3) किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसी कोई संविदा यथा स्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा निष्पादन नहीं किया जायेगा जब तक कि अधिनियम की धारा 135 के अधीन या सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न कर दिया गया हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक संविदा नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जाये जो संविदा किये जाने के 15 दिनों के भीतर कार्यकारणी समिति को दी जायेगी।

(5) इस धारा के पूर्वोक्त उपबन्ध किसी संविदा के प्रत्येक परिवर्तन तथा निर्वहन ;डिस्चार्जद्ध पर तथा किसी मूल संविदा पर लागू होंगे।

(6) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं को लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और नगरपालिका की दक्षता को दृष्टि में रखते हुए उपरान्तरित कर सकती है।''

धारा–135 का प्रतिस्थापन

22–मूल अधिनियम की धारा–135 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"135–(1) तखमीने की स्वीकृति की शक्ति निम्नव्त होंगीः–

तखमीने की स्वीकृति

(क) किसी नगर निगम का अधिशासी समिति, किसी तखमीने की जिसकी राशि पन्द्रह लाख रुपये से अधिक किन्तु तीस लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है।

(ख) महापौर, किसी तखमीने की जिसकी राशि दस लाख रुपये से अधिक किन्तु पन्द्रह लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है।

(ग) नगर आयुक्त, किसी तखमीने की जिसकी राशि दस लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है।

(घ) नगर पालिका परिषद् की कार्यकारिणी समिति किसी तखमीने की जिसकी राशि पाँच लाख रुपये से अधिक किन्तु दस लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकती है।

(ङ) अध्यक्ष, किसी तखमीने की जिसकी राशि एक लाख रुपये से अधिक किन्तु पाँच लाख रुपये से अधिक न हो स्वीकृति दे सकता है।

(च) नगर पालिका परिषद् का अधिशासी अधिकारी किसी तखमीने की जिसकी राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं हैं, स्वीकृति दे सकता है।

(छ) नगर पंचायत की कार्यकारिणी समिति, किसी तखमीने की जिसकी राशि एक लाख रुपये से अधिक किन्तु पॉच लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकती है।

(ज) सभापति, किसी तखमीने की जिसकी राशि दस हजार रुपये अधिक किन्तु एक लाख रुपये से अधिक न हो, स्वीकृति दे सकता है।

(झ) किसी नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी, किसी तखमीने की जिसकी राशि दस हजार रुपये से अधिक नहीं है, स्वीकृति दे सकता है।

(ञ) नगर निगम, किसी तखमीने की जिसकी राशि तीस लाख रुपये से अधिक किन्तु पचास लाख रुपये से अधिक न हो स्वीकृति दे सकता है।

(ट) नगर पालिका परिषद्, किसी तखमीने की जिसकी राशि दस लाख रुपये से अधिक किन्तु तीस लाख रुपये से अधिक न हो स्वीकृति दे सकती है।

(ठ) नगर पंचायत, किसी तखमीने की जिसकी राशि पाँच लाख रुपये से अधिक किन्तु बीस लाख रुपये से अधिक न हो स्वीकृति दे सकता है।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित राशि से अधिक की परियोजना अथवा तखमीना नगर निगम के मामले में राज्य सरकार और यथा स्थिति नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के मामले में मण्डल के आयुक्त द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आर्थिक सीमाओं की लागत में वृद्धि या कार्य की अत्यावश्यकता और नगर पालिका की दक्षता को दृष्टि में रखते हुये, गजट में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित कर सकती है।

धारा–136 का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 136 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

"136–(1) यदि किसी कार्य के अथवा कार्य के समूह के निष्पादन के लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाय जिसकी पूरी तखमीनी लागत धारा–135 की उपधारा (1) के अधीन विहित आर्थिक सीमा से अधिक हो, तो यथा स्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी तत्समबन्धी विस्तृत जिसके अन्तर्गत ऐसे तखमीने मानचित्र रेखाचित्र और प्रारूप होंगे, जो अपेक्षित हो, तैयार करायेगा और उसे कार्यकारिणी समिति को भेजेगा। कार्यकारिणी समिति अपने सुझाव सहित, यदि कोई हों, इस प्रतिवेदन को यथा स्थिति नगरपालिका के समक्ष रखेगी।

राज्य सरकार या मण्डल के आयुक्त द्वारा तखमीने का स्वीकृत किया जाना

(2) (क) यदि नगरपालिका उक्त परियोजना को अनुमोदित कर लेती है और उसकी सम्पूर्ण तखमीनी लागत धारा–135 की उपधारा (1) के अधीन विहित राशि से अधिक बैठती है, तो तखमीने की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार, नगर निगम के मामले में और नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के मामले में मण्डल के आयुक्त को भेजा जायेगा।

(ख) यथा स्थिति राज्य सरकार या मण्डल के आयुक्त द्वारा खण्ड (क) के अधीन परियोजना को स्वीकार कर लिया जायेगा या उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा अथवा उसे परिष्कृत कर दिया जायेगा।

(ग) परिष्कारों सहित अथवा रहित यथा स्थिति राज्य सरकार या मण्डल के आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व कार्य प्रारम्भ नही किया जायेगा।

(घ) उपर्युक्त प्रकार से स्वीकृत योजना में खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार या मण्डल के आयुक्त की स्वीकृति के बिना कोई महत्वपूर्ण परिर्वतन न किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में और धारा 135 में शब्द से तात्पर्य है समस्त योजना के लिए कुल तखमीना, जिसमें समस्त संव्यवहार जो मिलकर योजना बनाते हैं, सम्मलित है।

नई धारा 138–ख का बढ़ाया जाना

24–मूल अधिनियम की धारा 138–क के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

''138–ख राज्य सरकार अधिसूचना नगरपालिका राजस्व संसाधन विकास बोर्ड का गठन कर सकती है जिसे उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के नाम से जाना जायेगा, जो राज्य सरकार निर्देश और नगरपालिका के संकल्प पर निम्नलिखित कार्य करेगी।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का गठन

(एक) विभिन्न नगरपालिकाओं की वित्तीय सक्षता की समीक्षा करना और राजस्व के भिन्न–भिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता का निर्धारण करना जिससे कि इस में अभिवृद्धि की जा सके और ऐसे नये संसाधनों को भी सृजित किया जा सकें।

(दो) राज्य में नगर पालिकाओं की सभी सम्पत्तियों को प्रगाणित करना या प्रगणन को प्रेरित करना और एक डाटा बेस तैयार करना।

(तीन) सम्पत्ति और जल कर तथा अन्य राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करना और सम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा नगर पालिकाओं की कर व गैर कर मदों की दरों हेतु उपयुक्त आधार सुझाना,

(चार) नगर पालिकाओं में सम्पत्तियों के मूल्यांकन , उनके सत्यापन के लिए निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया जो अभिकल्पित करना तथा सूत्रपात करना,

(पाँच) केन्द्र, राज्य या स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों और छूट प्राप्त सम्पत्तियों सहित राज्य की नगर पालिकाओं में समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या मूल्यांकन को प्रेरित करना।

(छः) आवर्तिक पुनरीक्षित के लिए तौर तरीके संस्तुत करना,

(सात) सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीय करना,

(आठ) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और निष्पक्ष तुलना के लिए मूल्यांकनों का सुलभ प्रकटीकरण करना,

(नौ) राज्य सरकार के सरकारी गजट में वार्षिक कार्य योजना प्रकाशित करना,

(दस) नगर पालिकाओं की सम्पत्तियों के मूल्यांकन और नगर पालिका राजस्व की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सलाह देना जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यम से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

(ग्यारह) प्रयोगकर्ता प्रभारों, संसाधन पैदा करने और भूमि के भवन के मूल्यांकन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों को निष्पादित करना जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर इससे अपेक्षा करे अथवा संकल्प के माध्यमों से नगर पालिकाओं द्वारा अनुरोध किया जाय।

धारा–139 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 139 में,

(एक)– उपधारा (1) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(छ) नगर पालिका या उसकी ओर से लिये गये सभी ऋण''

(दो)– उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(4) (क) इस धारा के अधीन खातों का संचालन यथास्थिति

नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी तथा नगर पालिका के लेखा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होगा।

(ख) किसी नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतों के लेखा विभाग में यदि उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा के लेखा संवर्ग का कोई अधिकारी तैनात न हो, तो लेखा विभाग में प्रभारी के रूप में तैनात कार्मिक को लेखा विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी माना जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्मिक को मुख्यतः नगर पालिका में नियुक्त किया गया हो और अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित और प्राधिकृत किया गया हो।''

धारा 146 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 146 में, उपधारा (1) में खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) एकमुश्त रूपयों की व्यवस्था करना,

(एक) महापौर द्वारा बीस हजार रुपये से अनधिक,

(दो) अध्यक्ष द्वारा दस हजार रुपये से अनधिक, तथा

(तीन) सभापति द्वारा पांच हजार रुपये से अनधिक,

उसके द्वारा स्वविवेक से धारा—114 अथवा 115 मे अभिर्दिष्ट किसी एक अथवा एकाधिक विषयों पर व्यय करने के लियें"

धारा—174 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 174 में,—

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण—एक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायेंगे, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—एक वार्षिक किराया मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ कवर्ड एरिया के 80 प्रतिशत भाग को भवन का कारपेट एरिया समझा जायेगा।"

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

''(3) (क) यदि नगर पालिका ऐसा संकल्प लेती है अथवा राज्य सरकार ऐसा निर्देशित करती है, तो नगर पालिका ऐसी सम्पत्तियों , जो नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हो, मूल्यांकन का निर्धारण नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड द्वारा करायेगी।

(ख) यदि उपखण्ड (क) के अधीन सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाय, तो विहित रीति से बोर्ड द्वारा निर्धारित शुल्क, नगर पालिका द्वारा नियत समय में बोर्ड को भुगतान किया जायेगा।

(ग) यदि नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड खण्ड (क) के अधीन प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, तो यह सम्पत्तियों का निर्धारण व मूल्यांकन के प्रारम्भ होने की तिथि घोषित करेगी। धारा

207, 207क, 207 ख, 208, 209, 210, 211,212, 214, 215, 221–ख, 222, 223, 226 के अधीन शक्तियों एवं इसके अधीन अन्य बनाये गये नियमों को नगर पालिका सम्पत्तियों के वार्षिक निर्धारण की तिथि तक नगर पालिका, वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में निहित माना जायेगा। अधिनियम की धारा–213 के अधीन नगर पालिका में कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित अभिलेखों सहित, कार्यवाही पूर्ण होने की तिथि के सात दिनों के भीतर कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी।''

धारा–177 का संशोधन

28–मूल अधिनियम की धारा–177 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

"(ग) ऐसे भवनों, जो एकमात्र स्कूलों और इण्टरमीडियएट कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, व वे राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त हों, राजकीय सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास से सम्बन्धित संस्थानों के मैदान, खेत तथा उद्यान, राजकीय सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के खेल के मैदान और खेल स्टेडियम;"

नई धारा–222–क का बढ़ाया जाना

29–मूल अधिनियम की धारा–222 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"222–क (1) सम्पत्ति कर पास–बुक, नगर पालिका की सीमा के भीतर समस्त भवनों और मैदानों की सम्पत्ति कर पास–बुक हेतु उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें सम्पत्ति का और इसकी कोड संख्या के साथ विवरण, वार्षिक मूल्य कर भुगतान और बकाये का विवरण, तथा अन्य सुसंगत सूचना समाविष्ट होंगे।

पासबुक के अनुरक्षण के लिये सम्पत्ति के अभिज्ञान हेतु कोडिंग करना और सम्पत्ति पर नम्बर प्लेट लगाये जाने का उपबन्ध

(2) प्रत्येक सम्पत्ति के मुख्य द्वार पर एक प्लेट लगायी जायेगी जिस पर सम्पत्ति का अभिज्ञान संख्या, स्थान, वार्ड और क्षेत्र (जोन) का नाम उभरा हुआ होगा।"

नई धारा–226–क का बढ़ाया जाना

30–मूल अधिनियम की धारा 226 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"226–क– नगर पालिका क्षेत्र के भीतर अवस्थित किसी सम्पत्ति के कर एवं करेत्तर और गैर करेत्तर प्रभार राशि के वार्षिक मूल्यांकन और निर्धारण पूर्ण हो जाने के पश्चात् उत्पन्न होने वाली आपत्तियों और विवादों को उत्तर प्रदेश नगर पालिका राजस्व संसाधन विकास

विवादों का निस्तारण

बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि ऐसी रीति से जैसा विहित की जायें सम्पत्ति के स्वामी द्वारा केवल याचिका के प्रस्तुत होने के पश्चात्, बोर्ड कोई कार्यवाही करेगा।''

धारा 267 का संशोधन

31 (क) मूल अधिनियम की धारा 267 में,–

(एक)– उपधारा–(2) में, खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङ) किसी भी प्रयोजन के लिये नल–कूप, कुआँ या गढ्ढ़ा की खुदाई नहीं की जायेगी और किसी भी प्रकार की मशीन, सबमर्सिबल पम्प, जेट पम्प या किसी भी प्रकार का पम्प अथवा मशीन या ट्यूबवेल भूमिगत जल निकालने के लिये नही लगाया जायेगा, जब तक नगर पालिका की सीमा के भीतर अधिकृत जल पूर्ति एजेंसी से वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है।"

(दो)– उपधारा–(2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

''(2–क) – जहाँ पाइप सम्बन्ध के माध्यम से जल की पूर्ति उपलब्ध नहीं है या जलपूर्ति अपर्याप्त है, वहाँ ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये उक्त क्षेत्र में भूमिगत जल की उपलब्धता के अध्यधीन भूमिगत जल निकालने की अनुमति दी जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि नगर आयुक्त, या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जल–भू–विज्ञान स्थिति, जल स्तर उसके द्वारा भू–जल संभाव्य और जल की उपलब्धि, कुआँ, नल–कूप या ट्यूबवेल जैसी भी स्थिति हो की गहराई की सीमा को ध्यान में रखने के पश्चात् अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(ख) यदि खण्ड (क) के अधीन दी गयी अनुमति या इस धारा के उपबन्धों के प्रारम्भ होने के पूर्व पम्प की बोरिंग अथवा ट्यूबवेल विद्यमान है, तो नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भी प्रयोजन के लिये किसी भी प्रकार के पम्प, मशीन या किसी अन्य माध्यम द्वारा भूमिगत जल निकालना, नगर पालिका द्वारा ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, नियत दर पर प्रभारित किया जायेगा और उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा।"

धारा 268 का संशोधन

32–मूल अधिनियम की धारा 268 में, उपधारा–(1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

"(1) यदि धारा–267 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई भवन, दीवाल या ढांचा निर्मित या पुनर्निर्मित किया जाय या कोई नल–कूप, कुऑ या गढ्ढ़ा खोदा जाय या किसी भी प्रकार का पम्प, मशीन, ट्यूबवेल अधिष्ठापित किया जाय, तो नगर आयुक्त या

अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी, उसे हटवा सकता है अथवा उसके सम्बन्ध में अन्य ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह उचित समझे और ऐसा करने में जो व्यय होगा वह दोषी व्यक्ति द्वारा वहन किया जायेगा।"

नई धारा 270–क का बढ़ाया जाना

33–मूल अधिनियम की धारा–270 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

वर्षा जल संचयन संरचना का उपबन्ध

"270–क (1) सरकार द्वारा स्वामित्व या अधिवासित प्रत्येक भवन में या सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी सांविधिक निकाय या किसी कम्पनी या किसी संस्था में, सरकार द्वारा या यथास्थिति उसकी सांविधिक निकाय या कम्पनी या अन्य संस्था द्वारा और ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया जाय, वर्षा जल संचयन संरचना की व्यवस्था की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन भवन का प्रत्येक स्वामी या अध्यासी भवन में ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाय वर्षा–जल–संचयन संरचना की व्यवस्था करेगा।

स्पष्टीकरण– जहाँ कोई भवन एक से अधिक व्यक्ति द्वारा स्वामित्त अथवा अधिवासित है, वहाँ इस उपधारा के अधीन ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसी संरचना की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ होने पर या इसके पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति, 300 वर्ग मीटर या अधिक की पैमाइश के भू–खण्ड पर चाहे आवासीय या अनावासीय प्रयोजन के लिये हो, किसी भवन का निर्माण करता है, तो ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाये, वर्षा जल संचयन संरचना की व्यवस्था करेगा।

(4) किसी भवन का स्वामी या अध्यासी, जो 300 वर्ग मीटर या अधिक के क्षेत्रफल के भू–खण्ड पर निर्माण करता है और जिसका अस्तित्व उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनाँक से है ऐसे भवन में ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाय, वर्षा जल संचयन संरचना।

(5) जहाँ इस धारा के अधीन आवश्यकतानुसार, किसी भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा वर्षा जल संचयन संरचना की व्यवस्था नहीं की गयी है, वहाँ नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, भवन के स्वामी अथवा अध्यासी का सूचना देने के पश्चात्, ऐसे भवन में वर्षा जल संचयन संरचना की व्यवस्था की कार्यवाही कर सकेगा और आनुषांगिक व्ययों से सम्बन्धित ऐसी रीति से जैसा विहित की जाय के साथ–साथ उसकी लागत की वसूली कर सकेगा।

(6) यदि भवन का स्वामी या अध्यासी, नियत अवधि के भीतर भवन में वर्षा जल संचयन संरचना की व्यवस्था करने में विफल रहता है तो व्यतिक्रमी ऐसी राशि के शास्ति के भुगतान के लिये और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, उत्तरदायी होगा।"

धारा–385 का संशोधन

34–मूल अधिनियम की धारा 385 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"385– समस्त सड़कों और भू–गृहादि की उत्तम सफाई एवं स्वच्छता के प्रयोजनार्थ नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :–

(क) नगर पालिका क्षेत्र की सभी सड़कों की सफाई और उन पर से कूड़ा–करकट को हटाना एवं आवासीय भवनों, दुकानों बाजारों वाणिज्यिक प्रक्षेत्रों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, बैकों, होटलों, शैक्षणिक संस्थाओं, नर्सिग होम्स, अस्पतालों, कारखानों, उद्योगों, सब्जियों, फलों और अनाज की मण्डियों एवं ऐसे अन्य स्थानों से जनित कूड़ा–कचरा का हटाने और समापन के लिये ऐसे प्रबन्ध करना जैसा वह उपयुक्त समक्षे, के लिये व्यवस्था करेगा,

(ख) निम्नलिखित को अस्थायी रूप से रखने के लिये उचित और सुविधाजनक स्थानों में, सार्वजनिक पात्रों, संग्रहगारों और जगहों की व्यवस्था या निर्धारण :–

(एक) धूल, राख, कूड़ा–करकट तथा गन्दगी,

(दो) व्यापारिक कूड़ा–करकट,

(तीन) मृत पशुओं के शव,

(चार) मलमूत्र और दूषित वस्तुये;

(ग) समस्त पात्रों तथा संग्रहागारों के भीतर की वस्तुओं और धूल, राख, कूड़ा–करकट गन्दगी, व्यापारिक कूड़ा–करकट, मृत पशुओं के शव और मलमूत्रादि तथा दूषित वस्तुओं को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये, उसके द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवस्थित या निर्धारित समस्त स्थानों पर जमा वस्तुओं को हटाना :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से (चार) तक में उल्लिखित कूड़े–करकट आदि का अन्तिम रूप से निस्तारण नगर पालिका या राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन होगा।"

35–मूल अधिनियम की धारा 450 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"450–क (1) इस अधिनियम में आगे उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी भी आवासीय भू–गृहादि को यथास्थिति नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञप्ति के बगैर अनुसूची–चार में उल्लिखित किसी अनावासीय प्रयोजनों

के लिये उपयोग या उपयोग करने की अनुज्ञा नही देगा।

(2) किसी भू–गृहादि के अनावासीय उपयोग, जिसके लिये राज्य सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कानूनी निकाय से अनुज्ञप्ति आवश्यक हो, के मामले में इस धारा के अधीन यथास्थिति नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा तब तक कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी, जब तक इस उपधारा के अधीन यथा उल्लिखित उपरोक्तानुसार राज्य सरकार अथवा कानूनी निकाय से प्राप्त अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा को उसकी सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतियों के साथ यथास्थिति नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करना, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पूर्व शर्त हो वहाँ नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी एक अनन्तिम अनुज्ञप्ति दे सकते हैं, जिसे उक्त विधि के अधीन किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के प्रस्तुतिकरण पर अधिप्रमाणित किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अनन्तिम अनुज्ञप्ति की वैधता पूर्वोक्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञप्ति दिये जाने की पूर्व शर्तों को पूर्ण करने के लिये ही होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति की अवधि को विनिर्दिष्ट करने में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी ऐसे समस्त अथवा कोई उपाय, जिसे वह जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति पर खतरे से रक्षा के लिये या किसी प्रकार के उपताप के उपशमन के लिये उपयुक्त समझे, करने के लिये अनुज्ञप्ति की अपेक्षा कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में नगर पालिका अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए फीस निश्चित कर सकती है।

(5) यदि नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी का मत है कि कोई भू–गृहादि का उपयोग इस अधिनियम के अधीन उचित अनुज्ञप्ति की बगैर या इस प्रकार की अनुज्ञप्ति की अवधि का उल्लंघन करते हुये अनावासीय उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है, तो वह ऐसे किसी उद्देश्य के लिये ऐसे भू–गृहादि के उपयोग एक निश्चित अवधि के लिये ऐसे उपायों, जिसे वह आवश्यक समझे, के द्वारा रोक सकता है।

धारा–450.क का बढ़ाया जाना

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) के उल्लंघन में किसी भू–गृहादि का उपयोग जारी रखता है, तो नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर किसी अन्य कार्यवाही, जो इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध की जा सके, के अधीन बनाये गये अधिनियम अथवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लगातार दण्ड लगा सकते है, अथवा ऐसे भू–गृहादि के

लिये मुद्रा लगाने के लिये निर्देशित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (6) के अधीन लगाये गये दण्ड के साथ अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान के पश्चात् नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी मुद्रा को हटाने के लिये आदेश दे सकता है।''

धारा–503 का संशोधन

36–मूल अधिनियम की धारा 503 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

नगर–निगम के करों तथा अन्य नगर निगम के देयों की वसूली की रीति

"503– नगर पालिका द्वारा समस्त करों और अन्य देयों की वसूली निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, की जा सकती है :–

(1) बिल प्रस्तुत करके;

(2) माँग की लिखित नोटिस तामील करके;

(3) बकायेदार की किसी मौजूद चल सम्पत्ति के विरूद्व कुर्की का अधिपत्र एवं विक्रय पत्र जारी करके;

(4) बकायेदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री से;

(5) सम्पत्ति कर की दशा में सम्पत्ति पर देय किराये को कुर्क करने (यदि ऐसे किरायेदार के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कर देय हो ;

(6) वाद द्वारा; और

(7) भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली करके।

धारा–504 का संशोधन

37–मूल अधिनियम की धारा–504 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

बिल प्रस्तुत करना

"504–(1) जैसे ही कोई व्यक्ति तात्कालिक माँग पर देय किसी प्रकार के कर अथवा अन्य देयों से भिन्न किसी कर के रूप में किसी धनराशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी हो जाये, नगर आयुक्त यथाशीघ्र ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों को बिल प्रस्तुत करवायेगा।

(2) जब तक निगम द्वारा अन्यथा व्यवस्था न हो, कोई भी व्यक्ति प्रत्येक कर तथा अनुज्ञप्ति शुल्क या अन्य देयों के भुगतान के लिये उस अवधि के आरम्भ होते ही उत्तरदायी हो जायेगा, जिसके सम्बन्ध में ऐसा कर या शुल्क या अन्य देय हो।"

नई धारा–516.क का बढ़ाया जाना

38–मूल अधिनियम की धारा–516 के बाद निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

भू–राजस्व के बकाये के रूप में करों एवं अन्य देयों की वसूली

''516.क (1) जहाँ नगर पालिका को किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी संस्था या विभाग या किसी प्रकार के संगठन से तत्काल से कर तुरन्त मांग लिये जाने पर देय किसी कर से भिन्न

कोई कर किराये के कारण कोई धनराशि नगर पालिका को देय हो वहाँ यथा स्थिति नगर आयुक्त, अथवा अधिशासी अधिकारी वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यवाहियों की लागत सहित ऐसी धनराशि को वसूल करने के लिए जिला कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, मानो कि यह भू राजस्व का कोई बकाया हो।

(2) जिला कलेक्टर, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त रकम देय है, भू–राजस्व के बकाया के रूप में उसे वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

धारा–521 का संशोधन

39–मूल अधिनियम की धारा–521 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

''(4) हटाये गये सामान के विक्रय या नीलामी द्वारा या हटाये गये सामान के निस्तारण पर या हटाये गये सामान के व्यय के स्वामी द्वारा भुगतान करने पर अन्यथा वसूल की गयी धनराशि का व्यय निम्नलिखित रीति से किया जायेगा,

(क) सामान हटाये जाने के कार्य में रत नगर पालिका के सेवकों को पुरस्कार, प्रोत्साहन प्रदान करने एवं अन्य कल्याणकारी कार्य–कलापों के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना की जायेगी।

(ख) उपधारा–(1), (2) और (3) के अधीन वसूल की गयी धनराशि का 5 प्रतिशत खण्ड (क) के अधीन स्थापित निधि में अन्तरित किया जाएगा।

(ग) इस प्रकार वसूल किये गये परिव्ययों का अन्य 5 प्रतिशत पुलिस बल के कल्याण के लिए राज्य के गृह विभाग को सुपुर्द किया जायेगा।

(घ) नगर आयुक्त अयन्त अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी खण्ड (ख) के अधीन धनराशि को ऐसी रीति से जैसा वह उचित समझे, स्वीकृत एवं संवितरित करेगा।''

धारा–535 का संशोधन

40–मूल अधिनियम की धारा 535 में, उपधारा ;2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(3) नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के मामले में राज्य सरकार की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट में निहित मानी जायेंगी, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट मण्डलायुक्त के अनुमोदन से उपधारा (1) तथा (2) की शक्ति का प्रयोग करेगा।"

नई धारा–538–क का बढ़ाया जाना

41–मूल अधिनियम की धारा 538 के, पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"538 क–(1) विहित प्राधिकारी–(क) किसी ऐसी स्थान सम्पत्ति का, जो नगर पालिका या संयुक्त समिति के उपयोग या उपभोग में हो या किसी ऐसे निर्माण का,

राज्य सरकार विहित प्राधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रण

जो नगर पालिका या ऐसी समिति के निदेश के अधीन किया जा रहा हो, निरीक्षण कर सकता है या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उप जिला मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, निरीक्षण करवा सकता है।

(ख) लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसी बही या दस्तावेज को जो नगर पालिका या ऐसी समिति के कब्जे में या नियंत्रण में हो माँग सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ग) लिखित आदेश द्वारा किसी नगर पालिका या ऐसी समिति से नगर पालिका या समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों से सम्बन्धित ऐसे विवरण, लेखा, रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतियाँ जैसा वह उचित समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है,

(घ) नगर पालिका या ऐसी समिति के विचारार्थ नगर पालिका या समिति की कार्यवाहियों या कर्तव्यों के सम्बन्ध में ऐसी संप्रेक्षण लेखबद्ध कर सकता है, जिन्हे वह उचित समझे।

(2) किसी ऐसे कार्य या संस्था का, जिसका निर्माण या अनुरक्षण पूर्णतः या अंशतः नगर पालिका के व्यय से किया गया हो और उससे सम्बन्धित सभी रजिस्टरों, बहियों, लेखे या अन्य अभिलेखों का सभी समयों पर, ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा, जिन्हे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करें।

राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को नगर पालिका के संकल्प या आदेश के निष्पादन या अग्रतर निष्पादन को प्रतिषेधित करने की शक्ति

538–ख (1) विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा इस या किसी अन्यअधिनियम के अधीन नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या आदेश अथवा नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित या दिये गये किसी संकल्प अथवा आदेश के निष्पादन या अग्रतर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश इस प्रकार का है कि उसमें जनता को या विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को कोई बाधा, क्षोम या क्षति पहुँचने की सम्भावना है और किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किये जाने या उसका किया जाना जारी रखने या प्रतिषेध कर सकता है,

(2) जिला मजिस्ट्रेट, अपने जिलें की सीमाओं के भीतर, लिखित आदेश द्वारा इस या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नगरपालिका या नगरपालिका की समिति या संयुक्त, द्वारा पारित दिये गये संकल्प या आदेश

अथवा नगरपालिका या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी सेवक द्वारा पारित या दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश इस प्रकार का है कि उससे मानव बलवा या दंगा हो या होने की सम्भावना हो और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के लिए जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है,

(3) राज्य सरकार, स्वतः या रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त होने पर आदेश द्वारा, इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन नगरपालिका समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित संकल्प या आदेश अथवा नगरपालिका या उसकी समिति या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित या दिये गये आदेश के निष्पादन या अग्रेतर निष्पादन को प्रतिषिद्ध कर सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प या आदेश लोक हित के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है या जिसे शक्तियों का दुरुपोग करके अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों को स्पष्ट भंग करके पारित या दिया गया है और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन किसी कार्य के किये जाने या उसका किया जाना जारी रखने का प्रतिषेध कर सकती है,

(4) जहाँ इस उपधारा (2) या (3) के अधीन कोई आदेश दिया जाय तो उसकी एक प्रतिलिपि उसे दिये जाने के कारणों के विवरणों के साथ यथास्थिति विहित प्राधिकारी द्वारा या विहित प्राधिकारी के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरन्त राज्य सरकार को भेजी जायेगी जो तदुपरान्त यदि वह उचित समझें, उस आदेश को विखण्डित या उपान्तरित कर सकती है,

538–ग– नगरपालिका के चूक करने की दशा में राज्य सरकार और विहित प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति–

(1) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन किये जाने पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि नगरपालिका में इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश या जारी निर्देश के पालन में चूक किया हो तो राज्य सरकार नगरपालिका से स्पष्टीकरण मांगने और इस धारा के अधीन की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा की गयी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् उक्त कर्तव्य का पालन करने या उक्त आदेश या निर्देश के निष्पादन के लिये कोई अवधि निश्चित कर सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन या आदेश अथवा निर्देश का निष्पादन इस प्रकार निश्चित की गयी अवधि के भीतर न किया जाये तो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट का या किसी ऐसे अन्य अधिकारी का जो उप जिला मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, उसका पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है और वह यह निर्देश दे सकता है कि उक्त कर्तव्य का पालन करने या आदेश या निर्देश का निष्पादन

करने में होने वाले व्यय का (यदि कोई हो) नगरपालिका द्वारा ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, जिला मजिस्ट्रेट को भुगतान किया जायेगा।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय का भुगतान नियत समय के भीतर न किया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आदेश द्वारा उस व्यक्ति को, जिसका अभिरक्षा में नगरपालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

538–घ– आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्तियाँ–

(1) आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, विहित प्राधिकारी की अनुमति से, किसी ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के सम्पन्न किये जाने की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पन्न करने की नगरपालिका को शक्ति प्राप्त हो उसकी राय में, जिसका तात्कालिक निष्पादन या सम्पन्न किया जाना जनता की सुरक्षा, संरक्षण या सुविधा के लिए आवश्यक हो और वह निर्देश दे सकता है कि निर्माण कार्य के निष्पादन का कार्य सम्पन्न किये जाने से सम्बन्धित व्यय का नगरपालिका द्वारा तुरन्त भुगतान किया जायेगा।

(2) यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि हो, ऐसी निधि से उक्त व्यय का भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त ऐसे मामलों की, जिसमें वह इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करे, विहित प्राधिकारी को तुरन्त प्रतिवेदित करेगा।''

धारा 574 का संशोधन

42–मूल अधिनियम की धारा–574 में, (क) उपधारा (2) में–

(एक) शब्द "उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015" रख दिये जायेंगे और

(दो) शब्द ''नगरमहापालिका'' या ''महापालिका" या ''नगर निगम'' के स्थान पर शब्द "नगर पालिका" रख दिये जायेंगे।

धारा–580 का संशोधन

43–मूल अधिनियम की धारा 580 में,

(क) उपधारा (2) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994" के स्थान पर शब्द और

अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 रख दिये जायेंगे।

धारा–581 का संशोधन

44–मूल अधिनियम की धारा 581 में:–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "निरसन" के स्थान पर शब्द "निरसन और अपवाद" रख दिये जायेंगे।

(ख) मूल अधिनियम की धारा 581 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराऐ बढ़ा दी जाएगी, अर्थात :–

''(2) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1916 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।''

(2) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगाः–

(क) किसी नियुक्त या किसी धन या सम्पत्ति की स्वीकृति या विनियोग या उसके अधीन लगाये गये या अधिरोपित किसी कर या चुंगी *की विधि मान्यता,*

(ख) "उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2014" के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त या सेवानिवृत्त किसी अधिकारी के पारिश्रमिक के निबन्धन या पेंशन के अधिकार,

(ग) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ होने के पूर्व कृत समस्त कार्य या की गयी समस्त कार्यवाहियाँ जो उक्त अधिनियम के प्रवत्त रहने पर विधिक रूप से की गयी होती, विधिपूर्वक कृत या की गयी समझी जायेंगी।''

अनुसूची–।।। का प्रतिस्थापन

45–मूल अधिनियम की अनुसूची– ष्ष् के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची 3

(देखिये धारा 460)

दण्ड सारणी

भाग–1

धारा, उपधारा तथा खण्ड	जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
396;2द्ध	एक हजार रुपये
397	एक हजार रुपये
398	एक हजार रुपये
400;हद्ध	एक हजार रुपये
400;ीद्ध	एक हजार रुपये
400;पद्ध	एक हजार रुपये

403	एक हजार रुपये
404	एक हजार रुपये
405	एक हजार रुपये
388;2द्ध	एक हजार रुपये
408	एक हजार रुपये
425;2द्ध	एक हजार रुपये
438;6द्ध	एक हजार रुपये
442	एक हजार रुपये
443	एक हजार रुपये
447	एक हजार रुपये
448	दो हजार रुपये
449	दो हजार रुपये
246	एक हजार रुपये
277	एक हजार रुपये
294	एक हजार रुपये
303;1द्ध	एक हजार रुपये
307	एक हजार रुपये
422;मद्ध	एक हजार रुपये
424	एक हजार रुपये
426;1द्ध	एक हजार रुपये
428	एक हजार रुपये
451;5द्ध	एक हजार रुपये
238	दो हजार रुपये
239	दो हजार रुपये
242;1द्ध;इद्ध	दो हजार रुपये
243;इद्ध	दो हजार रुपये
248	दो हजार रुपये
257	दो हजार रुपये
258	दो हजार रुपये
259;1द्ध	दो हजार रुपये
259;2द्ध	दो हजार रुपये
270	दो हजार रुपये
281;2द्ध	दो हजार रुपये

289	दो हजार रुपये
293;3द्ध	दो हजार रुपये
295;1द्ध	दो हजार रुपये
299;1द्ध	दो हजार रुपये
302;1द्ध	पांच हजार रुपये
303;2द्ध	दो हजार रुपये
304;1द्ध	दो हजार रुपये
305;1द्ध	दो हजार रुपये
305;3द्ध	दो हजार रुपये
309;1द्ध	दो हजार रुपये
312	पांच हजार रुपये
330;4द्ध	तीन हजार रुपये
332	पांच हजार रुपये
409	पांच हजार रुपये
410	दो हजार रुपये
411	दो हजार रुपये
418	दो हजार रुपये
427	एक हजार रुपये
430	पांच हजार रुपये
432;1द्ध	पांच हजार रुपये
236	चार हजार रुपये
252;1द्ध	चार हजार रुपये
253	चार हजार रुपये
267;1द्ध	पांच हजार रुपये
292;1द्ध	पांच हजार रुपये
330;2द्ध	पांच हजार रुपये
303;3द्ध	पांच हजार रुपये
333;1द्ध	पांच हजार रुपये
334;3द्ध	पांच हजार रुपये
392;3द्ध	पांच हजार रुपये
423;2द्ध	दस हजार रुपये
440	दस हजार रुपये
482;3द्ध	पांच हजार रुपये

245;1द्ध	दस हजार रूपय
228;1द्ध	दस हजार रुपये
324	दस हजार रुपये
329	दस हजार रुपये
331;1द्ध	दस हजार रुपये
331;2द्ध	दस हजार रुपये
391;2द्ध	दस हजार रुपये
394;1द्ध	दस हजार रुपये
413	दस हजार रुपये
417;1द्ध	दस हजार रुपये
438;1द्ध	दस हजार रुपये
279;4द्ध	पच्चीस हजार रुपये
326	पच्चीस हजार रुपये
335;7द्ध	पच्चीस हजार रुपये
401	पच्चीस हजार रुपये
402	पच्चीस हजार रुपये

भाग–2

धारा, उपधारा तथा खण्ड	जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
293;3द्ध	एक सौ रुपये
294	एक सौ रुपये
427	एक सौ रुपये
428	एक सौ रुपये
438;6द्ध	एक सौ रुपये
236	दो सौ रुपये
238	दो सौ रुपये
239	दो सौ रुपये
242;1द्ध;इद्ध	दो सौ रुपये
243;इद्ध	दो सौ रुपये
246	दो सौ रुपये
248	दो सौ रुपये
257	दो सौ रुपये
258	दो सौ रुपये
259;1द्ध	दो सौ रुपये

धारा, उपधारा तथा खण्ड	जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
259;2द्ध	दो सौ रुपये
267;1द्ध	दो सौ रुपये
270	दो सौ रुपये
289	दो सौ रुपये
292;2द्ध	दो सौ रुपये
292;4द्ध	दो सौ रुपये
295;1द्ध	दो सौ रुपये
295;2द्ध	दो सौ रुपये
299	दो सौ रुपये
303;2द्ध	दो सौ रुपये
305;1द्ध	दो सौ रुपये
305;2द्ध	दो सौ रुपये
308;1द्ध	दो सौ रुपये
309;1द्ध	दो सौ रुपये
330;4द्ध	दो सौ रुपये
422;मद्ध	दो सौ रुपये
439	दो सौ रुपये
451;5द्ध	दो सौ रुपये
304;1द्ध	दो सौ रुपये
307	दो सौ रुपये
330;2द्ध	दो सौ रुपये
330;3द्ध	दो सौ रुपये
333;1द्ध	दो सौ रुपये
334;3द्ध	पांच सौ रुपये
440	पांच सौ रुपये
245;1द्ध	पांच सौ रुपये
281;2द्ध	पांच सौ रुपये
302;1द्ध	पांच सौ रुपये
303;1द्ध	पांच सौ रुपये
332	पांच सौ रुपये
391;2द्ध	पांच सौ रुपये
392;3द्ध	पांच सौ रुपये
394;1द्ध	पांच सौ रुपये
423;2द्ध	पांच सौ रुपये
438;1द्ध	पांच सौ रुपये
482;3द्ध	पांच सौ रुपये

धारा, उपधारा तथा खण्ड	जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
279;4द्ध	एक हजार रुपये
324	पांच सौ रुपये
326	एक हजार रुपये
329	पांच सौ रुपये
331;1द्ध	पांच सौ रुपये
331;2द्ध	पांच सौ रुपये
335;7द्ध	एक हजार रुपये
401	एक हजार रुपये
402	एक हजार रुपये

नई अनुसूची–4 का बढ़ाया जाना

46–मूल अधिनियम की अनुसूची–3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

अनुसूची–4

(देंखें धारा 450 क)

वे प्रयोजन जिनके लिए अनुज्ञप्ति अथवा लिखित अनुमति के बिना परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकताः–

1– बतीत जल विनिर्माण।

2– बतीत जल विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबी, दबाना, साफ करना, शुद्ध करना, उबालना, पिघलना, पिसना अथवा किसी प्रक्रिया से तैयार करना।

3– एलो–तन्तु तथा सूत (यार्न)–भंडारण डिब्बाबंदी, दाबना, शुद्ध करना, तथा किसी भी प्रक्रिया सक तैयार करना अथवा विनिर्माण करना।

4– एक्यूमिशन– भंडारण, दाबना, शुद्ध करना, किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना अथवा विनिर्माण करना।

5– सुपाड़ी– भिगोना।

6– आटे से बनी सामग्री– पकाना, तैयार करना, रखना अथवा मानवीय उपयोग (घरेलू उपयोग से भिन्न) के लिए भंडारण।

7– हींग– भंडारण।

8– हींग– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

9– राख– भंडारण, डिब्बाबंदी, दाबना, शुद्ध करना, किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना अथवा विनिर्माण करना, ढेर लगाना अथवा हटाना।

10– राख–घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

11– मोटर वाहन अथवा ऑटो साईकिल की सर्विसिंग अथवा मरम्मती।

12– बैंक लाईट वस्तुएं–विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण।

13– बैंक लाईट वस्तुएं– विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाबना, सफाई, धुलाई, उबालना, पिघलाना, घिसाई अथवा किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना।

14– बाँस– विक्रय किराया पर देने अथवा विनिर्माण कि लिए भण्डारण।

15– बाँस– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

16– बैंकिंग।

17– बीड़ी पत्तियाँ– भंडारण अथवा प्रसंस्करण।

18– बीड़ी की पत्तियाँ– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

19– बीड़ी (देशी सिगरेट), सुंधनी सिगार अथवा सिगरेट– विनिर्माण करना, सुखना, डिब्बाबंदी, दाबना, सफाई, धुलाई, उबालना, पिघलाना, पिसाई करना अथवा किसी भी प्रक्रिया से तैयार करना।

20– बिस्कुट– पकाना, तैयार करना, मानवीय उपयोग (घरेलू उपयोग से भिन्न) के लिए रख–रखाव अथवा भण्डारण।

21– अलकतरा– विनिर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाबना, सफाई करना, शुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, घिसाई, किसी भी तरीके से तैयार करना।

22– लोहार।

23– विस्फोटक पाउडर (चूर्ण) भण्डारण।

24– विस्फोटक चूर्ण– निर्माण, सुखना डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई (घिसाई) अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।

25– विस्फोटक चूर्ण– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

26– रक्त– भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन किसी भी विधि से तैयार अथवा निर्माण करना।

27– रक्त–घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

28– अस्थि– भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन किसी भी विधि से तैयार करना अथवा निर्माण करना।

29– अस्थियाँ, अस्थिचूर्ण या अस्थि पाउडर– घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त।

30– अस्थियाँ– निर्माण सूखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परियामार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण।

31– रोटी– पकाना (सेंकना) निर्माण मानवीय उपभोग (घरेलू उपयोग से अलग के लिए)।

32– ईंट–निर्माण।

33– हस्तबल द्वारा ईंट अथवा खण्ड़ा–निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण करना।

34– मशीनी बल द्वारा ईंट अथवा खण्ड़ा निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण।

35– तूलिकायें– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण।

36– कर्पूर– भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार अथवा निर्माण अथवा उबालना।

37– कर्पूर घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

38– मोमबत्ती– डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार अथवा निर्माण करना।

39– मोमबत्तियाँ– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण।

40– कैल्शियम कार्बाइड– भण्डारण,

41– कैल्शियम कार्बाइड– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

42– कार्डबोर्ड– भण्डारण।

43– कार्डबोर्ड– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

44– कालीन–निर्माण।

45– काजू– भण्डारण डिब्बाबंदी, किसी भी विधि से तैयार करना अथवा निर्माण करना।

46– ताँत– भण्डारण डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, किसी भी विधि से तैयारी अथवा निर्माण करना।

47– ताँत– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण।

48– सैलूलॉयड– सामग्री– भण्डारण,

49– सैलूलॉयड अथवा सैलूलॉयड सामग्री निर्माण सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना।

50– सैलूलॉयड अथवा सैलूलॉयड सामग्री घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

51– सीमेंट– डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार करना अथवा निर्माण करना।

52– सीमेंट– कंक्रीट अभिकल्प अथवा प्रतिमान– निर्माण, सुखाना डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा निर्माण करना।

53– काठकोयला– क्षेपण, सिफिटिंग, विक्रय अथवा भण्डारण।

54– काठकोयला– निर्माण सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना।

55– काठकोयला– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

56– रसायन– निर्माण सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना।

57– रासायनिक तैयारी– भण्डारण डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयारी अथवा निर्माण करना।

58– रस द्रव– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

59– रसायनिक, गैर द्रवीय– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

60– मिर्च– मशीन द्वारा पिसाई।

61– मिर्च–(सूखा) थोक विक्रय अथवा थोक व्यापार के लिए भण्डारण।

62– मिर्च– घरेलू उपयोग के अतिरिक्त।

63– मिर्च अथवा मशाला अथवा अनाज अथवा बीज की मशीन द्वारा पिसाई।

64– क्लोरेट मिश्रण– भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से बनाना अथवा निर्माण करना।

65– क्लोरेट मिश्रण– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

66– अवस्कार– भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि से तैयार अथवा निर्माण करना तथा क्षेषण अथवा सिफिटिंग।

67– किसी भी व्यापारिक निर्माण से सम्बन्धित चलचित्र दर्शी फिल्म सज्जा–सामग्री, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिमार्जन उबालना, पिघलाना किसी भी विधि से घिसाई अथवा तैयार करना।

68– चलचित्र की फिल्म की शूटिंग अभिक्रिया अथवा संसाधन।

69– अज्वलनशील अथवा शुक्तीय अथवा सुरक्षा आधार चलचित्रदर्शी फिल्म घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

70– वस्त्र– रंगना, विरंगना, व्यापार अथवा भण्डारण।

71– वस्तु को गट्ठा अथवा बोरा के रूप में तैयार करना– घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त।

72– सूती, ऊनी, सिल्क, आर्ट सिल्क, आदि के वस्तु– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

73– वस्त्र, धागा अथवा चमड़ा को नील अथवा अन्य रंगों में रंगना अथवा उन पर छपाई करना।

74– वस्त्र अथवा धागा का विरंजन,

75– कोयला– क्षेषण, सिफ्टिंग, विक्रय अथवा भण्डारण।

76– कोयला– घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त।

77– नारिकेल तन्तु– भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि द्वारा तैयार अथवा निर्माण करना।

78– नारिकेल तन्तु– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

79– नारिकेल छिलकों का भिंगोना।

80– नारिकेल खोपड़ी का भण्डारण।

81– नारिकेल जटा– धागा–भण्डारण, डिब्बाबंदी, दाब, परिमार्जन, किसी भी विधि द्वारा बनाना अथवा निर्माण करना।

82– कोक– भण्डारण।

83– कोक– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

84– ज्वलनशील पदार्थ– भण्डारण।

85– ज्वलनशील– सेंकना, तैयार करना, मानवीय उपयोग के लिए उसका रखाव अथवा भण्डारण (घरेलू उपयोग के अलावें)।

86– यौगिक गैस (आक्सीजन, नाईट्रोजन, हाईड्रोजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर, क्लोरिन, एसीटिलीन भण्डारण।

87– यौगिक गैस (आक्सीजन, नाईट्रोजन, हाईड्रोजन, कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर, क्लोरिन, ऐथिलिन)– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

88– तमड़ा।

89– खोपड़ा बनाना अथवा भण्डारण अथवा थोक विक्रय।

90– खोपड़ा– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

91– टंगराग अथवा प्रसाधन सामग्री– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना पिघलाना, किसी भी विधि से पिसना अथवा तैयार करना।

92– सभी प्रकार के कपास, कच्चा सूत, कपास के बीज–भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, सफाई, परिमार्जन, किसी भी विधि से बनाना अथवा निर्माण करना।

93– कपासबीज– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना पिघलाना, किसी भी विधि से पिसना अथवा तैयार करना।

94– कपासबीज– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

95– कपास, जिनमें कहूक, शल्यचिकित्सीय कपास और रेशमी कपास सम्मिलित हो– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

96– कपास का कपड़ा अथवा रद्दी अथवा कपास सूत का कचरा अथवा रद्दी–घरेलू उपयोग के अतिरिक्त।

97– कपास, कपास का कचरा, कपास की रद्दी, कपास का धागा, रेशम, रेशमीधागा, तथा जिसमें रेशम के रद्दी धागे, कला रेशम, कलारेशम कचरा, कला रेशमी धागा, उन अथवा उनी कचरा अथवा रद्दी का निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिशुद्धि, उबालना, पिघलाना, घिसाई अथवा किसी भी विधि द्वारा तैयार किया जाना।

98– गाय–गोबर केक– भण्डारण डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसना अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।

99– डामर (रेसीन)– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी, दाब, सफाई परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसना अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।

100–डिटोनेटर।

101–डिटोनेटर घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

102–दवाई– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी दाब सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।

103–दवाईयाँ– खुदरा बिक्री के लिए।

104–सूखी पत्ती– भण्डारण।

105–सूखी पत्तियाँ– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

106–रंगना (सामग्री) डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।

107–डेनामाईट– भण्डारण।

108–डेनामाईट– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि द्वारा निर्माण करना।

109–डेनामाइट– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

110–भोजन गृह अथवा भोजन प्रबन्ध की स्थापना को देखते हुए।

111–विद्युत लेषन करना।

112–विस्फोटक पदार्थ– भण्डारण।

113–विस्फोटक संश्लेषण (नाइट्रोकेलूलोज, लेकर, एनामेल) भण्डारण।

114–विस्फोटक– संश्लेषण (नाइट्रोकेलूलोज, लेकर, एनामेल) घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

115–चर्बी– भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि द्वारा तैयार किया जाना।

116–चर्बी– निर्माण, सुखाना, डिब्बाबंदी दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि द्वारा तैयार किया जाना।

117–चर्बी– घरेलू उपयोगों के अतिरिक्त।

118–नमदा– भण्डारण।

119–नमदा– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

120–तन्तु– विक्रय अथवा भण्डारण।

121–पक्षक– भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से तैयार किया जाना।

122–पक्षकें– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

123–काष्ठईधन– विक्रय अथवा भण्डारण।

124–काष्ठईधन– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

125–आतिशबाजी– भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से तैयार किया जाना।

126–आतिशबाजी– विनिर्माण, सुखाना, भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।

127–अतिशबाजी– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

128–मछली– भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से बनाना।

129–मछली (सूखी हुई)– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

130–मछली तेल– भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि द्वारा बनाना।

131–पटुआ– भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से बनाना।

132–पटुआ– निर्माण, सुखाना, भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, सफाई, परिमार्जन, उबालना, पिघलाना, पिसाई अथवा किसी भी विधि से बनाना।

133–पटुआ– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

134–मांस (फ्लेसिंग)– भण्डारण, डिब्बाबंदी दाब, परिमार्जन, निर्माण अथवा किसी भी विधि से तैयार करना।

135–जिस किसी प्रक्रिया से आटा–भरना, दबाना, साफ करना, तैयार करना।

136–जिस किसी प्रक्रिया से खाद– निर्माण करना, सुखाना, भरना, दाबना, साफ करना, पूर्ण साफ करना, उबालना, पिघलाना, घीसना या किसी प्रक्रिया से तैयार करना।

137–खाद का खुदरा बिक्री।

138–ईधन– किसी औद्यौगिक 21 लिए उपयोग करना।

139–स्फूर्णक– घरेलू उद्देश्य के अलावा।

140–स्फूर्णक पारद– भण्डारण, पैक करना, दाबना, साफ करना, तैयार करना या जो भी हो, किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।

141–स्फूर्णक पारद–घरेलू उद्देश्य के अलावा।

142–स्फूर्णक रजत–घरेलू उद्देश्य के अलावा।

143–फर्नीचर– बिक्री हेतु निर्माण अथवा भण्डारण।

144–गैस– भण्डारण, पैक करना, दाबना, साफ करना, तैयार करना अथवा जिस प्रक्रिया से हो, निर्माण करना।

145–गैस– निर्माण, सुखाना, पैक करना, दाबना, साफ करना, पूर्ण साफ करना, उबालना, पिघलाना, पीसना, अथवा जिस प्रक्रिया से हो, निर्माण करना।

146–जिलेटिन– भण्डारण।

147–जिलेटिन– घरेलू उपयोग के अलावा।

148–जिबेनइट– घरेलू उपयोग के अलावा।

149–घी– भण्डारण, पैक करना, दाबना, पूर्ण साफ करना, जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना अथवा निर्माण करना।

150–घी– निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना अथवा जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

151–शीशा या शीशे की वस्तुएँ– निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना अथवा जो भी प्रक्रिया से तैयार करना।

152–शीशे का समतलन।

153–शीशे की कटाई।

154–शीशे की पालिस करना।

155–सोना–शोधन।

156–स्वर्णकारी

157–अनाज– थोक बिक्री अथवा थोक व्यापार के लिए भण्डारण।

158–अनाज– सुखाना।

159–चना– मशीन द्वारा भूसा अलग करना।

160–घास– भण्डारण।

161–घास– घरेलू उपयोग के अलावा।

162–मूँगफली– थोक बिक्री अथवा थोक व्यापार के लिए भण्डारण।

163–मूँगफली का बीज, इमली का बीज या अन्य बीज भण्डारण।

164–गम–कॉटन– भण्डारण, पैक करना, परिशुद्धकरण, तैयार करना, अथवा किसी भी प्रक्रिया से निर्माण करना।

165–गन–कॉटन–घरेलू उपयोग के अलावा।

166–बोरा– भण्डारण, पैक करना, परिशुद्ध करना, तैयार करना, अथवा किसी भी प्रक्रिया से निर्माण करना।

167–बोरा– घरेलू उपयोग के अलावा।

168–गन पाउडर– भण्डारण, पैक करना, परिशुद्ध करना, तैयार करना, अथवा किसी भी प्रक्रिया से निर्माण करना।

169–गन पाउडर– निर्माण–, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना उबालना, पिघलाना, पीसना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।

170–गन पाउडर– घरेलू उपयोग के अलावा।

171–बाल– भण्डारण, पैक करना, परिशुद्ध करना, तैयार करना, अथवा किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।

172–बाल– घरेलू उपयोग के अलावा।

173–हेयर ड्रेसिंग या नाई की दुकान, देखभाल करना।

174–सूखी घास– विक्रय या भण्डारण।

175–सूखी घास या चारा– घरेलू उपयोग के अलावा।

176–जूट– भण्डारण, पैक करना, परिशुद्ध करना, तैयार करना, अथवा किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।

177–जूट– निर्माण–, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना उबालना, पिघलाना, पीसना अथवा जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।

178–जूट– घरेलू उपयोग के अलावा।

179–टाट– भण्डारण।

180–टाट (बोरी का कपड़ा)–घरेलू उपयोग के अलावा।

181–टाट– भण्डारण, पैक करना, परिशुद्ध करना, तैयार करना, अथवा किसी प्रक्रिया द्वारा निर्माण करना।

182–टाट (सूखा)–घरेलू उपयोग के अलावा।

183–टाट (कच्चा)– घरेलू उपयोग के अलावा।

184–टाट या चमड़ा, जो कच्चा या सूखा हो, चर्मशोधन, दाब अथवा भण्डारण।

185–खुर– भण्डारण, पैकिंग, दाबना,, परिशुद्ध करना, तैयार करना या जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।

186–खुर– घरेलू उद्देश्यों के अलावे।

187–सींग– भण्डारण, पैक करना, परिशुद्ध करना, तैयार करना, या किसी प्रक्रिया से तैयार करना।

188–सींग– घरेलू उद्देश्यों के अलावे।

189–बर्फ– निर्माण करना।

190–बर्फ (शुष्क बर्फ सहित)– निर्माण–, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना उबालना, पिघलाना, पीसना या जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।

191–अगरबत्ती– भण्डारण।

192–अगरबत्ती– घरेलू उपयोग के अलावे।

193–छपाई, लिखाई, मुहर लगाने के लिए स्याही– निर्माण, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या जिस प्रक्रिया से तैयार करना।

194–कीटनाशक या रोगाणुनाशक– निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना उबालना, पिघलाना, पीसना या जिस किसी प्रक्रिया से तैयार करना।

195–शक्कर– भण्डारण, पैक करना, दाबना,, परिशुद्ध करना, तैयार करना या जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।

196–जूट– भण्डारण, पैक करना, दाबना,, परिशुद्ध करना, तैयार करना या जिस किसी प्रक्रिया से निर्माण करना।

197–जूट– घरेलू प्रयोजनों के अतिरिक्त।

198–खाकी– तैयार करना।

199–खोकस, डब्बे, पीपा, उपस्कर या लकड़ी का कोई अन्य उपकरण– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

200–घोड़ों, पशु या अन्य चौपाये जानवरों या चिड़ियों का ढुलाई, विक्रय या भाड़े या उसके उत्पादन के विवस के लिए रख रखाव।

201–लाह– भण्डारण, संवेष्टन, दाब, सफाई, किसी भी प्रकार से तैयार करना या उत्पादन करना।

202–लाह से बनी रंग सामग्री– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

203–लौण्ड्री की दुकान, रख– रखाव।

204–शीशा पीघलाना।

205–चमड़ा– भण्डारण, संवेष्टन, दाब, सफाई, किसी भी प्रकार से तैयारी करना या विनिर्माण।

206–चर्म वस्त्र या रेक्सिन वस्त्र या जल सह वस्त्र– निर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दाब, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पीसना या अन्य किसी भी प्रकार से तैयार करना।

207–चर्म सामग्री, यान्त्रिक माध्यम से तैयार करना।

208–चमड़ा– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

209–चूना– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी अन्य प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

210–चूना– विनिर्माण, सुखना, संवेष्टन, दाबई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पीसई या अन्य किसी भी प्रकार से तैयार करना।

211–लाइम शेल– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी अन्य प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

212–लाइनशीड तेल– विनिर्माण, ,सुखाना, संवेष्टन, दाबई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पीसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।

213–लिथो प्रेस का रख रखाव।

214–संवास सदन का रख रखाब।

215–किसी औद्योगिक प्रयोजन के लिए व्यवहृत कल पुर्जे।

216–खाद– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी अन्य प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

217–संगमरमर– कटाई, पिसाई, प्रसाधन या पॉलिश करना।

218–दियासलाई– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी अन्य प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

219–प्रकाश के लिए दिया सलाई (बंगला दिया सलाई सहित) विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, शोधन, परिमार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।

220–प्रकाश के लिए दियासलाई (बंगला दियासलाई सहित) घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

221–मैटिर्फ– क्लिफ्स और निलफिक्स– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।

222–मांस– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

223–धातु (पूर्ववर्ती धातु को छोड़कर लौह अथवा अलौह धातु अथवा सुरमा) की कटाई या हथौड़े से पीटकर, ड्रिल करके, दबाकर भरकर, पॉलिस कर, गर्म कर या जो भी अन्य प्रक्रिया हो, से धातु के पूर्जो की असेम्बलिंग।

224–धातु (मूल्यवान धातु सहित)– पीटना, तोड़ना, हथौड़े से मारना एवं ढालना।

225–मिथिलेटेट स्प्रिट या विकृत स्प्रिट– भण्डारण।

226–मिथिलेटेट स्प्रिट या विकृत स्प्रिट या फ्रेंच पॉलिस– घरेलू उपयोग के अलावा।

227–नाइट्रो सेल्यूलोज– घरेलू उपयोग के अलावा।

228–नाइट्रोकंपाउड (यौगिक)– भण्डारण, पैकिंग, दबाकर, परिशुद्धकरण, तैयार करना या अन्य किसी भी प्रक्रिया से निर्माण करना।

229–नाइट्रोकंपाउड (यौगिक)– घरेलू उपयोग के अलावा।

230–नाइट्रोग्लिसरीन– घरेलू उपयोग के अलावा।

231–नाइट्रोमिश्रण– भण्डारण, पैकिंग, दबाकर, परिशुद्धकरण, तैयार करना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

232–नाइट्रोमिश्रण– घरेलू उपयोग के अलावा।

233–कूड़ा कचरा– भण्डारण, पैकिंग, दबाकर, परिशुद्धकरण, तैयार करना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

234–कूड़ा कचरा– निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्धि करना, परिशुद्ध करना उबालना, पिघलाना, पीसना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

235–कूचा– कपड़ा– घरेलू उपयोग के अलावा।

236–तेल– भण्डारण, पैक करना, दबाना, परिशुद्धकरण, तैयार करना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

237–पेट्रोलियम के अलावे तेल (यांत्रिक शक्ति या हस्ताचालित या बैल अथवा किसी अन्य पशु द्वारा चालित घानी द्वारा)– निर्माण, सुखाकर, पैक कर, दबाकर, शुद्धि कर, परिशुद्ध कर, उबालकर, पिघलाकर, पीसकर या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

238–पेट्रोलियम के अलावा तेल–घरेलू उपयोग के अलावा।

239–ऑयल– क्लाथ– निर्माण करना, सुखाकर, पैक कर, दबारकर, शुद्ध कर, परिशुद्ध कर, उबालकर, पिघलाकर, पीसकर या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

240–तेल बीज– भण्डारण।

241–तेल बीज– बदाम सहित, लेकिन कपास के बीज के बगैर– घरेलू उपयोग के अलावा।

242–पुराना या रद्दी कागज, पुराना अखबार, पत्र पत्रिकायें, इत्यादि–घरेलू उपयोग के अलावा।

243–पैकिंग– सामग्री (कागज के टुकड़े लकड़ी का बुरादा इत्यादि) घरेलू उपयोग के अलावा।

244–धान–मशीन द्वारा उबालना अथवा कूटना।

245–पेन्ट– निर्माण एवं भण्डारण।

246–पेन्ट– निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्धि करना, परिशुद्ध करना उबालना, पिघलाना, पीसना या अन्य जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

247–पेन्ट– घरेलू उपयोग के अलावा।

248–कागज– पैक करना, दबाना, परिशुद्ध करना या जो भी प्रक्रिया हो, से तैयार करना।

249–कागज, गठरी में बाँधा, खुला या रींग से भिन्न– घरेलू उपयोग के अलावा।

250–कागज या गत्ता– निर्माण करना, सुखाना, पैक करना, दाबना, शुद्ध करना, परिशुद्ध करना।

251–पेट्रोलियम उत्पाद– भण्डारण, संवेष्टन, दबाई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

252–पेट्रोलियम, खतरनाक पेट्रोलियम से भिन्न, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

253–औषध निर्माण या चिकित्सीय उत्पाद– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।

254–फोटोचित्रकारी– कला मंदिर।

255–फॉस्फोरस– भण्डारण।

256–फॉस्फोरस– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

257–पशु चर्म का परिष्कार– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।

258–कोलतार– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

259–कोलतार– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।

260–प्लास्टिक या प्लास्टिक वस्तुएँ– विनिर्माण या भण्डारण।

261–प्लास्टिक या प्लास्टिक वस्तुएँ– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या किसी भी प्रकार से तैयार करना।

262–प्लास्टिक या प्लास्टिक वस्तुएँ– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

263–प्लाई उड– भण्डारण।

264–प्लाई उड– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

265–पॉलीथिन– विनिर्माण या भण्डारण।

266–मृदभांड– संवेष्टन, दबाई, शोधन, या जिस भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

267–हस्तशक्ति से मृद भांड निर्माण– विनिर्माण, पकाना, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से पिसाई या तैयार करना।

268–यान्त्रिक शक्ति या हस्तशक्ति से भिन्न किसी शक्ति से मृदभांड विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना।

269–कीमती घातु, कसीदाकारी से उसके परिष्कार या प्रत्युद्धरण।

270–मृद्राणलय रखना।

271–रेडियो– विनिर्माण, संयोजन, सफाई एवं मरम्मत।

272–रेडियो (बेतार ग्राही यंत्र)– बिक्री मरम्मति, सफाई या विनिर्माण।

273–चिथड़ों कपड़ों के छोटे टुकड़े या कतरन सहित, जूट कपड़ा बोरी कपड़ा सिल्क कला, सिल्क या ऊनी कपड़ा– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

274–राल (गंधराल सहित)– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

275–गंधराल या ड्राम भार बट्टर अन्यथा अभिज्ञात राल– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

276–रबर या रबर वस्तुएँ– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से पिसाई या तैयार करना।

277–किसी भी प्रक्रिया द्वारा कालीन– जमा करना, पैक करना, प्रेस करना, सफाई करना, तैयार करना, या विनिर्माण करना।

278–सेफ्टी फ्यूज, कुहासा सिगनल, कारतूस आदि– सिवाय घरेलू प्रयोजन के।

279–साबूदाना– विनिर्माण अथवा आसवन।

280–किसी भी प्रक्रिया द्वारा शोरा जमा करना, पैकिंग करना, प्रेस करना, सफाई करना, तैयार करना या विनिर्माण।

281–शोरा– सिवाय घरेलू उपयोग/प्रयोजन।

282–चन्दन की लकड़ी– सिवाय घरेलू प्रयोजन के।

283–किसी भी प्रक्रिया द्वारा चीनी मिट्टी की सफाई, विनिर्माण, सुखना, पैकिंग करना, प्रेस करना, सफाई करना, उबालना, पिघलाना, पीसना या तैयार करना।

284–चपड़ा– किसी भी प्रक्रिया द्वारा भण्डारण करना, पैक करना, प्रेस करना, सफाई करना, तैयार करना या विनिर्माण करना।

285–किसी भी प्रक्रिया द्वारा रेशम– पैक करना, प्रेस करना, साफ करना, तैयार करना या विनिर्माण करना।

286–रेशम– अपशिष्ट रेशमी धागा, अपशिष्ट कृत्रिम रेशम, अपशिष्ट अथवा कृत्रिम रेशमी धागा अवशिष्ट– सिवाय घरेलू प्रयोजन के।

287–सुनारगीरी।

288–सुतरी रेशा भण्डारण।

289–सुतरी रेशा– घरेलू उपयोग के सिवाय।

290–किसी भी प्रक्रिया द्वारा चमड़े का भण्डारण, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।

291–चमड़ा (कच्चा या सुखाया हुआ)– सिवाय घरेलू उपयोग के।

292–किसी भी प्रक्रिया द्वारा साबुन पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।

293–किसी भी प्रक्रिया द्वारा साबुन विनिर्माण, सुखाई, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या तैयार करना।

294–बिजली की सहायता से सूती कपड़े, रेशम, कृत्रिम रेशम या पटसन या ऊन की कताई या बुनाई।

295–किसी भी प्रक्रिया द्वारा स्पिरिट का भण्डारण, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई तैयारी या विनिर्माण।

296–पत्थर की पीसाई, कटाई या पॉलिसिंग।

297–कतरन की बिक्री या भण्डारण।

298–कतरन सिवाय घरेलू प्रयोजन के।

299–किसी भी प्रक्रिया द्वारा चीनी की पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।

300–किसी भी प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्माण, इसे सुखना, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, उबालना, पिघलाना, पीसना या तैयार करना।

301–किसी भी प्रक्रिया द्वारा मिश्री की पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।

302–किसी भी प्रक्रिया द्वारा गंधक का भण्डारण, पैकिंग, प्रेसिंग, सफाई, तैयारी या विनिर्माण।

303–गंधक– सिवाय घरेलू प्रयोजन के।

304–सुर्खी– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

305–मिठाई– पकाना, तैयार करना, रखना या मानव उपभोग के लिए भण्डारण (घरेलू प्रयोजन से भिन्न)।

306–मिठाई और हलवाई की दुकान की वस्तुएँ– विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या पिसाई ।

307–मिठाई की दुकान– आहारगृह के रूप में अनुज्ञप्ति प्रदत्त परिसर को छोड़कर।

308–पशु वास– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

309–पशु वास– विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या पिसाई।

310–पशु वास– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

311–तारकोल– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

312–तारकोल– विनिर्माण, पकाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना या पिसाई।

313–तारकोल– कोलतार (संकुलन या अलकतरा)– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

314–तिरपाल– भण्डारण।

315–तिरपाल– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

316–छप्पर बंदी की सामग्री– बिक्री या भण्डारण।

317–द्रावक– भण्डारण।

318–द्रावक– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

319–टाईल्स– विनिर्माण।

320–इमारती लकड़ी– बिक्री या भण्डारण।

321–इमारती लकड़ी– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

322–यान्त्रिक या विद्युत शक्ति से इमारती लकड़ी या लकड़ी की चिराई या कटाई।

323–कलईगिरी।

324–तम्बाकू (नसवार, सिगार, सिगरेट और बीड़ी सहित) भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, मार्जन किसी भी प्रकार से तैयार करना या विनिर्माण।

325–तारपीन– भण्डारण, संवेष्टन, दाबई, जिस किसी भी प्रकार से विनिर्माण या तैयार करना।

326–तारपीन– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

327–वार्निश– विनिर्माण या भण्डारण।

328–वार्निश– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, जिस किसी भी प्रकार से पिसाई या तैयार करना।

329–वार्निश– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

330–धोबी का कारोबार।

331–धातुओं का वेल्डिंग– बिजली, गैस या अन्य प्रक्रिया से।

332–लकड़ी का उपस्कर, बक्सा, पीपा, कोकस, या लकड़ी का अन्य उपकरण या प्लाई उड का या चन्दन की लकड़ी का– विनिर्माण, सुखाना, संवेष्टन, दबाई, शोधन, मार्जन, क्वथन, द्रवन, पिसाई या जिस किसी भी प्रकार से तैयार करना।

333–ऊन– भण्डारण, सवेष्ठन, इस्तरी, सफाई, तैयारी या किसी भी प्रक्रिया से उत्पादन।

334–ऊन (कच्चा)– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

335–धारा– रंगाई या विरंजीकरण।

336–धागा– विनष्ट धागों से भिन्न– घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर।

337–ऐसे पदार्थ से कोई उत्पादन जिनसे हानिकर अथवा अस्वास्थ्यकर गंध, धुंआ, धूल या कोलाहल उत्पन्न होता हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–46 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25–03–2015 को नियम–51 की कुल 92 सूचनायें प्राप्त हुईं थीं जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया है इसलिये आज नियम–51 की एक भी सूचना नहीं ली गई है। अब जो ये 92 सूचनायें हैं और कल भी एसेम्बली है तो इन 92 सूचनाओं को कल ट्रांसफर कर दिया गया है, फिर बाद में नहीं देनी हैं।

जनपद देवरिया के खुखुन्द को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा.....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा दिनांक 18–3–2015 को उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद देवरिया में खुखुन्दु को ब्लाक बनाने के लिये जमीन अधिग्रहण हेतु कार्यवाही में शिथिलता के कारण स्थानीय जनता में जनाक्रोश है तथा अनवरत धरना–प्रदर्शन स्थानीय जनता द्वारा चल रहा है। इस सन्दर्भ में पूर्व मुख्य मंत्री ने जनपद देवरिया में खुखुन्दु को विकास खण्ड बनाये जाने की घोषणा की थी तथा प्रशासन को आदेश दिया था कि इसको मानक अनुरूप प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण इत्यादि के लिये कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया था। विगत कई वर्षों से प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के बीच इस सन्दर्भ में अनकों पत्राचार हो रहे हैं किन्तु अभी खुखुन्दु को ब्लाक नहीं बनाया गया, जिससे वहां की स्थानीय जनता में सरकार एवं प्रशासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा आक्रोशित जनता सड़कों पर है। जनहित में खुखुन्दु को तत्काल ब्लाक बनाया जाना अति आवश्यक है।

2–उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में नये ब्लाक के गठन के सम्बन्ध में मानक निर्धारित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मानक निर्धारित होने के उपरान्त जनपद देवरिया में खुखुन्दु को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।,

जनपद आगरा रसूलपुर, सराय ख्वाजा, वी0आई0पी0 रोड, थाना शाहगंज निवासी प्रीतम सिंह कुशवाहा की दिनांक 27 जनवरी, 2015 को हुई रहस्यमय ढंग से हुई मौत की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद आगरा, रसूलपुर, सराय ख्वाजा.....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्वी0आई0पी0 रोड, थाना शाहगंज निवासी प्रीतम सिंह कुशवाहा की दिनांक 27–01–2015 को रहस्यमय ढंग से हुई मौत की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह कुशवाहा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18–03–15 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 (पटल कार्यालय) के पत्र सं0–792/वि0स0/प0का0/ 2014, दिनांक 18–03–2015 द्वारा निर्धारित वक्तव्य दिनांक 23–03–15 जो कि पुनः विधान सभा सचिवालय, उ0प्र0 (पटल कार्यालय) के पत्र सं0–868/वि0स0/प0का0/2014, दिनांक 20–03–2015 द्वारा दिनांक 25–03–15 को निर्धारित हुआ है, के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा से प्राप्त आख्यानुसार उक्त प्रकरण का घटनाक्रम जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित है।

तत्क्रम में पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद से प्राप्त आख्यानुसार वादी श्री प्रीतम सिंह कुशवाहा पुत्र श्री नत्थी लाल निवासी 61/35 रसूलपुर सराय ख्वाजा, थाना शाहगंज, आगरा ने अपनी तहरीर में बताया कि दिनांक 27–01–15 को समय करीब 4.30 बजे शाम दिनेश कुशवाहा को उसका दोस्त विक्की पुत्र श्रीमती राजेश कुमारी निवासी सुख निवास, अजीत नगर, एयरफोर्स स्टेशन, आगरा घर से बुलाकर दिनेश की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मोटरसाइकिल यू0पी0–80 सी0डी0–2112 पर अपने साथ बैठाकर ले गया। उस समय मेरी पत्नी रामबेटी व पुत्रबधू गीता मौजूद थी। पूछा कहां जा रहे हो तो कहा कि थोड़ी देर में वापस आता हूं। लेकिन वापस न आकर टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि आपके बेटे का एक्सीडेंट सत्कार होटल के पास किसी अज्ञात ट्रक द्वारा हो गया है। सूचना पर मेरे लड़के को मौके से इलाज हेतु दिनेश का साला नीतू व ससुर एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा ले गये। अस्पताल पहुंचते ही दिनेश की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा की कार्यवाही थाना एमएम गेट द्वारा की गई।

वादी श्री प्रीतम सिंह कुशवाहा द्वारा दिनांक 27–01–15 की घटना को थाना–टूण्डला, फिरोजाबाद पर दिनांक 28–02–15 को अंकित कराया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक श्री कृष्ण मुरारी यादव द्वारा की जा रही है। विवेचक द्वारा मृतक दिनेश का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के बयान में पाया गया कि मृतक दिनेश कुमार की मृत्यु एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण हुई है। वाहन पर साथ में बैठे दोस्त विक्की पुत्र श्रीमती राजेश कुमारी निवासी–अजीतनगर, एअरफोर्स स्टेशन, आगरा के भी चोटें आई थीं। मजरूब विक्की से मोबाइल नं0 8445385390 व 8171269469 से सम्पर्क किया गया तो उसने बताया कि उसने अपना इलाज अपने दादा वीरेन्द्र दुबे (लेखपाल) निवासी–कटरा, सेवा गली, थाना–कोतवाली, जनपद इटावा में रहकर कराया है, जो वर्तमान में स्वस्थ है। घटनास्थल के पास श्री राजकुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मालिक मां दुर्गा ढाबा व श्री पवन कुमार जैन श्री शान्ति लाल जैन, मालिक अभिनन्दन ढाबा ने बताया कि दिनेश व विक्की ने मां दुर्गा होटल पर खाना खाया, जिसका 120 रु0 देकर टूण्डला की तरफ चले थे, जिनको किसी अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी थी। घायलों को थानाध्यक्ष टूण्डला द्वारा मौके पर आये परिवारजन के साथ आटो से अस्पताल भिजवाया गया था। एक्सीडेंट करने वाले अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास जारी है। विवेचना प्रचलित है।,

जनपद अलीगढ़ से होकर निकली काली नदी में मै0 वेब डिस्टलरी शराब फैक्ट्री से बिना शोधित किये गन्दा पानी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि.....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्जनपद अलीगढ़ से होकर गुजरने वाली काली नदी के किनारे ग्राम अहमदपुर, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ पर स्थापित मे0 वेव डिस्टलरी नाम शराब फैक्ट्री (सही नाम–मे0 वेव डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि0 है) का गन्दा पानी बिना ट्रीटमेंट प्लान्ट के शोधित किये काली नदी में डाला जाता है। जिससे नदी प्रदूषित हो चुकी है।

मे0 वेव डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लि0 ग्राम अहमदपुरा, तहसील–अतरौली, जनपद अलीगढ़ वर्ष 2009 से संचालित है। उद्योग की स्थापना हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है।

उद्योग में कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से मोलासेस (शीरा) का प्रयोग करके अलकोहल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया से अवशेष के रूप में (स्पेन्ट वॉश) जनित होता है, जो प्रदूषणकारी प्रकृति का होता है। उद्योग द्वारा इसके शोधन एवं इसे शून्य करने हेतु संयंत्र स्थापित किया गया है। इस शोधन संयंत्र में स्पेन्ट वॉश को पांच को पांच इफेक्टयुक्त मन्टीइफेक्ट इवापरेटर में सांन्द्रित करके उद्योग में स्थापित व्वायलर में धान की भूसी के साथ मिलाकर भ्रस्मित कर दिया जाता है। इस प्रकार उद्योग द्वारा आधुनिक शून्य उत्प्रवाह निस्तारण विधि उत्प्रवाह को शून्य कर दिया जाता है तथा काली नदी में कोई भी जलीय उत्प्रवाह अथवा अपशिष्ट प्रवाहित नहीं किया जाता है।

काली नदी जिला मुजफ्फरनगर से प्रारम्भ होकर जिला मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर होते हुए जनपद अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अलीगढ़ जनपद से पूर्व खतौली, मोदीनगर, मेरठ, हापुड़ एवं बुलन्दशहर का बिना शोधित शहरी घरेलू जल–मल एवं 99 उद्योगों का शुद्धीकरण उत्प्रवाह काली नदी में मिलता है। काली नदी का जल जनपद अलीगढ़ में प्रवेश के समय ही प्रदूषित प्रकृति का है तथा प्रश्नगत उद्योग के पश्चात् काली नदी के जल प्रदूषण में कोई वृद्धि नहीं पाई गई है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत उद्योग द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह नदी में नहीं डाला जाता है।

उद्योग में 25 मी0टन/घण्टा भाप क्षमता का स्लोप ब्वायलर है जिसमें उपरोक्त वर्णित सान्द्रित स्पेन्ट वॉश (स्लोप) 185 मी0टन/दिन एवं धान की भूसी लगभग 103 मी0टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ब्वायलर से उत्सर्जित गैसों के वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टी साइक्लोन डस्ट क्लेक्टर एवं वेट स्क्रबर के साथ भूतल से लगभग 60 मी0 ऊंची चिमनी स्थापित है। राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला अलीगढ़ द्वारा वर्ष 2011, 2012, 2013 एवं 2014 में ब्वायलर की चिमनी की नियमित जांच की गई तथा उत्सर्जन सदैव बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उद्योग से वायु प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ब्वायलर से निकलने वाली राख का प्रयोग भूमि भराई में किया जाता है।

प्रश्नगत उद्योग द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्याप्त एवं मानक व्यवस्थायें स्थापित की गई हैं एवं इनका समुचित संचालन किया जा रहा है। अतः उद्योग से प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। प्रश्नगत उद्योग द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर्याप्त एवं मानक व्यवस्थायें स्थापित की गई हैं एवं इनका समुचित संचालन किया जा रहा है जिससे उद्योग से प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है।,

जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा अन्तर्गत शोर की जमीन के असंक्रमणीय भूमिधर पट्टा धारकों के संक्रमणीय भूमि धर घोषित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था.....

खादी एवं ग्रोमोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खकि गांव धरारी, परगना व तहसील खुर्जा जनपद बुलन्दशहर के श्री मनोज पुत्र श्री भानु प्रताप खाता संख्या–419, गाटा संख्या–91म/0.253 हे0 (पूर्ण लगानी) तथा श्री मोहर सिंह पुत्र श्री सुखबीर सिंह, खाता संख्या–428, गाटा संख्या–169/0.253 हे0 भूमि तथा इस गांव के सैकड़ों अन्य पट्टाधारी व्यक्ति असंक्रमणीय भूमिधर है। यहां के उक्त दोनों व्यक्तियों तथा अन्य ने अपने आपको असंक्रमणीय भूमि के स्थान पर संक्रमणीय भूमिधर घोषित करने के लिये अनेकों बार तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी को प्रार्थना–पत्र दिया है लेकिन उप जिलाधिकारी, खुर्जा ने यह कहकर कि शोर की जमीन होने के कारण आपको संक्रमणीय भूमिधर घोषित नहीं किया जा सकता। उनके प्रार्थना–पत्रों को वापस कर दिया गया है। जबकि पूर्व में उक्त गांव की शोर की जमीन के अनेक पट्टा धारकों को संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया है। तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी खुर्जा के ऐसे आदेश अत्यन्त भेदभाव पूर्ण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। गांव धरारी तथा उसके पास के गांवों के अनेक लोग पिछले 20–25 वर्षों से शोर की जमीन के पट्टा धारक होते हुए उक्त जमीनों पर खेती कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उन्हें संक्रमणीय भूमिधर घोषित न करके उन्हें उनके वैध अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मा0 सदस्य द्वारा अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्या में सूचित किया गया है कि जनपद में अनेक पट्टाधारकों को आवंटित भूमि असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने के समय श्रेणी–6 (4) (शोर) :–जो अन्य कारणों से अकृषिक भूमि हो, अंकित थी। शोर की भूमि के सम्बन्ध में राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 से मार्गदर्शन चाहा गया है कि श्रेणी–6

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(4) (शोर) :–जो अन्य कारणों से अकृषिक भमि हो, को धारा–132 उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम समाज की सुरक्षित भूमि माना जाए अथवा नहीं। ऐसे भूमि के पूर्व में किये गये कृषि आवंटन जिसके 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किया जाना उचित होगा अथवा नहीं, के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र संख्या–124/डी0एम0आर0सी0, दिनांक 26–09–2014 एवं अनुस्मारक–पत्र संख्या–434/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 29–12–2014 एवं अन्य अनुस्मारक–पत्र दिनांक 02–03–2015 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् से मार्गदर्शन दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु अभी तक दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं जिसके कारण शोर की जमीन के असंक्रमणीय भूमिधर पट्टाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर घोषित नहीं किया गया है। राजस्व परिषद् से मार्ग दर्शन प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल ही शोर भूमि के सम्बन्ध में लम्बित प्रकरणों का प्राप्त निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।,

जनपद बांदा के कतिपय क्षेत्रों में सड़कों, सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री दलजीत सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खादी एवं ग्रोमोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा दिनांक 18–3–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ''आजादी के 65 सील बीत जाने के बाद भी बांदा जनपद के तमाम गांव, सड़कों से नहीं जुड़ पाये जिससे यहां के लोग बहुत ही दुःखी व निराश हैं। बारिश में यदि इन गांवों में कोई व्यक्ति बीमार हो जाय तो चारपाई पर बैठाकर मरीज को कई–कई किलोमीटर ले जाना पड़ता है। इस क्षेत्र की निम्नलिखित सड़कें, जिनका जनहित में निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है :–1–बेंदा–जलालपुर मार्ग से डडवां–डेरा व बेहड़ा डेरा तक, लम्बाई लगभग 02.00 कि0मी0, 2–बांदा–फतेहपुर मार्ग से ग्राम जौहरपुर के (मजरा चारकूरा) दंगल प्रांगण तक, लम्बाई लगभग 03.00 किमी0, 3–तिन्दवारी–बबेरू मार्ग से नहर पटरी होकर ग्राम धौसड़ पानी की टंकी तक, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0, 4–ग्राम पड़ेरी से पचकौड़ी तक, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0, 5–ग्राम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तनगामऊ से रामपुर तक, लम्बाई लगभग 06.00 कि0मी0, 6–ग्राम जसपुरा भऊवा मार्ग से ग्राम गौरी कला तक, लम्बाई लगभग 04.00 कि0मी0, 7–भुजरख लोहारी मार्ग से देवपाल, चौहान डेरा से ग्राम वैदा के मजरा बगई हार, ढरकन डेरा क्योतरा होते हुए मुड़ियादेव बाबा स्थान तक, लम्बाई लगभग 05.00 कि0मी0, 8–ग्राम मुड़ेरी से बनियाखोड़ तक लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0। इन सड़कों का शीघ्र निर्माण कराया जाना जनहित एवं लोकहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

उक्त प्रकरण के संदर्भ में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा के पत्र संख्या–970/जि0पं0बांदा/2014–15, दिनांक 20–03–2015 के आधार पर अवगत कराना है कि मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा ने अपने एक लिखित निर्देश (दिनांक 19–3–2015) में दो निर्माण कार्यों क्रमशः 1–बेंदा–जलालपुर मार्ग से डडवां–डेरा व बेहड़ा डेरा तक लम्बाई लगभग 2.00 किमी0 एवं 3–तिन्दवारी–बबेरू मार्ग से नहर पटरी होकर ग्राम धौसड़ पानी की टंकी तक, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0 में एक–एक कि0मी0 कार्य को तत्काल 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कार्य कराये जाने हेतु कार्य योजना में शामिल करने का निर्देश दिया है जिस पर आगे कार्य धनराशि की उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया जायेगा। निर्माण कार्य सं0–2 बांदा–फतेहपुर मार्ग से ग्राम जौहरपुर के (मजरा चाककूरा) दंगल प्रांगण तक, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0 तक को लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराये जाने हेतु विभागीय निविदा में शामिल किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। शेष निर्माण कार्यों को आगामी अनुदानों में प्राप्त धन के सापेक्ष कराये जाने का आश्वासन मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा द्वारा दिया गया है।,

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत परसेन्डी, लहरपुर तथा बेहटा के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014–2015 में चयनित इन्दिरा व लोहिया आवास की सूची उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामेहत भारती द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री रामहेत भारती, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खादी एवं ग्रोमोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्अवगत कराया गया है कि लोहिया ग्रामीण योजना के विकास एवं चयनित गांवों की सूची सहित विधान सभा के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकास का पत्र 1268, दिनांक 29–09–14 में जिले के परियोजना निदेशक तथा खण्ड विकास अधिकारियों को शासन स्तर से इस निर्देश के साथ भेजे गये हैं कि लोहिया ग्रामीण योजना में वर्ष 2014–15 में चयनित इन्दिरा आवास एवं लोहिया ग्रामीण आवास योजना की चयनित लाभार्थियों की सूची विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्रीय विधायकों को 07 अक्टूबर तक उपलब्ध करवाकर सूचित करेंगे परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147 हरगांव में पड़ने वाले ब्लाक हरगांव, परसेंडी, लहरपुर तथा बेहटा के खण्ड विकास अधिकारियों ने अब तक उपलब्ध नहीं करायी है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार व शासन के निर्देशों का कितना पालन नहीं किया जा रहा है अतएव लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी से वक्तव्य की मांग करता हूं।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों एवं उनमें इन्दिरा आवास योजना एवं लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत चयनित/लाभार्थियों की सूची आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्देशानुसार मा0 विधान सभा सदस्यों को उपलब्ध कराने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड हरगांव, परसेण्डी, लहरपुर तथा बेहटा के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मा0 विधायक को सूची उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए भविष्य के लिये यथा निर्देश कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा मा0 विधायक को इन्दिरा आवास एवं लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची जिन्हें वर्ष 2014–15 में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, को उपलब्ध करा दी गयी है।,

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में 100 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में विधान सभा क्षेत्र मेजा.....

खादी एवं ग्रोमोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्जिसकी जनसंख्या 5 लाख है और 02 नगर पंचायत सिरसा व भारतगंज स्थापित है। ये क्षेत्र मिर्जापुर से लगा हुआ है व कोरांव विधान सभा, मेजा विधान सभा के मध्य से 100 बेड का कोई हास्पिटल नहीं है। शहर से इस क्षेत्र की दूरी लगभग 70 किमी0 है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। क्या सरकार मेजा विधान सभा में 100 बेड का हास्पिटल बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा मुख्यालय में सामु0स्वा0 केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील है तथा जनपद इलाहाबाद के मेजा में 100 शैय्या चिकित्सालय की स्थापना के लिये यथावश्यक 05 एकड़ की निःशुल्क भूमि अनुपलब्ध है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनपद मुख्यालय से इतर अन्य स्थलों पर 100 शैय्या या उससे अधिक शैय्याओं के चिकित्सालयों का निर्माण/स्थापना किया जाना विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञों, पैरामेडिकल स्टाफ, पर्याप्त निःशुल्क भूमि आदि अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 सदस्य, विधान सभा....

खादी एवं ग्रोमोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा दिनांक 18–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपनी लम्बित मांगों को पूरा कराने हेतु विगत कई वर्षों से आन्दोलनरत रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था की कड़ी होने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बावजूद फार्मासिस्ट संवर्ग के कर्मियों के वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें समकक्ष कर्मियों से कम हो गयी हैं।

सूचना में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण चिकित्सालय मात्र फार्मासिस्टों के भरोसे चलते हैं, जहां पर एलोपैथिक चिकित्सकों की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट ही इंचार्ज के रूप में प्रशासनिक एवं चिकित्सीय कार्य भी करते हैं। विगत कुछ वर्षों से सभी जनपदों में धरना–प्रदर्शन, ज्ञापन आदि सांकेतिक आन्दोलन के बावजूद संघ की मांगों पर न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही संघ के साथ विगत वर्षों में कोई उच्च स्तरीय वार्ता/बैठक सम्पन्न नहीं हुई, किसी भी मांग पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई, शासन के आदेशों के बावजूद उच्च पदों पर कोई पदोन्नति नहीं हुई। संयुक्त निदेशक और विशेष कार्याधिकारी के पद वर्षों से पदोन्नति न होने के कारण रिक्त हैं। प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के 82 में से 75 पद पदोन्नति न होने से रिक्त हो गये हैं। इसी प्रकार अन्य पद भी रिक्त बने हुए हैं। प्रदेश के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन फार्मासिस्टों के पद नहीं बढ़ रहे हैं। उपकेन्द्रों पर फार्मासिस्ट न होने से ग्रामीण व गरीब मरीजों को अप्रशिक्षित लोगों से चिकित्सा लेनी पड़ती है जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जनहित में डिप्लोमा फार्मासिस्टों की मांगों को पूरा कराते हुए रिक्त पदों को भरा जाना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। तद्नुसार सूचना देते हुए मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसियेशन द्वारा अपनी विभिन्न लम्बित मांगों की पूर्ति न होने के कारण आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था। आन्दोलनरत फार्मासिस्टों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा डिप्लोमा फार्मासिस्टों के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 03–03–2015 को बैठक की गयी। बैठक में लिये गये निर्णयों से शासन को अवगत कराते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा संघ की मांगों के सम्बन्ध में मांग कर संस्तुति सहित जो प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये उस पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 11–03–2015 को बैठक की गयी। तदुपरान्त दिनांक 16–03–2015 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में संघ के पदाधिकारियों एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के साथ बैठक की गई जिसमें संघ की सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। उक्त बैठक में निम्नवत् मत स्थित किये गये हैं :–

01–फार्मासिस्ट संवर्ग का प्रारम्भिक वेतनमान पी0–बी0–2 ग्रेड पे–4600/चीफ फार्मासिस्ट को ग्रेड पे–5400/– प्रभारी अधिकारी फार्मेसी को ग्रेड पे–6600/–	फार्मासिस्ट संवर्ग में 02 वर्ष की सेवा के उपरान्त ग्रेड पे–रु0 2800/–से उच्चतर ग्रेड पे–रु0 4200/– के स्थान पर इन्ट्री लेवल पर ही ग्रेड पे–रु0 4200/– एवं अन्य उच्चतर पदों पर संशोधित वेतनमान/ग्रेड पे

तथा विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी को ग्रेड पे0–7600/– एवं संयुक्त निदेशक फार्मेसी को ग्रेड पे–8700/– प्रदान किया जाय।	अनुमन्य कराने के लिये निहित वित्तीय उपाशय के दृष्टिगत वित्त विभाग को संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रेषित कर उनसे प्रश्नगत प्रकरण मुख्य सचिव समिति में प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने का अनुरोध किया जाय।
02–केन्द्रीय समानता के आधार पर वेतन निर्धारण जनवरी, 2006 से लागू किया जाय।	प्रश्नगत मांग पर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध वित्त विभाग से कर लिया जाय जो प्रकरण मुख्य सचिव समिति में प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे।
03–फार्मेसिस्ट संवर्ग के कर्मियों को प्राप्त हो रहे भत्तों में वृद्धि।	भत्तों में वृद्धि कराये जाने हेतु संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निहित वित्तीय उपाशय के दृष्टिगत वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाय।
04–05–संवर्ग का पुनर्गठन एवं मानक के अनुसार पदों का सृजन।	फार्मासिस्ट संवर्ग का पुनर्गठन एवं मानक के अनुसार पदों के सृजन की कार्यवाही उसी समय औचित्यपूर्ण होगी जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य चिकित्सालयों के लिये मानकों का निर्धारण करते हुए तद्नुसार पदों का आंकलन कर लिया जाय। तद्नुसार मानकों के निर्धारण के पश्चात् प्रत्येक स्तर के चिकित्सालय में पदों का वितरण सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।
06–दस वर्ष की सेवा उपरान्त फार्मेसिस्टों को राजपत्रित घोषित किया जाय।	प्रश्नगत मांग का समुचित परीक्षण नियुक्ति विभाग के शासनादेश दिनांक 05–08–1970 के अन्तर्गत करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संघ की सहमति से प्रश्नगत मांग को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
07–रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां की जाय।	प्रश्नगत मांग पर सहमति व्यक्त करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया गया कि फार्मासिस्ट संवर्ग की रिक्तियों पर नियुक्तियां एवं प्रोन्नति की

	कार्यवाही समय–सीमा का निर्धारण करते हुए सुनिश्चित की जायं। तद्नुसार चीफ फार्मासिस्ट एवं संवर्ग के अन्य उच्चतर समस्त रिक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही दिनांक 15–04–2015 तक निदेशालय स्तर से पूर्ण कर ली जायं। यह भी निर्देशित किया गया कि संवर्ग के जिन 02 रिक्त पदों पर शासन स्तर से प्रोन्नति की कार्यवाही की जानी है, उन पर प्रोन्नति के लिये आगामी 15 दिनों के भीतर तिथि का निर्धारण कराते हुए चयन समिति की बैठक आहूत की जाय। प्रोन्नति की उक्त कार्यवाही के उपरान्त फार्मासिस्ट के पदों की परिणामी रिक्तियों पर नियुक्ति की कार्यवाही दिनांक 15–07–2015 तक पूर्ण कर ली जायं।
08/09–उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर फार्मसिस्ट के पद का सृजन किया जाय तथा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित सभी योजनाओं में फार्मसिस्ट का पद अनिवार्य रूप से सृजित कर नियुक्तियां की जायं।	उक्त विषय नीतिगत है तथा इन मांगों की वैधानिक स्थिति का परीक्षण भी किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में सम्बन्धित गाइड लाइन्स के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा सकती है। उक्त स्थिति में प्रश्नगत दोनों मांगों को संघ की सहमति से स्थगित रखने का मत स्थिर किया गया।
10–राजपत्रित अवकाशों में कार्य के बदले एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाय।	समुचित विचार–विमर्श के उपरान्त यह बिन्दु उभर कर आया कि उक्त मांग के औचित्य के परीक्षण की आवश्यकता है। अतः संघ की सहमति से इसे स्थगित रखने का मत स्थित किया गया।

डिप्लोमा फार्मसिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ दिनांक 16–03–2015 को सम्पन्न बैठक के पश्चात् अपनी मांगों के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार स्थित किये गये मतों से सहमत होते हुए जनहित में अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है। डिप्लोमा फार्मसिस्ट एसोसिएशन की मांगों पर उपर्युक्तानुसार स्थित किये गये मतानुसार तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्त अंकित स्थिति से स्पष्ट है कि डिप्लोमा फार्मसिस्ट एसोसिएशन की मांगों पर राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा इसके प्रति सरकार गम्भीर है।,

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को गणेश पूजन के समय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बहराइच.....

खादी एवं ग्रोमोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्से प्राप्त आख्या में अवगत कराया है कि दिनांक 09–09–2013 को समय 16.00 बजे ग्राम ढपरापुर में बिना अनुमति एवं गैर परम्परागत ढंग से गणेश प्रतिमा की स्थापना कमला प्रसाद पुत्र श्रीराम निवासी–ढपरापुर की अध्यक्षता में राजेन्द्र मिश्रा के पालेसर पर की गई है, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूर्ण सम्भावना है। सूचना के आधार पर आयोजकगण को थाना–फखरपुर बुलाया गया तथा गणेश प्रतिमा व लाउडस्पीकर बजाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित समुचित अनुमति लेने विषयक पूछा गया तो आवेदकगणों ने बताया कि प्रतिमा स्थापना व लाउडस्पीकर बजाने के सम्बन्ध में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। इस पर स्थानीय पुलिस बल व आयोजकगण के मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गणेश प्रतिमा पहली बार गैर परम्परागत ढंग से स्थापित की गयी है। वहां पर साम्प्रदायिक उन्माद बढ़ाने वाले गाने बज रहे थे, जिसके सम्बन्ध में लोगों को समझाया–बुझाया गया तो भीड के कुछ लोगों ने बच्चे व महिलाओं को ललकार कर पुलिस पर हमला करवा दिया। पुनः समझाने पर आयोजक मण्डल के निवासी 1–कमला प्रसाद पुत्र श्रीराम, 2–सुनील पुत्र राजेन्द्र मिश्रा, 3–सुनील पुत्र सतीश मिश्रा, 4–बिन्दु कुमार पुत्र किंकर सिंह पुत्र मयंकर सिंह निवासी दतौली, थाना–फखरपुर तथा दिनेश कुमार खरे, प्रधान कदियापुर, थाना–बौण्डी के उकसाने पर यह कार्य किया गया है। हमें अपनी गलती मालूम हो गई हैं। आप लोग हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, तो हम लोग प्रतिमा स्वयं विसर्जित कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के हट जाने पर भीड़ के कुछ लोग बवाल करा देंगे। आयोजक मण्डल के उक्त सदस्यों द्वारा सुरक्षा प्रदान करने पर स्वयं प्रतिमा विसर्जित कर दिया।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री दिनेश खरे व श्री किंकर सिंह द्वारा उकसाकर कराये गये इस सम्प्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले कृत्य के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–467/2013, धारा–147, 148, 332, 353, 153ए, 298 भा0द0वि0 बनाम श्री

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनेश खरे, किंकर सिंह आदि 100 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना 02 अभियुक्त नामजद तथा 23 अभियुक्त प्रकाश में आये। कुल 25 अभियुक्तों में से 06 अभियुक्त हाजिर अदालत हुए जिसके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–141/2013, दिनांक 04–12–2013 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना/कार्यवाही प्रचलित है।,

जनपद इलाहाबाद के कोरांव क्षेत्रान्तर्गत महुली बाजार में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के कोरांव के विकास खण्ड....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्कोरांव में महुली बाजार है। जो ग्राम सभा महुली के नाम से जाना जाता है। जहां पर 80 प्रतिशत अल्पसंख्यक 20 प्रतिशत पिछड़े समाज के लोग उक्त बाजार बहुत घना होने के कारण सड़क और नाली के अभाव में लोगों का जीना दूभर हो जाता है। आये दिन लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ता है। इसलिये वहां पर सड़क सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन की अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त के आभाव में दुकानदारों एवं ग्राहकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय जनता एवं ग्रामवासियों को सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

प्रश्नगत मार्ग कोरांव के देवघाट–ड्रमण्डगंज मार्ग (प्र0जि0मा0–146) के किमी0 14 से महुली बाजार होते हुए इसी मार्ग के किमी0 16 के रंगनाथ चौराहा पर मिलता है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। महुली बाजार में ही मस्जिद मार्केट एवं अन्य छोटे मार्केट की गलियां मिलती हैं। बाजार भाग राम नारायण कुशवाहा के घर से राम अभिलाष यादव के घर तक लगभग लम्बाई 1.00 कि0मी0 में 05 वर्ष पूर्व कटस्टोन लगा है। इस मार्ग पर पुरानी नाली बनी थी जो क्षतिग्रस्त हो गई है, वर्षा ऋतु के समय बाजार में

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पानी भर जाता है। मार्ग के उक्त भाग में लम्बाई लगभग 1.00 किमी0 में सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद गाजियाबाद के राहुल विहार वार्ड–6 में किशन लाल के मकान से जवाहर लाल वर्मा के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के कोरांव के विकास खण्ड....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खनियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 18–03–15 को यह सूचना दी गयी है कि उनके विधान सभ क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत राहुल विहार वार्ड संख्या–06 में गली जो किशनलाल के मकान से जवाहर लाल वर्मा के मकान/शिव मंदिर तक जाती है, पूर्णतयाः क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हालत में है। यहां अधिकांश गरीब लोग रहते हैं। उक्त गली में वाहनों का आवागमन भी रहता है। बरसात के समय में सड़क टूटी–फूटी होने से गंदा पानी भर जाता है, जिसमें से निकलना भी दूभर रहता है। अतः जनहित में उक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने हेतु इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा की गयी है।

2. मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राहुल विहार कालोनी अनियोजित एवं अनधिकृत रूप से बसी हुई है। यद्यपि उपरोक्त कालोनी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने का दायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का है, फिर भी नगर निगम द्वारा सर्वे कराकर उपरोक्त कालोनी में समेकित विकास हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना....

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्के माध्यम से मुख्य रूप से निम्न बिन्दु उठाये गये हैं:–

जनपद–बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र–खुरजा के ग्राम धरांऊ की खटीक बस्ती में त्रिलोक सिंह, नेपाल सिंह आदि के मकानों से 11 हजार की विद्युत लाइन घनी आबादी में ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है, जिससे कभी भी तार टूटने से हादसा हो सकता है और जानमाल की हानि हो सकती है। स्थानीय प्रशासन को इस बावत कई बार पत्राचार के माध्यम से विद्युत लाइन को हटवाने हेतु आग्रह किया गया है लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। ऐसी स्थिति में घनी आबादी के ऊपर से निकली विद्युत हाईटेंशन लाइन से कई अप्रिय दुर्घटनायें हो गयी हैं जिससे ग्रामीण जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जनपद–बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के ग्राम धरॉऊ की खटीक बस्ती के ऊपर से गुजर रही 11 के0वी0 लाइन पूर्व से ही स्थापित है, जबकि लाईन के नीचे मकान बाद में सुरक्षा मानकों की उपेक्षा करते हुए अवैध रूप से बनाये गये हैं। विभागीय नियमानुसार उक्त लाइन को स्थानान्तरित करने के लिए विभाग के किसी मद से धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकती है। किसी जमा योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार लाइन को स्थानान्तरित करना सम्भव है, किन्तु फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से जो लाइनें मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं, उनकी गार्डिंग हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।,

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईशानगर के ग्राम समैसा के अन्धपुर तक की कच्ची सड़क को खड़न्जा/पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, मा0 सदस्य.....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री अम्बिका चौधरी–

खविधान सभा द्वारा दिनांक 18–3–2015 को नियम–51 के अंतर्गत यह सूचना दी गयी है कि ''विधान सभा क्षेत्र धौरहरा खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम समैसा से अन्धपुर जेठरा तक कच्ची सड़क जो बहुत ही क्षतिग्रसत है, सड़क में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हैं उक्त सड़क पर हजारों लोगों का आवागमन रहता हैं जो पूर्णतया बाधित रहता है एवं क्षेत्रीय किसानों को आने–जाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं वार्तालाप से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त कच्ची सड़क को खड़न्जा/पक्की सड़क के निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग की गयी है।''

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 24–03–2015 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी में वर्ष 2014–15 की कार्य योजना का गठन पूर्व मे ही किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम समैसा से अन्धपुर जेठरा तक कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज के अन्तर्गत न्योतिनी में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय को यथाशीघ्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेलाल रावत द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्री राधे लाल रावत, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री अम्बिका चौधरी–

खदिनांक 18–03–2015 को उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि जिला उन्नाव के

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मोहान विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक हसनगंज के अन्तर्गत न्योतिनी में वित्तीय वर्ष 2013–14 में आश्रम पद्धति विद्यालय बनकर तैयार हो चुका है, परन्तु उक्त आश्रम पद्धति विद्यालय को अभी संचालित नहीं किया जा रहा है। जिससे क्षेत्रीय छात्र–छात्राओं को शिक्षा हेतु अत्यधिक परेशानी हो रही है। उन्हें क्षेत्र में दूरस्थ स्थित विद्यालयों में जाना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से उक्त आश्रम पद्धति विद्यालय को संचालित करने हेतु कोई प्रभवी कार्यवाही नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

उपर्युक्त दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण हो गया है एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता भी प्राप्त कर ली गयी है। विद्यालय की साज–सज्जा करायी जानी अवशेष है। अतएव विद्यालय में साज–सज्जा एवं शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उक्त विद्यालय में साज–सज्जा शीघ्र पूर्ण कराकर तथा शिक्षकों की तैनाती कराकर विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।,

वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु बनाये गये हास्टल को बिना भेदभाव के सभी जातियों की महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विमला बाथम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, श्रीमती बिमला बाथम, मा0 सदस्य, विधान सभा....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा दिनांक 18–03–2015 को उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि नोएडा सेक्टर 62 में वर्ष 2011 में तत्कालीन सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु ''वोमेन हास्टल'' का निर्माण कराया गया था। इस बहुत बड़े हास्टल में आज तक कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला नहीं रह रही है। जबकि नोएडा में अन्य जातियों की महिलाओं को आवास हेतु काफी परेशानी का सामना करना

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ रहा है। जनहित में इस हास्टल को सभी जाति की महिलाओं के रहने हेतु निर्धारित शुल्क पर आवंटन हेतु दिया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व व अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त हास्टल को बिना भेदभाव के सभी जातियों की महिलाओं को आवासीय सुविधा हेतु आवंटित किये जाने के लिये वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2. उपर्युक्त दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद–गौतमबुद्धनगर में कोई महिला छात्रावास संचालित नहीं है। प्रश्नगत छात्रावास का निर्माण नवीन ओखला, औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा द्वारा कराया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–252/60–1–2015, दिनांक 13–02–2015 एवं प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 24–2–2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य परियोजना अभियन्ता, नोएडा अथारिटी के आदेश दिनांक 20–3–2015 द्वारा उक्त महिला छात्रावास को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को प्राथमिकता देते हुये अन्य जातियों की महिलाओं को सशुल्क छात्रावास आवंटन एवं उसके संचालन तथा रख–रखाव हेतु महिला कल्याण विभाग को दिनांक 24–02–2015 को हस्तानान्तरित किया जा चुका है।,

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों में जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 योजना के अन्तर्गत डाली गयी पेयजल लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18–03–2015....

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)।

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत डाली गयी पेयजल लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2. उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र के सन्दर्भ में दी गई सूचना के अन्तर्गत 5 वार्ड सम्मिलित हैं। वार्ड संख्या–28 की अभिकल्पित आबादी के आधार पर 1200 कि0ली0 क्षमता का 01 ओवर हेड टैंक एवं 1000 कि0ली0 क्षमता का 01 भूमिगत जलाशय, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं, जिसमें कृष्णा नगर, गंगाजल, कर्मचारी नगर, छेदा की टटिया, नेताजी नगर सम्मिलित हैं। वार्ड संख्या–44 की अभिकल्पित आबादी के आधार पर 900 कि0ली0 क्षमता का 01 भूमिगत जलाशय, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं, जिसमें ओमपुरवा, पोखरपुर, चरारी एवं चन्द्र नगर सम्मिलित हैं। वार्ड संख्या–53 की अभिकल्पित आबादी के आधार पर 900 कि0ली0 एवं 1600 कि0ली0 क्षमता वाले 02 ओवर हेड टैंक एवं नग 500 कि0ली0 एवं 1000 कि0ली0 क्षमता के कुल 02 भूमिगत जलाशय, वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं, जिसमें मंगला बिहार, कोएला नगर, दहेली सुजानपुर गांव, न्यू आजाद नगर चाणक्यपुरी, के0डी0ए0 कालोनी, सतबरी रोड के बगल की बस्ती, गदियाना सम्मिलित है। बार्ड संख्या–77 की अभिकल्पित आबादी के आधार पर 800 कि0ली0 क्षमता का 01 ओवरहेड टैंक एवं 500 कि0ली0 क्षमता का 01 भूमिगत जलाशय वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं, जिसमें श्याम नग ए0बी0सी0डी0ई0, सी0ओ0डी0 कालोनी, सिंहा टटिया, भलूला एवं भगवन टटिया सम्मिलित हैं। वार्ड संख्या–86 की अभिकल्पित आबादी के आधार पर 200 कि0ली0 क्षमता का 01 भूमिगत जलाशय वितरण प्रणाली एवं तत्सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं, जिसमें बुढ़िया घाट एवं बंगाली घाट सम्मिलित हैं।

3. उक्त संदर्भित क्षेत्रों में अधिकांश पाईप लाइन बिछायी जा चुकी है तथा शेष पाइप लाइन शीघ्र ही बिछायी जानी है। गणेश उद्यान फूलबाग में नवनिर्मित इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन से नगर के पूर्वी क्षेत्र में नवनिर्मित भूमिगत जलाशयों एवं उच्च जलाशयों को जोड़ने हेतु 6.11 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमेन छावनी क्षेत्र से होकर जाना प्रस्तावित है। उक्त पाइप लाइन बिछाने हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु दिसम्बर, 2009 से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से वांछित अनापत्ति न प्राप्त होने के कारण प्रश्नगत 6.11 कि0मी0 क्लीयर वाटर फीडरमेन बिछाया नहीं जा सका है और जिसके कारण उक्त क्षेत्र में बिछायी गयी पाइप लाइनों को चालू नहीं किया जा सका है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्रश्नगत अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।,

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : **प्रदीप कुमार दुबे,**

दिनांक 25 मार्च, 2015 प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 62 विधान सभा (106)–27–7–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।